Saturday, 26 May, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated..18/X/75..

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-9
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

|4|

लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खण्ड 4

अंक 31 – 40

26 मई से 7 जून

1962

पी एल

लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/75

सत्यमेव जयते

Preservation Unit 14-5-98
Fumigated On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३२५१
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें .	३२५२—३३३२
स्वास्थ्य मंत्रालय . .	३२५१—७९
शिक्षा मंत्रालय . .	३२८०—३३३२
दैनिक संक्षेपिका	३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३	३३३५—३३५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से १११३	३३५८—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५	३३६८—३४०२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३४०२—०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३४ ०५—०७
(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश .	३४०५–०६
(२) डकोटा विमान का गिरना	३४०६–०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३४०७—०९
तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . .	३४०९
तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य .	३४०९
अनुदानों की मांगें	३४०९—५४
शिक्षा मंत्रालय	३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९
स्थगन प्रस्ताव—
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . ३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४
अनुदानों की मांगें . . . . . ३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८
विधि मंत्रालय . . . . . ३५४९—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . ३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११९५ . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२० अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७९५—९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८४४—४९

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४ ,१२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९०

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४०३९–४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४–७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५–७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना . . . ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—९७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा

शनिवार, २६ मई, १९६२

५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : मैं प्रशासनिक सतर्कता विभाग का १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६१ की अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१४४/६२ ।]

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों के लिये उपलब्ध की जायेंगी, क्योंकि गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने वाली है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस माननीय सदस्य को प्रति चाहिये उन्हें दे दी जायेगी।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि २८ मई, को आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सदन में सरकार का सभा का कार्य इस प्रकार होगा : —

(i) आज के आदेश पत्र से बचे हुए कार्य के पद पर विचार ।

(ii) विधि; रक्षा; निर्माण, आवास और सम्भरण; और गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

---

†अंग्रेजी में

1116 (Ai) LSD—1

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि रक्षा मंत्रालय को १२ घंटे या कम से कम १० घंटे का समय निर्धारित करना चाहिये। दूसरे सभा कक्ष में ऐसी अफवाहें हैं कि लोकसभा निर्धारित समय से पहले स्थगित हो जायेगी। क्योंकि हम में से कई सत्र के बाद का अपना कार्यक्रम निर्धारित करना चाहते हैं इसलिये मुझे आशा है कि संसद्-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में सोमवार को वक्तव्य देंगे। आखिर में मैं यह प्रार्थना करता हूं कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समितियां सत्र समाप्त होने से पहले बना दी जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : समितियों का मामला ठीक हो जायेगा। मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं।

जहां तक सत्र का संबंध है संसद्-कार्य मंत्री यदि वक्तव्य देना चाहे तो दे दें जहां तक रक्षा मंत्रालय के लिये समय को बढ़ाने का संबंध है, जब प्रस्तावना सदन के सामने रखी जाती है तो सदस्य कोई आपत्ति नहीं उठाते। जब मांगों पर चर्चा होती है तो हमें समय कम लगता है। अब जब रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ होगी, समय बढ़ाने के विषय विचार किया जा सकता है; इस समय नहीं।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : वर्तमान सत्र के स्थगित करने के संबंध में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु हमारे विचार के अनुसार यथा सम्भव, वर्तमान सत्र २२ जून तक समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। यदि सम्भव हो तो हम एक हफ्ता जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, परन्तु यह सदन के कार्य की प्रगति पर आधारित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने अपना कार्यक्रम पहले ही निर्धारित करना है। इसलिये यथा शीघ्र ही घोषणा करनी चाहिये।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : तारीख से १० दिन पहले घोषणा कर दी जायेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कम से कम एक पक्ष पहले

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मैं अपने माननीय मित्र के संशोधन को स्वीकार करता हूं। मैं निश्चय ही सत्र समाप्त होने में एक पक्ष पूर्व माननीय सदस्यों को सूचना दे दूंगा।

अनुदानों की मांगें—जारी

स्वास्थ्य मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रखेगा।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : कितना समय उपलब्ध है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मंत्रालय के लिये तीन घंटे निर्धारित किये गये हैं। दो घंटे और पांच मिनट शेष हैं। माननीय सदस्य दस मिनट समय लें।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं हैल्थ मिनिस्ट्री की डिमांड पर अपना विचार रख रहा था। हैल्थ सन्टरो के कार्यों की जांच करने लिये हम ने एक कमेटी बनायी थी और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हर सेन्टर में दो डाक्टर रखने की तजवीज की गयी थी। लेकिन आज हमारे यहां १७·३ प्रतिशत डाक्टरो की कमी है और हम बहुत से सेन्टरों में तो केवल एक ही डाक्टर रख पाये हैं। यह भी सत्य है कि कहीं कहीं तो अस्पतालों में एक भी डाक्टर नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब जो दो डाक्टर रखने की तजवीज थी वह तो बहुत दूर रही। इस के लिये मेरा एक सुझाव है कि आयुर्वेदिक कालिजों से जो ग्रजुएट निकलते हैं उन्हें थोड़ी और ट्रेनिंग दे कर इन अस्पतालों में रखा जाये। इस के अतिरिक्त जो मिनिटरी के रिटायर्ड डाक्टर हैं और जिन को काफी अनुभव हो जाता है, उन को भी कुछ थोड़ी ट्रेनिंग दे कर इन अस्पतालों में रखा जाय तो काम निकल सकता है।

मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश में क्षय की बीमारी के फैलने का मुख्य कारण यह है कि हम को उचित प्रकार का भोजन नहीं मिलता। खानों में ताकत देने वाली चीजों की कमी रहती है। इस का कारण हमेशा यह नहीं होता कि लोगों के पास पैसे की कमी होती है बल्कि इस का एक कारण यह भी है कि हम ने पश्चिम तौर तरीकों को अपना लिया है। इस से हमारा रहन सहन महंगा हो गया है लेकिन उस से लाभ नहीं होता। तो पश्चिमी तरीके अपना कर भी हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। मैं आप से कहूं कि यदि हमारे खाने में ताकत देने वाली चीजें हो तो क्षय रोग दूर हो सकता है। इस सम्बन्ध में जो महात्मा गांधी ने और सन्तविनोबा ने कहा है वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने कहा है :

"आरोग्य की बहुत सी कुंजियां हैं, और उन की आवश्यकता है, परन्तु उन सब में ब्रह्मचर्य मुख्य है"

इस सिद्धान्त को हम कहां तक मानते हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसी तरह से सन्त विनोबा ने कहा है :

"ब्रह्मचर्य का लक्ष्य यह है कि मनुष्य जीवन को आरम्भ से ही अच्छा खाद मिले—यह खाद यदि अन्त तक मिलती रहे तो अच्छा ही है, लेकिन बराबर नहीं मिले तो कम से कम बचपन में तो बहुत आवश्यक है" इस पर हम कहां तक अमल करते हैं यह सोचने की बात है।

हाल ही में इटली की सरकार ने धुम्रपान के प्रचार को कठोरता के साथ बन्द किया है और मिस्टर शर्मा कहते हैं "एं"। इस का कारण शायद यह है कि उन को यह मालूम नहीं है कि धुम्रपान एक अच्छी चीज नहीं है।

सरकार को अश्लील सिनेमा फिल्मों, साहित्य और दूसरी ऐसी चीजें जोकि कामवासना को उभारती हैं और बढ़ाती हैं उन को बन्द करने के बारे में विचार करना चाहिये। सरकार को डाक्टर्स और डिस्पेंसरीज की तादाद बढ़ाने की बजाय गांव गांव में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के वास्ते व्यायामशालायें खोलनी चाहियें। जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये आवश्यक ट्रेनिंग कैम्पों की भी जरूरत है और उस की स्थापना के साथ साथ अधिक स्वास्थ्य प्रचारकों की भी हमें जरूरत पड़ेगी। इस के लिये आवश्यक है कि हम शुरू से अपने बच्चों को इन व्यायाम-शालाओं के महत्व के बारे में समझायें। देश भर में स्वास्थ्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिये ताकि जनता में अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने और बेहतर करने के वास्ते दिलचस्पी पैदा हो। जनता में स्वास्थ्य बढ़ाने के लिये दिलचस्पी पैदा करने के लिये अच्छी अच्छी पुस्तकें छपवानी चाहियें।

खाने की चीजों में मिलावट को कठोर दंड से बन्द करना चाहिये। जब तक हम इसे कठोर दंड से बन्द नहीं करेंगे तब तक हमें उस में कामयाबी नहीं मिलेगी। वनस्पति तेल, चाय, मद्य सिगरेट, बीड़ी आदि स्वास्थ्य के लिये नुकसानदेह चीजों को सरकार को यथासंभव रोकने की कोशिश करनी चाहिये। शुद्ध घी, दूध, दही, मक्खन उचित मूल्य में मिले, इसके लिये सरकार को चाहिये कि वह पशुपालन को प्रोत्साहन दे।

[श्री अ० सिंह सहगल]

हर एक गांव में पीने का अच्छा पानी सुलभ होना चाहिये । गांवों में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करने की ओर स्वास्थ्य मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिये और इस को उसे सब से ज्यादा अहमियत देनी चाहिये । यह आवश्यक है कि पीने के पानी की व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हर एक प्रांत के लिये की जाय तृतीय पंचवर्षीय योजना में हर एक स्टेट को जो धनराशि दी गई है उस के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्फथा जरूर होनी चाहिये और इस के लिये मैं सुझाव दूंगा कि हर एक जगह हर एक प्रान्त में हम वाटर बोडर्स की स्थापना करें । हर एक प्रान्तीय सरकारों को इस बात के लिये तैयार करें कि वे इस चीज को अपनी योजना में प्रथम स्थान दें और वाटर बोड्र्स के जरिये इस चीज को वह पूरा करने की कोशिश करें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से सदन का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर और खास कर रायपुर और बिलासपुर कमिश्नरी की तरफ दिलाना चाहता हूं । छत्तीसगढ़ प्रांत में और खास कर इन दो जिलों में, कालरा, चेचक और बुखार की सब से ज्यादा शिकायत आप को मिलेगी । इन बीमारियों के कारण हमारे हजारों भाई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । उस का मुख्य कारण यही है कि वहां पर पीने का पानी नहीं मिलता है । शुद्ध पीने के पानी के अभाव में ही यह तमाम बीमारियां वहां पर ज्यादातर फैलती हैं ।

अगर मैं आप के सामने आंकड़े रक्खू तो आप को पता चलेगा कि पहले प्लान में १४० करोड़ रुपया दिया गया, दूसरे में २७४ करोड़ दिया गया और तीसरे प्लान में ३४१ करोड़ रुपया हैल्थ सर्विसेज़ के लिये रक्खा गया है । कहने की गरज़ यह है कि तीसरे प्लान में परसेंटेज सिर्फ ४.२५ रहा जबकि दूसरे प्लान में वह ५.७ परसेंट था । जाहिर बात है कि हैल्थ के लिये ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर के ही हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं और इस चीज को बढ़ा सकते हैं ।

इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ और टेकनोलाजी और रिसर्च की चीजें हैं उन के लिये हम ने अपने फर्स्ट प्लान में १७९ करोड़ पया रखा था, दूसरे में ८९० करोड़ रुपया रक्खा तीसरे प्लान में २१४० करोड़ रुपया रक्खा है अर्थात् २६.५ (?) पैसा रक्खा गया । इस में से भी कुछ पैसा निकाल कर हैल्थ सर्विसेज़ की मद में डाला जा सकता है और अगर ऐसा किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा होगा ।

इस के साथ ही मैं आप से यह कहूंगा कि हमारा मंत्रालय जो बहुत से मैडीकल कालिजज़ खोल रहा है या मैडिकल कालिजेज़ का ऐक्सपेंशन हो रहा है तो यह बहुत अच्छी चीज है । लेकिन खाली मैडिकल कालिजेज़ के ऐक्सपेंशन से ही काम नहीं चलेगा उस के लिये हमें अच्छे अच्छे और अनुभवी डाक्टर्स रखने होंगे जोकि वहां पर अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकें और उन मेडिकल कालिजेज़ को ठीक से चला सकें । आज हमारे यहां इस की कमी है और सरकार का ध्यान इन मैडिकल कालिजों को आगे बढ़ाने की ओर जाना चाहिये । उन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जनसंघ—श्री ब्रह्मजीत—अनुपस्थित—श्री चौधरी । उन में से कोई भी उपस्थित नहीं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं । मैं ने देखा है कि सूचियां दल सचेतक सभापति को दे देते हैं और सभापति उस सूची के अनुसार नाम बुलाता है । मुझे इस पर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आपत्ति है। नाम पुकारे जाते हैं और सदस्य उपस्थित नहीं होते। यह सभापति का निरादर है। इसलिये सभापति का ध्यान आकर्षित करने की पुरानी प्रथा जारी करनी चाहिये।

†**श्री ज० ब० सिंह** (घोसी) : मुझे एक आपत्ति है। सामने बैठे हुए माननीय सदस्य सदैव आप का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें बोलने का अवसर मिल सकता है। हम जो आप के बायें बैठते हैं शायद आप का ध्यान आकर्शित न कर सकें।

†**श्री त्यागी** : माननीय सदस्य पर्चियां दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी चर्चा में ऐसे ही होता रहा है। लोकतंत्रीय प्रणाली में जो भी ध्यान आकर्षित कर ले उसे बुलाया जाता है। सभापति को बोलने के इच्छुक सदस्य को मालूम करने के लिये इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है।

इस के अतिरिक्त विभिन्न दल हैं। यदि मैं दलों के अनुसार न चलूं तो अवश्य आपत्ति होगी।

विभिन्न राज्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस सम्बन्ध में आरोप लगाये जायेंगे कि इस राज्य के सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिला है।

यदि किसी दल का सदस्य जब उस का नाम पुकारा जाय उपस्थित नहीं होगा तो मैं उस दल को बाद में मौका नहीं दूंगा।

जो ध्यान आकर्षित करता है उसे बुलाया जायगा। यह प्रथा तो सभापति की सहायता के लिये है।

†**श्री त्यागी** : मैं आप से सहमत हूं कि पर्चियां सभापति को दे दी जायें। माननीय सदस्यों को भी आप को अपनी पर्चियां भेजने की आज़ादी होनी चाहिये। परन्तु ध्यान आकर्षित करने वाले को बुलाना चाहिये। पर्चियों का ध्यान रखा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने पहले ही कई बार कहा है कि यदि सदस्य अपनी सीट पर खड़ा नहीं होता चाहे उस ने पर्ची भेजी हुई हो मैं उसे नहीं बुलाऊंगा।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन माननीय सदस्य सिर्फ़ दस मिनट लें।

श्री मोहन स्वरूप : मैं पन्द्रह मिनट में खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दस मिनट पर ही इक्तफ़ा करें। आज दस मिनट से ज्यादा किसी माननीय सदस्य को नहीं मिलेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय सदस्य हमारे ग्रुप की तरफ़ से बोलने वाले अकेले सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज सब माननीय सदस्य दस मिनट लें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री मोहन स्वरूप : मैं ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सिलसिले में बहुत से वक्ताओं के विचार सुने हैं। इस में सन्देह नहीं कि स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। "हैल्थ इज़ वैल्थ", यह एक बहुत पुरानी कहावत है, जिस का तर्जुमा यह किया जा सकता है कि "तन्दुरुस्ती हज़ार नेमत है।।" लेकिन मुझे खेद है कि स्वास्थ्य की जितनी इम्पार्टेन्स है, उस को सरकार शायद नहीं समझती, क्योंकि स्वास्थ्य के जो मंत्री हैं, वह कैबिनेट रैंक के न हो कर सिर्फ मिनिस्टर आफ़ स्टेट की हैसियत रखते हैं। इस के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय पर विचार करने के लिये केवल तीन घंटे का वक्त दिया गया है, जबकि और मिनिस्ट्रीज़ के लिये सात सात, आठ आठ घंटे दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो दस मिनट से शाकिर नहीं थे, लेकिन अब वह इन बातों पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं।

श्री मोहन स्वरूप : इस से ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट स्वास्थ्य की अहमियत को नहीं समझती है।

स्वास्थ्य के सिलसिले में एक भोर कमेटी १९४३ में नियुक्त की गई थी। उस के मुताबिक ब्रिटिश भारत में साधारण मृत्यु दर २२.४ था। बच्चों की मृत्यु पर दर १६·२ थी। जन्म के समय पुरुषों के लिये जीवन की आशा २६.५१ थी और स्त्रियों के लिये २६.५६ थी। बीमारी के हिसाब से मृत्यु की प्रतिशत यह थी : हैज़ा २.४, चेचक १.१, प्लेग ०.५, ज्वर ५८.४, पेचरा ४.२, फेफड़ों की बीमारियां ७.६, दूसरी बीमारियां २५.८।

इस सिलसिले में जो स्थिति इस वक्त है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। मुल्क में कुल ३२२ ज़िले हैं, जिन में से २३६ में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं। दस लाख टी० बी० के मरीज़ हैं, लेकिन सिर्फ़ तीस हजार के लिये बेड्ज़ हैं। दस लाख पागल हैं, लेकिन सिर्फ पंद्रह हज़ार के लिये बेड्ज़ हैं। इसी तरह लैप्रासी के बीस लाख मरीज़ हैं, जबकि जगह सिर्फ़ बीस हज़ार के लिये है। इस से साफ़ ज़ाहिर होता है कि स्लवास्थ्य की हालत दिनों-दिन ख़राब होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कुछ ध्यान दें।

जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, इस के दो एस्पेक्ट्स हैं—एक क्युरेटिव और दूसरा प्रिवेन्टिव, लेकिन सरकार प्रिवेन्टिव पहलू को छोड़ कर सिर्फ क्यूरेटिव पहलू पर ध्यान देती है और सिर्फ हास्पिटल्ज़ वग़ैरह की व्यवस्था करती है। स्वास्थ्य का जो असली मंशा है, उस को शायद वह भूल जाती है।

आज अस्पतालों की दशा यह है कि कई अस्पतालों में डाक्टर ही नहीं हैं और अगर किसी अस्पताल में डाक्टर है, तो वहां दवा नहीं है। इस सिलसिले में मैं आप के सामने स्टेट्समैन में में छपी एक ख़बर पेश करना चाहता हूं जो कि इस प्रकार है :—

> "डिस्पैंसरियों में जो औषधियां नहीं मिलती हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अवगुण।
>
> एक स्त्री डिस्पैंसरी में गिर पड़ी। उसे पैनसीलीन ठीक नहीं बैठा। डाक्टर उस औषधि के प्रभाव को नष्ट करने वाली औषधि लेने के लिए आपातकालीन वक्त की ओर गया, परन्तु कोई औषधि नहीं मिली। बाजार से लाने के लिए आधा घण्टा लगा"

इस के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री सी० बी० गुप्ता, ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की तीन सौ डिस्पैंसरीज़ और स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हम देखते हैं कि गांवों की दशा दिनों-दिन खराब होती जा रही है और गांवों के लोगों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस मुल्क को स्वराज्य मिले काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन वह कैसा स्वराज्य है, जिस में लोगों को अन्न न मिल सके, उन को रहने की जगह न मिल सके उन के स्वास्थ्य पर ध्यान न दिया जाय और उन को दवाय न मिल सके ? मैं नहीं समझता कि स्वराज्य की यह परिभाषा कहां तक उचित है और ठीक है ? होना यह चाहिए था कि स्वराज्य हासिल करने के बाद लोगों के स्वास्थ्य को प्रायर्टी दी जाती।

अभी माननीय सदस्य, श्री सहगल, ने कहा कि थर्ड फ़ाइव-ईअर प्लान में स्वास्थ्य के लिए काफ़ी कम रुपया दिया गया है। लोगों की इच्छा थी कि १०,००० करोड़ के प्लान में कम से कम दस परसट तो हैल्थ के लिए दिया जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ़ ४.२५ परसेंट दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार स्वास्थ्य के महत्व और उपयोगिता पर ध्यान दे।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हैल्थ को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। एक हिस्से में तो प्रिवेन्टिव पहलू पर ध्यान दिया जाये और दूसरे में क्युरेटिव पहलू पर—एक हिस्सा स्वास्थ्य-रक्षा की देख-भाल करे, और दूसरा इलाज और चिकित्सा की। इस लिए मेरी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को दो हिस्सों में बांट दिया जाये। एक मंत्रालय स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान दे और दूसरा चिकित्सा की तरफ़। अगर यह सम्भव न हो, तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में इस किस्म के दो हिस्से बना दिये जाय, जिन के लिए अलग अलग दो मंत्री हों, जो कि अच्छी तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान दें सकें। जैसा कि चरक ने कहा है, स्वास्थ्य-रक्षा चिकित्सा अलग अलग विषय है। चरक का संस्कृत एक श्लोक इस प्रकार है, "स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणमातुरस्य विकार प्रशमनं," जिसका अर्थ यह है कि **प्रोटेक्ट दि हैल्थ आफ़ हैल्दी एंड ट्रीट दोज़ सफ़रिंग फ्राम डिज़ीज़िज़।**

स्वास्थ्य की तरफ़ सरकार का कोई ध्याद नहीं है और उसकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। आज के नौजवान ड्रेस-कान्शस ज्यादा हैं वे लिबास की तरफ़ ज्यादा ध्यान देते हैं और खाने-पीने की तरफ़ बिल्कुल तवज्जह नहीं देते। खाने के लिये चाहें कुछ मिलें या न मिले, लेकिन ड्रेस उम्दा होनी चाहिए। उन का कोट पतलून अच्छा होना चाहिए, लेकिन खाने-पीने की तरफ़, स्वास्थ्य की तरफ़ उन का कोई ध्यान नहीं है। पुराने ज़माने में "सिम्पल लिविंग एंड हाई थिंकिंग" के उसूल के मुताबिक अमल किया जाता था। लोग बाडी-बिल्डिंग की तरफ़ बहुत ध्यान देते थे। वे अच्छा खाते थे और मोटा-झोटा पहनते थे। वे अपने शरीर के डेवेलपमेंट की तरफ़ ज्यादा तवज्जह देते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट ऐसा वातावरण पैदा करे कि लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ़ ज्यादा ध्यान देने लग जायें।

स्थान स्थान पर अखाड़ो और व्यायाम शालाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जिन में व्यायाम आदि का समुचित प्रबन्ध हो। जिस तरह से आज नाट्य शालाओं का विस्तार हो रहा है, और नाच-गाने के प्रोग्राम में, जिस को कल्चरल प्रोग्राम कहा जाता है विस्तार हो रहा है, उसी तरह से सरकार सेहत के प्रोग्राम को भी ज्यादा विस्तार दे। जिस तरह से खेती के सिलसिले में प्रतियोगिता और कम्पीटीशन होते हैं, उसी तरह से गांवों और शहरों में सेहत के सिलसिले में भी कम्पीटीशन होने चाहिए। राष्ट्र कलश उस आदमी को दिया जाना चाहिए, जिसकी सेहत सब से अच्छी हो। इसी तरह सब से अच्छी सेहत वाली महिला को भी पारितोषि देना चाहिये। सब से तन्दुरुस्त आदमी को "राष्ट्र श्री" और सब से तन्दुरुस्त महिला को "राष्ट्र-विदुषी" का मंडल दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों का भी कम्पीटीशन

[श्री मोहन स्वरूप]

होना चाहिए । जो बच्चे ज्यादा तन्दुरुस्त हों, उन को अधिक तरक्की देनी चाहिए । सरकार को बच्चों के शरीर के गठन और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।

स्वास्थ्य के सिलसिले में अब मैं एडल्ट्रेशन का जिक्र करना चाहता हूं । आज एडल्ट्रेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार उस को रोकने में समर्थ नहीं हो सकी है । आज कोई भी खाने की वस्तु नहीं है, जिस में मिलावट न हो । एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए कोई न मजबूत कदम उठाना निहायत जरूरी है । एडल्ट्रेशन को एक दण्डनीय अपराध करार देना चाहिये, और कानून में कुछ परिवर्तन कर के उस व्यक्ति को सख्त सजा देनी चाहिए, जो कि एडल्ट्रेशन का भागीदार हो । स्वस्थ पानी की, पीने के पानी की, अच्छे पानी की कमी है। गांवों में जगह-ब-जगह कीचड़ भरा रहता है पानी भरा रहता है, वाटर लागिंग रहता है। इस चीज को रोकने की तरफ भी आपका खास तौर से ध्यान जाना चाहिये।

इस के साथ ही साथ न्यूट्रिशस गिजा की तरफ भी आपको तवज्जह देनी चाहिये। आज मैं देखता हूं कि इस तरह बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम हर जिले में आपकी तरफ से दूध की स्कीम चालू की जाए और देहातों में उसके लिए सैंटर्ज खोले जायें । इसके साथ साथ आपको एनिमल हस्बेंडरी को भी बढ़ावा देना चाहिये और इस के लिए अच्छे तरीके से मदद करनी चाहिये । यदि ऐसा किया गया तो दूध की सप्लाई में तरक्की हो सकती है और लोगों को अच्छा दूध पीने के लिये मिल सकता है। अगर लोगों को न्यूट्रिशस गिजा नहीं मिल सकती है, अगर उनको पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल सकते हैं, तो उनकी सेहत कैसे ठीक रह सकती है । मैं चाहता हूं कि हैल्थ मिनिस्ट्री इस सिलसिले में सक्रिय कदम उठाये ।

अस्पतालों का सवाल भी मैं उठाना चाहता हूं । अभी मैंने अर्ज किया है कि डाक्टरों की कमी है और इसको दूर करने की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि ये जो डिफ्रेंट सिस्टम्ज आफ मैडीसिन हैं, एलोपैथिक सिस्टम है, होम्योपैथिक सिस्टम है आयुर्वेदिक सिस्टम है; इन में भी कुछ कोआर्डिनेशन होना चाहिये। इन सभी सिस्टम्ज के जो डाक्टर हैं, उनकी कंडिशन एक सी होनी चाहिये । आज देखा जाता है कि एलोपैथिक डाक्टरों की कद्र ज्यादा होती है और दूसरे सिस्टम्ज आफ मैडीसिन के डाक्टरों की कद्र कम होती है । उन में पैरिटी होनी चाहिये ।

अस्पतालों के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज देखा जाता है कि डाक्टरों के लिए रहने के लिए एकामोडेशन की कमी है। खास तौर पर देहातों में डाक्टर लोग इस लिए नहीं जाते हैं कि वहां उनको सुविधायें नहीं होती हैं रहने के लिए जगह उन के पास नहीं होती है और न ही उनको मिलती है और वहां जो उनको तनख्वाह मिलती है, उस में उनका गुजारा नहीं हो सकता है क्योंकि वहां प्रेक्टिस के अच्छे चांसिस नहीं है । इन सब बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये ताकि गांवों में भी डाक्टर जा सकें ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिये

श्री मोहन स्वरूप : दो मिनट और दे दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट नहीं हो सकते हैं । आपने बारह मिनट पहले ही ले लिये हैं ।

श्री मोहन स्वरूप : मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूं ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि नेचर क्योर की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे । नेचर क्योर ऐसी चीज है जिस में कि पानी से इलाज होता है, मिट्टी से भी इलाज होता है, सूरज की धूप से इलाज होता है, । नेचर क्योर की उन्नत्ति के लिए भी सरकार को चाहिये कि कोई ठोस कदम उठायें ।

एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं यह है कि देहातों में और शहरों में भी, स्टेशनों पर और बस स्टैंडों पर जो क्वैक्स होते हैं उनकी एक फौज सी जमा हो जाती है । वे लोग भोली भाली जनता की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं । इन क्वैक्स पर रोकथाम लगाने के लिये आपको सक्रिय कदम उठाना चाहिये और इन पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो लोगों की जिंदगियों को खतरा उत्पन्न हो सकता है ।

चूंकि समय नहीं है, इस वास्ते मैं बहुत से प्वाइंट्स को कवर नहीं कर सका हूं और समाप्त करता हूं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : स्वास्थ्य के मामले में एक राज्य और दूसरे राज्य और राज्यो और केन्द्र में बिल्कुल समवाय होना चाहिये । यदि एक राज्य में बीमारी का उन्मूलन कर दिया हो और साथ वाले राज्य बीमारी हो तो वैसा कहा जा सकता है कि मेरा देश से बीमारी दूर हो गई । अतः केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सक सहायता के मामले में कोशिशों का समन्वय करना चाहिये ।

कुछ वर्ष पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के अध्ययन के लिये एक आयोग की स्थापना की । मेरे से भी कुछ चीजें पूछी गइ । मैं ने तीन बातें उन के सामने रखीं । एलोपथी चिकित्सा गांवो के लिये बहुत महंगी है । युनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली इस के मुकाबले में सस्ती है । दूसरे गांवों के लोगों के लिये यह चिकित्सा स्वाभाविक रूप से ठीक है । तीसरे इन चिकित्सा प्रणालियो में जड़ी बूटियां और औषधियां हैं जो कि अपने देश में मिल सकती हैं । इस लिय सरकार को चाहिय कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियो को अपनाया जाए । जो डाक्टर एलोपैथी में प्रशिक्षण लेते हैं वे गावों में जाना पसन्द नहीं करते । इस लिये इन चिकित्सा पद्धतियों को गांवों में प्रोत्साहन देना चाहिये ।

देश में भैषजिक संस्थाएं तेजी से खोली जा रही हैं । इस गति से डाक्टर, नर्सें और सहायक स्टाफ नहीं मिलता है । जिला, तहसील मुख्यालयों म नागरिक क्षेत्रों में डाक्टर इत्यादि मिल जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रो में कठिनाई है ।

साधारण बीमारियों के अतिरिक्त कुछ बीमारियां व्यापक और स्थानिक हैं । बहुत सी व्यापक बीमारियों पर काबू पा लिया है कई बार व्यापक बीमारियां, स्थानिक बीमारियां बन जाती हैं, ऐसी बीमारियां जो दबी सी रहती हैं उन का उन्मूलन करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्याम लाल सर्राफ]

केन्द्र और राज्यों को शिशु कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिये जो दवाईयां बताई जाती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिये ।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग की ओर ध्यान देना चाहिये । नगर आयोजन की ओर भी ध्यान देना चाहिये । नालियां ठीक तरह से बननी चाहियें । परिवार नियोजन की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सख्ती नहीं करना चाहता। माननीय सदस्यों को घण्टी की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

श्री मूल चन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं हिन्दी में बोलना चाहता हूं । एक शेर है :

"अपनी बहबूदी के मन्सूबे हुए, सब पायमाल,
बीज जो योरप ने बोया वह उगा और फैल गया ।"

जरा गौर कीजिए । एलोपेथी का पौधा जो योरप में बोया गया या कायम किया गया वह तो उगा, फला फूला, न सिर्फ यहां बल्कि दुनियां में, लेकिन यहां के जो तरीके इलाज के थे उनकी तरफ बहुत ही कम ध्यान दिया गया । मेरा मतलब है आयुर्वेद से और यूनानी से । ऐलोपेथी का जो सिस्टम है और जिस में इतनी तरक्की हुई है, मैं यह नहीं कह सकता कि उस में कोईखराबी है, उस में बहुत सी अच्छाइयां भी हैं । जो अमराज मुहलिक समझे जाते थे उन का इलाज उससे हो जाता है, इनमें में कोई शुबहा की बात नहीं है, लेकिन यह भी सच बात है कि इंजेक्शनों से आदमियों की मौत भी फौरन हो जाती है । मिनटों के अन्दर ही एक आदमी मर सकता है । एक हादसा जो हाल में नार्थ ऐवेन्य में एक एम० पी० के साथ हो चुका है, वह शायद आप को याद होगा । तो जहां उस इलाज में इतना फायदा है वहां यह भी अन्देशा है कि ज़रा सी देर में मामला खत्म हो सकता है इसी तरह से मेरी नोटिस में एक आदमी आया जिसके जिस्म में जब इंजेक्शन दिया गया तो उस की हालत खराब हो गई : जब दूसरा इंजेक्शन लगाया गया और काफी कोशिश की गई तब किसी तरह से वह अच्छा हुआ । तो बहुत सी खूबियां तो इस ऐलोपैथिक इलाज में हैं जिन की वजह से फायदा भी बहुत होता है, बहुत से मुहलिक मर्ज इस से अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नुकसान भी हो जाता है ।

आज कल देखने में आता है कि ज्यादातर मौतें हार्ट फेल्योर से होती हैं । मैंने एक दोस्त से पूछा कि आखिर हार्ट फैल्योर से ज्यादा मौतें क्यों होती हैं ? तो उन्होंने कहा कि ऐलोपैथिक सिस्टम का यह तरीका हो गया है कि जितनी बीमारियां हैं सब का इलाज हो सकता है, लेकिन आज कल बीमारियों से आदमी कम मरते हैं, हार्ट फैल्योर से ज्यादा मरते हैं क्योंकि इस का इलाज अच्छी तरह से अभी नहीं हो पाया है ।

यह सब बातें हैं लेकिन जो ऐलोपेथी सिस्टम है वह इतना एक्स्पेन्सिव हो गया है कि वह गांवों में या ग़रीब आदमियों के पास नहीं पहुंच सकता है । अक्सर यह सवाल पार्लियामेंट के सामने आया और कुछ पहले जो मिनिस्टर थीं उन्होंने अक्सर कहा कि वे यह चाहती हैं कि बेहतर इलाज का तरीका जो हिन्दुस्तान में हो सकता है वह वे यह के लोगों को दें । इसमें कोई शक नहीं है कि वैसा इलाँज देने की वहां कोशिश की जाती है, लेकिन उसके साथ यह भी देखने में आता है कि यह इलाज गावों में करोड़ों आदमियों के पास बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है । इस में इतना ज्यादा खर्च है कि कि एक गरीब आदमी या मामूली आदमी, इस मुल्क का उस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है । नतीजा

†मूल अंग्रेजी में

यह होता है कि कोई इलाज उन के पास नहीं पहुंच पाता। आयुर्वेद या यूनानी या होमियोपेथी ऐसे इलाज हैं जो आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि वह कुछ देर बाद हों, या मुमकिन है कि लोग कम अच्छे होते हों, लेकिन फिर भी इलाज जरूर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम आयुर्वेद, होमियोपैथी या यूनानी को प्रोत्साहन दिया जाय।

अभी एक किताब यहां तकसीम हुई है उस को मैंने देखा १५० से ऊपर पेजों में से सिर्फ ३ सफहों में यह मामला खत्म कर दिया गया है। अगर रुपयों की तादाद देखी जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत छोटा प्रपोर्शन रुपये का इसके लिये खर्च हो रहा है। जरूरत इस बात की है जो बड़े बड़े, अमीर आदमी हैं, जो इस खर्च को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिये ऐलोपैथिक सिस्टम जरूर रखा जाय क्योंकि वे हमेशा उसे पसन्द भी करते हैं, वे शायद मामूली इलाज को पसन्द न करें, लेकिन गरीब आदमियों के लिये, देहात वालों के लिये यह चीज जरूरी है कि सस्ते इलाज वाले इन तरीकों को प्रोत्साहन दिया जाय। आज यह देखा जाता है कि देहातों में कीमती इलाज पहुंच नहीं सकता है, कीमती दवायें वहां जा नहीं सकतीं, कीमती डाक्टर वहां रह नहीं सकते। जो अंग्रेजी पढ़े डाक्टर हैं वे गावों में जाना पसन्द नहीं करते। उन की हालत यह है कि अगर आप उन को वहां भेज दें तो न वहां सिनेमा है, न पिक्चर है, न उन की कोई सोसाइटी है। अंग्रेजी तालीम का असर यह जरूर हो गया है कि एक क्लास आफ पीपल बन गया है अंग्रेजी पढ़े लोगों का। जो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं हैं वे मामूली क्लास से आते हैं और अंग्रेजी पढ़े हुए लोग उन मामूली लोगों के साथ रहना पसन्द नहीं करते। अगर आप देहात में अंग्रेजी पढ़े डाक्टर को रखना चाहंगे तो वह वहां रहना पसन्द नहीं करेगा क्योंकि वहां उसके लिए सोसाइटी नहीं है, पिक्चर और सिनेमा नहीं है और जिस तरीके का उनका रहन सहन बहुत समय से रहा है वहां वह रहन सहन का तरीका नहीं है। तो अगर आप देहातों में एलोपैथिक सिस्टम को पहुंचाना चाहेंगे तो वह पहुंचेगा नहीं। वहां या तो आयुर्वेदिक सिस्टम पहुंच सकता है या यूनानी सिस्टम पहुंच सकता है या होमियोपैथी पहुंच सकती है। अगर आपकी यह मंशा है कि उनको कुछ न कुछ इलाज मिल सके, चाहे सब से अच्छा न मिले सके, तो आपको इन सिस्टम वालों को देहात में भेजना चाहिये। ये लोग देहात में रह भी सकते हैं। अगर इनको आप थोड़ी मदद दें तो लोगों को मामूली इलाज मिल सकता है और उनको फायदा पहुंच सकता है।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। मैं चाहता था कि इस रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े होते कि गत दस वर्षों में किन किन बीमारियों में कितनी कितनी कमी हुई है हिन्दुस्तान भर में। जैसा कि शराफ साहब ने और दूसरे लोगों ने कहा है, हैल्थ मिनिस्ट्री का काम केवल कोआर्डिनेशन का ही नहीं है। इस रिपोर्ट के चैप्टर १ में यह दिया हुआ है :

†"यद्यपि संविधान में उत्तरदायित्व इस प्रकार निर्धारित किया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि संघ सूची के मामलों के अतिरिक्त स्वास्थ्य के बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं। आम तौर पर, राज्य सूची के मामलों, जो कि मुख्यतः राज्यों के अधीन होते हैं, के बारे में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व समन्वय, जानकारी एकत्रित करना और देना, विशेषज्ञ प्राविधिक सहायता और मंत्रणा देना और देश के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये ऐसी सहायता देना इत्यादि है।"

इतना काम है इस मिनिस्ट्री का। यह तो मैंने माना कि गत दस वर्षों में मलेरिया में बहुत कमी हुई है और उस दिशा में काम भी हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि हार्ट डिसीजेज में या पैरेलिसिस में और दूसरी बीमारियों में क्या कमी हुई है। इसका फिगर आना चाहिये था। इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

में इस सम्बन्ध में कोई फिगर नहीं है, इससे हमें मामूली हुई है। कल ही प्रश्न उत्तर काल में बताया गया था कि हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय का काम इतना क्यूरेटिव नहीं है जितना कि प्रिवेंटिव है। जहां तक प्रिवेंटिव साइड का सम्बन्ध है रिपोर्ट में यह बताया जाना चाहिये था कि कौन कौन सी बीमारियों में क्या कमी हुई है और कौन कौन नई बीमारी जो आई उसको दबाया गया। इसका फिगर होता तो ज्यादा अच्छा होता।

बहुत सी बातें जो अभी सदन में कही गई हैं और जिनकी ओर दूसरे माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है उनकी ओर नहीं जाना चाहता। दिल्ली तो हैल्थ मिनिस्ट्री के पूरी तरह चार्ज में है। इसलिये मैं दिखाना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है।

पहले खाद्यपदार्थों की सफाई को लीजिए। यहां सड़कों पर अनेक होटल कायम हैं और सड़कों पर खाने का सामान बिकता है। इन चीजों में हानिकर कीटाणु न हों इस ओर ध्यान देना होगा। हम देखते हैं कि उन चीजों पर मक्खियां भिनभिनाती रही हैं और उनको लेकर लोग खाते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस कुज को चैक करे। हमारे नाक तले यह सब हो रहा है। यह कहना पड़ता है कि चिराग तले ही अंधेरा है। दिल्ली में जहां कि हैल्थ मिनिस्ट्री है वहां हम इन चीजों को नहीं रोक सकते तो देहातों में और दूसरे शहरों में कैसे रोक सकेंगे। आप जाइये कैनाट प्लेस में। वहां सड़कों पर होटल खुले हुए हैं। उनमें किस तरीके से खाना बनाया जाता है और किस घृणित तरीके से पीछे बरतन साफ किये जाते हैं उन्हीं लोगों को भोजन दिया जाता है। इससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं। इस ओर मंत्रालय कुछ ध्यान नहीं देता इस पर मुझे सख्त आश्चर्य है। यह नहीं है कि इस चीज में कोई कमी हो रही हो, बल्कि यह बढ़ता ही जाता है। मैं इस ओर मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो कैपिटल है उसकी ओर ध्यान दें और उसको माडल बनायें और लोगों के पेट में ऐसा कोई भी खाने का सामान न जाये तो इस कदर गन्दा हो और जिसमें रोग के कीटाणु भरे हों। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात है पानी की। यहां पर एक म्युनिसिपल कमेटी है। चूंकि वह नामिनेटेड है उसे चिंता नहीं। वह इरसपांसिबिल हो गया है। कोई ध्यान नचे देती कि कहां पर पानी मिलता है और कहां पर नहीं। इस कमेटी का रूल है कि लोगों से पानी के लिये सीक्योरिटी। मैंने लिख कर पूछा कि सीक्योरिटी क्यों ली जाती है उसका मुझे जवाब दिया गया जो इस प्रकार है :

†"प्रति भूति निक्षेप, बिलों, विशेष कर अन्तिम बिल जो जारी किये जाते हैं, के भुगतान न किये जाने पर समिति के हितों के लिये होता है।"

सीक्योरिटी में काफी रुपया रहता है और अगर कोई कंज्यूमर एक दो महीने डिफाल्ट करे तो उसमें से वह रुपया लिया जा सकता है। मैं आपको विंडसर प्लेस के एक केस का उदाहरण देना चाहता हूं। सीक्योरिटी जमा थी। लेकिन पानी का कनेक्शन काट दिया गया। नोटिस आया था कि ३० तारीख तक रुपया जमा कर दिया जाये, रुपया ३१ तारीख को जमा किया गया और पहली तारीखको कनेक्शन काट दिया गया। समझमें नहीं आता कि यह कमेटी जो मिनिस्टर साहब के अधीन काम करती है किस तरह से काम करती है खास कर के पार्लियामेंट के मेम्बर के घर का पानी का कनेक्शन काट दिया गया जबकि उनका सीक्योरिटी का रुपया जमा है। जिसमें से वह रुपया लिया जा सकता था। ऐसी इरेंसपांसिबिल कमेटी के संबंध में मिनिस्टर साहिब क्या कर रही हैं यह मैं जानना चाहूंगा। अगर उनको जरूरत हो तो मैं सारी कारेस्पांडेंस उनको दे सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यहां के अस्पतालों की हालत देखिये । आप जाइये लेडी हार्डिंग अस्पताल में या इरविन अस्पताल में या विलिंगडन अस्पताल में । वहां सुबह ७ बजे से लेकर १२ बजे तक दिन को रोगियों की भीड़ लगी रहती है और कोई उनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है । मैंने यह कई बार जाकर देखा है । जो हम लोगों की कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम है उसमें हम अपने सारे परिवार वालों का इलाज नहीं करवा सकते । उनमें तो हम चन्द लोगों का ही इलाज करवा सकते हैं । अन्य लोगों के इलाज के लिये हमको इन अस्पतालों में जाना पड़ता है । कांट्रीब्यटरी हैल्थ स्कोम में हम केवल उन लोगों का इलाज करा सकते हैं जिनको कि परिवार की अंग्रेजी परिभाषा के अनुसार फैमिली माना जाता है, यानी स्वयं पत्नी और बच्चे । अगर हमारी लड़की के एक लड़की हो गई जिसका नाम अभी नहीं है तो उसको कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम में दवा नहीं मिल सकती ।

अध्यक्ष महोदय : नाम रख कर ले जाइये ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : नाम लिखाने में हो तीन महीने लग जाते हैं इस बीच में अगर वह बीमार हो तो दवा नहीं मिलती है । तो मैं कहुंगा कि फैमिली के दायरे को कुछ बढ़ाइए । यह परिभाषा जो कि अंग्रेजी जमाने में बनायी गयी है हमारे लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहां तो ज्वाइंट फैमिली होती है । मेरे भाई भी जो मेरे साथ रहते हैं मेरी फैमिली के अंग हैं । मेरा ग्रांड सन है उसका इलाज मैं कांट्रीब्यटरी हैल्थ स्कीम में नहीं कर सकता । तो आपको फैमिली का दायरा बढ़ाना चाहिये । एक लड़की को जिकी शादी नहीं हुई थी, उस समय उसका इलाज कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम में होता था । कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गयी पर व अभी तक अपने पति के घर नहीं गयी थी । जब उसको कांट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम के अस्पताल में ले गये तो कहा गया कि इसका इलाज यहां नहीं चे सकता क्योंकि इसकी शादी हो गयी है और यह डिपेंडेंट नहीं रह गयी है । तो इस प्रकार की दिक्कत रहती है । दूसरे अस्पतालों में जायें तो वहां इतनी धक्का मुक्की और बद इन्तिजामी रहती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता । मैं तो कहता हूं कि मिनिस्टर साहिबा खुद जाकर यह देखें । उनको तो सब जानते हैं । अगर डिप्टी मिनिस्टर जाकर देखें तो उनको मालूम होगा कि क्या अवस्था है । तो मैं कहूंगा कि इस तरफ भी ध्यान कीजिए ।

इन बातों को मैंने पहले इसलिये कह दिया क्योंकि बड़ी बातें कहने में ये छोटी बातें छूट जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बड़ी बातों पर आने लगे हैं । मैं तो अब दूसरी घंटी बजाने वाला हूं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं एक दो मिनट इन बातों में लूंगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट्स के हैडक्वार्टर्स में यू० एन० ओ० के सहारे तपेदिक के अस्पताल हैं । उनमें बाहर के रोगियों की दवा होती है । और कुछ बैड्स भी इनमें रहते हैं । लेकिन उनका इन्तिजाम कुछ इम्प्रूव होना चाहिये । मेरी स्टेट में पटना में एक ऐसा ही अस्पताल है जो तपेदिक के मरीजों को दवा देता है । वहां उनकी जांच होती है । लेकिन इस मर्ज में केवल जांच से या दवा से पूरा फायदा नहीं होता ।

गरीबों के वास्ते जब तक अच्छे खाने पीने का प्रबन्ध न हो, केवल दवा से यह टयूबरक्लोसिस की बीमारी नहीं जा सकती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि अस्पताल एथारिटीज को यह मालूम हो जाय कि अमुक आदमी गरीब है और वह उस डाइट का अपने पास से इंतजाम नहीं कर सकता जोकि ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में उसे लेनी चाहिये तो अस्पताल वालों को उसे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये और इसके लिये भी कुछ कंट्रीव्यूशन सरकार की तरफ से होना चाहिये ।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

सैंट्रल हैल्थ सर्विसेज के बारे में जो फंड्स का एलोकेशन है उसको जब मैंने पढ़ा तो यह मालूम पड़ा कि थर्ड फाइव इयर प्लान में यह एलोकेशन पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। सेकेंड फाइव इयर प्लान में सेंट्रल हैल्थ सर्विसज के लिए ९० करोड़ रुपये का एलोकेशन हुआ था जबकि थर्ड फाइव इयर प्लान में ४५ या ६० करोड़ का ही किया गया है। मैं चाहूंगा कि इस कमी को स्टोर किया जाय और यह मिनिस्ट्री प्लानिंग कमिशन पर इसके लिये दबाव डाल कि ९० करोड़ रुपये का एलोकेशन रैस्टोर किया जाय बल्कि उससे भी अधिक फंड्स का इसके लिये प्राविजन हो। बस मुझे इतना ही कहना था।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, अब वे बैठ जाएं। डा० सिंघवी।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक ही छोटी सी बात निवेदन करनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० ल० म० सिंघवी को बुला लिया है। पहले उनको सुनिये बाद में मैं आपको बुलाऊंगा।

†**डा० ल० म० सिंघवी** (जोधपुर) : मैं देश में भैषजिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ाने के बारे में कहूंगा। हमारे देश में भैषजिक स्नातकों की कमी है।

शिक्षा राज्यों के अधीन है, परन्तु संविधान के ढांचे पर हमने कुछ प्रथाएं बनाई हैं, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार भी कुछ दिलचस्पी लेती है। राज्य सरकारें मैडिकल कालिज राजनैतिक दृष्टिकोण से खोलती हैं। इसे बन्द करना चाहिये। मैडिकल कालिज उन स्थानों में खोलने चाहियें जो उनके लिये उचित हों। जोधपुर में हस्पताल खोलने की सुविधाएं कई देर से हैं; परन्तु संसाधनों के वितरण में प्रतियोगिता के कारण वहां कालिज नहीं खोला जाता। ऐसा नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री इस मामले की ओर ध्यान दें। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि मैडिकल कालिज खोलने में राजनैतिक प्रभावों को हटाना चाहिये और उचित स्थानों पर कालिज खोलने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती लक्ष्मी बाई अब अपनी वह छोटी सी बात कह लें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : अध्यक्ष महोदय मैं अपनी स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया की सेवा में केवल यह निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे मैं अकेली हूं वह भी मेठी तरह से अकेली है। लेकिन अकेली होने का यह तो मतलब नहीं कि मैं कोई झाड़ व पत्ता हूं। मेरे पास किसी न किसी को रहना पड़ता है तो जो भी लड़का व बच्चा मेरे पास रहता है उसको भी सी० एच० एस से दवाई मिलनी चाहिये। उसको भी डाक्टरी इलाज की सुविधा मिलनी चाहिये।

मैं चाहती हूं कि वे जधर ध्यान दें और ऐसे लोगों को भी यह डाक्टरी इलाज की सुविधा सुलभ की जाय। बस मुझे इतना ही कहना था। जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

†**डा० क० ल० राव** (विजयवाड़ा) : अविकसित देशों में विशेषकर शुद्ध पानी का संभरण बहुत आवश्यक है। इससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कई लोग शुद्धजल न मिलने से मरते हैं। विदेशों में कई दूरी से शुद्ध पानी लाकर लोगों को दिया जाता है। बंगलौर बड़ा अच्छा औद्योगिक नगर है। कावेरी पर माण्ड्या से अच्छा पानी लाया जा सकता है, परन्तु नहीं लाया जाता है। इसी प्रकार विजयवाड़ा के पास से कृष्णा नदी बहती है, परन्तु नदी से शुद्ध जल लाकर नगर को नहीं

†मूल अंग्रेजी में

दिया जाता है। हमारी राष्ट्रीय नीति में जल संभरण पर पूरा बल नहीं दिया जाता। यह हमारी गहन समस्या है।

जल-संभरण की समस्या को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: शहरी और देहाती। देहातों में देश के ८० प्रतिशत लोग रहते हैं। देहातों के जल-संभरण की योजना पर ३०० करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे। अब मान लीजिये कि पूरी समस्या हल करने में पन्द्रह वर्ष लगेंगे, अर्थात् प्रत्येक योजना में १०० करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिये। इस योजना के साढ़े तीन वर्षों के लिये अब हमें ७० करोड़ रुपये चाहिये। इतनी राशि की व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत की भी गई है। लेकिन विभिन्न मंत्रालयों में इस राशि को फैला देने के कारण ही कोई ठोस काम नहीं हो पाता। इसलिये समस्त राशि का आवंटन स्वास्थ्य मंत्रालय को ही कर दिया जाना चाहिये। तभी कोई व्यापक योजना तैयार की जा सकती है।

सरकार कहती है कि इस का आधा व्यय राज्य सरकारों को भरना चाहिये। राज्यों के लिये यह सम्भव नहीं है। इसलिये सारा खर्च केन्द्र को करना चाहिये। केन्द्र को यह अपेक्षित राशि अनूदानों के रूप में राज्यों को देनी चाहिये।

शहरों के जल-संभरण की समस्या ज्यादा कठिन है। देश में शहरों की संख्या २,६१० है, जिसमें से ११० शहरों की आबादी एक लाख से ऊपर है और ८८ शहर ऐसे हैं जिनकी जन संख्या दस लाख से ऊपर है। अनुमान है कि शहरी जल संभरण और सफाई की व्यस्वथा पर हमें ६०० करोड़ रुपय खर्च करने पड़ेंगे। उतनी अधिक राशि को देख कर ही शायद हम इस काम को हाथ में लेने से हिचक रहे हैं।

इसके सम्बन्ध में मेरा एक व्यावहारिक सुझाव है। इसे पन्द्रह वर्षों में पूरा करने के लिये हमें तीन योजनाओं में से प्रत्येक के लिये ३०० करोड़ रुपये चाहिये, जबकि मंत्रालय को ८६ करोड़ रुपयों का आवंटन किया जा चूका है। मेरा सुझाव है कि योजना आयोग उसे १०० करोड़ रुपये आवंटित कर दे। तब २०० करोड़ रुपये की कमी रह जायेगी। कुशल योजनीकरण द्वारा हम एक तिहाई व्यय की बचत कर सकते हैं। तब हम इस समस्या को क्रमिक ढंग से हल कर सकते हैं। उससे ३० गैलन प्रति व्यक्ति के स्थान पर २० या १५ गैलन प्रति व्यक्ति तो जूटा सकते हैं। उससे अभी काम चल ही जायेगा। व्यय में भी २५ प्रतिशत बचत आसानी से हो जायेगी।

और यह जरूरी नहीं है कि नल हमेशा ढले हुए लोहे के ही लगाये जायें। हम उसकी जगह कंकरीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक से भी काम लिया जा सकता है। उससे भी एक-तिहाई व्यय की बचत हो सकती है।

और शेष, १०० करोड़ रुपये की राशि स्थानीय निधियों और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से पूरी की जा सकती है।

इन जल संभरण योजनाओं के लिये विभिन्न भवन-निर्माण और औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिये आवंटित राशि का एक भाग दिया जा सकता है, क्योंकि उनके लिये भी जल की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार तीन योजनाओं के लिये ६०० करोड़ रुपये जूटाये जा सकते हैं। और ३०० करोड़ की बचत करके, ६०० करोड़ रुपये का काम पूरा किया जा सकता है।

[डा० क० ल० राव]

लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नदियों, बरसात, मौसिम, इत्यादि के संबंध में छानबीन करके, सामग्री जूटाने की योजनायें चालू की जानी चाहिये। उस प्रकार प्रति वर्ष डेढ़ करोड़ रुपये व्यय होंगे। स्वास्थ्य मंत्री को डेढ़ करोड़ रुपये के आवंटन की मांग योजना आयोग से करनी चाहिये। वह डेढ़ करोड़ रुपये की राशि राज्यों में विभाजित कर दी जानी चाहिये तभी लोगों को विश्वास आयेगा कि आप जल संभरण की समस्या के प्रति सजग हैं।

साथ ही केन्द्र में एक नमुना-संगठन बनाना भी अत्यावश्यक है। उस कार्यालय का काफी विस्तार किया जाना चाहिये। कई ऐसी परियोजनायें हैं जिनको सहयोजित करने से प्रगति और भी शीघ्रत्र की जा सकती है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अलावा राज्यों में प्रादेशिक जल बोर्ड भी रहने चाहिये। प्रत्येक एक करोड़ की आबादी पीछे एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये।

यह समस्या अविलम्बनीय है। अन्यथा कुछ दिनों बाद देश की आबादी भी बढ़ जायेगी और निर्माण-व्यय भी। तब उसे हल करना असंभव हो जायेगा।

राष्ट्रीय जल-संभरण योजना को तुरंत ही कार्यान्वित करने में लग जाना चाहिये। जल संभरण पर ही देश के स्वास्थ्य का दारोमदार है।

†**श्री शिवचरण गुप्त** (दिल्ली सदर) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की अनूदानों की मांगो का समर्थन करता हूं। स्वास्थ्य के लिये प्रथम योजना में १४० करोड़ रुपये दिये गये थे। अब तृतीय योजना में ३४१.८० करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। लेकिन सभी माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि यह राशि कुछ अधिक होनी चाहिये।

नगर और ग्राम योजनीकरण का काम स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा गया है। यदि इस महत्वपूर्ण समस्या का हल अभी इसी समय करने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा, तो बाद में दस साल बाद इसका व्यय पांच गूना बढ़ जायेगा।

तृतीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और राज्यों की योजनाओं के लिये २.४ करोड़ रुपये की। स्वास्थ्य मंत्रालय के आय व्ययक में १९६१–६२ के लिये ३० लाख रुपये और १९६२–६३ के लिये ६० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी तक केवल राज्यों की राजधानियों तक ही हमारा ध्यान सीमित रहा है। उससे आगे हम नहीं बढ़ सके हैं। जबकि देश में २६०८ नगर हैं, जिनमें से ११५ की आबादी एक लाख, १०० की ५०,००० से १ लाख तक, ३११ की २०,००० से ५०,००० और १४२९ की २०,००० के लगभग है।

तृतीय योजना में ग्राम्य औद्योगिक बस्तियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन उसके लिये वहां बसने वाले लोगों के लिये आवास की भी आवश्यकता पड़ेगी। उससे फिर गंदी बस्तियां बनने लगेंगी।

इसकी ओर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये। समस्या की विशालता को देखते हुए हम अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के विकास के हित की दृष्टि से सरकार को दिल्ली की वृहत् योजना के संबंध में तुरंत ही अपना अन्तिम निर्णय कर लेना चाहिये ।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से लगता है कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के विकास के लिये अलग-अलग कई अभिकरण बनाये जायेंगे ।

१९८१ में दिल्ली की आबादी ५५ लाख हो जायेगी, पुरानी दिल्ली की जन संख्या अनुमानतः ८ लाख बढ़ जायेगी । इसलिये इसका महत्व अत्यधिक हो जाता है । पुरानी दिल्ली की विकास-योजनाओं की कार्यान्विति का भार स्थानीय प्राधिकार को सौंपा जायेगा। इस प्रकार विभिन्न प्राधिकार बनाने का हमें कटु अनुभव है। उसमें अपव्यय भी अधिक होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि एक ही प्राधिकार नियुक्त किया जाये ।

जब भी पुरानी दिल्ली का प्रश्न उठता है कई राजनीतिक प्रश्न खड़े हो जाते हैं । पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारें उसकी ओर अधिक रुचि नहीं दिखातीं । पुरानी और नई दिल्ली के क्षेत्रफल में २२२ वर्गमील का अन्तर रह जाता है । इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिये ।

दिल्ली के चारों ओर कई रिंग-नगर विकसित किये जाने हैं। इसलिये कि बढ़ने वाली आबादी को उनमें अंटाया जा सके ।

इन सभी योजनाओं में ध्यान इस बात का रहना चाहिये कि दिल्ली के शहरी विकास के साथ-साथ, छहों रिंग-नगरों को अपने आप में पूर्ण और आत्म-निर्भर बनाने के साथ-साथ उनका सांस्कृतिक सम्पर्क केन्द्रीय नगर से अविछिन्न बना रहे ।

समूचा विकास एक सुनियोजित ढंग से होना चाहिये ।

इन रिंग-नगरों के विकास से उत्तर प्रदेश और पंजाब को काफी सहायता मिलेगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि एक ही विकास प्राधिकार बनाया जाये । एक ही विकास-परिषद् हो, कई प्राधिकार न हों ।

दिल्ली के संघ क्षेत्र का विकास और योजनीकरण एक ही प्राधिकार के अधीन रखने का प्रस्ताव इसीलिये अच्छा है कि विकास उचित ढंग से हो सकेगा । पुरानी दिल्ली पर भी यही सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिये ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य के विषय में इतनी रुचि ली है । विशेषकर डा० राव ने बड़े रचनात्मक सुझाव रखे हैं । हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम माननीय सदस्यों की आशा के अनुसार अपना कार्य सम्पन्न करते रहें ।

मेरे पूर्ववर्ती डा० करमरकर और राज कुमारी अमृत कौर ने सारे देश के स्वास्थ्य कार्यक्रम की एक ठोस नींव तैयार कर दी थी । देश में १९५०–५१ में चिकित्सा कालेजों की संख्या ३० थी, जो १९६२ में ६६ हो गई है, जिनमें लगभग ७,००० विद्यार्थी चिकित्सा की शिक्षा लेते हैं । सभी मानते हैं कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति बहुत अच्छी रही है । चेचक के उन्मूलन का कार्यक्रम आरम्भ करने का भी एक दृढ़ आधार तैयार कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

दिया गया है । जिलों के आधार पर लगभग २०० तपेदिक के क्लिनिक स्थापित किये जा चुके हैं । प्रस्ताव है कि प्रत्येक जिले में ऐसे तपेदिक क्लिनिक्स स्थापित किये जायें । हमने हर दिशा में प्रगति की है । फिर भी हमारी आवश्यकतायें इतनी बड़ी हैं कि लोग अधीर हो उठते हैं । और यह स्वाभाविक है । असंतोष रहने से प्रगति में सहायता मिलती है ।

हर स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने स्वास्थ्य कार्यक्रम के तीन पहलू रहते हैं——रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य बनाने के लिये रचनात्मक उपाय और बीमारों की चिकित्सा । स्वास्थ्य अभिवृद्धि की के दृष्टि से सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं मानती हूं कि यदि हमारे देश की जनता को अधिक पोषक भोजन, रहने की बेहतर व्यवस्था, इत्यादि मिले सके तो रोगों की संभावना बहुत घट जायेगी ।

डा० क० ल० राव ने बिलकुल ठीक कहा है कि यदि स्वच्छ जल का संभरण और गंदगी हटाने की समुचित व्यवस्था हो तो रोगों की संभावना ७५ प्रतिशत कम हो जायेगी । और यह भी ठीक है कि आय अधिक होने पर जनता खाद्य, वस्त्र, इत्यादि पर अधिक व्यय कर सकेगी । शायद इसी-लिये हमारे देश के योजनाकारों ने उत्पादक क्षेत्रों पर इतना जोर दिया है ।

जैसा कि श्री अ० सिं० सहगल ने बताया है कि उद्योग के लिये तो राशियों की व्यवस्था ७.६ प्रतिशत से बढ़ कर २६.५ प्रतिशत कर दी गई है, पर स्वास्थ्य के लिये वह ५.९ प्रतिशत से घट कर ४.२५ प्रतिशत ही रह गई है । तृतीय योजना में इस प्रकार देश के उत्पादक क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जाना तो उचित है, लेकिन स्वास्थ्य के लिये राशि में कटौती करना अनुचित है। हमारा अनुभव बताता है कि स्वस्थ व्यक्ति ही कारखानों और खेतों में अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और स्वस्थ बालक ही शिक्षा तथा संस्कृति की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं । मेरा ख्याल है कि हमें मामलों पर अधिक ध्यान देना चाहिये । यह तो सही है कि हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना चाहिये, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सम्पदा की अभिवृद्धि का बुनियादी उद्देश्य मानव स्वास्थ्य ही है । आखिर सम्पदा मानव सुख और संमृद्धि के लिये ही तो होती है। स्वास्थ्य के बिना सुख का कोई अर्थ ही नहीं होता । बीमार आदमी के लिये सारी समृद्धि व्यर्थ होती है ।

इसलिये मैं उन कई माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं कि तृतीय योजना में स्वास्थ्य के लिये जितनी राशि की व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है। उनके साथ ही मैं भी, आशा करती हूं कि शायद आगे चल कर वह राशि बढ़ा दी जायेगी । लेकिन बहुत अधिक आशा भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि योजनाकारों के पास भी अपरिमित धन तो है नहीं, उनकी अपनी भी कठिनाइयां हैं ।

कई माननीय सदस्यों ने संक्रामण योग्य, लगने वाली बीमारियों के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। उनके कारण बहुत लोगों को रोगी बनना पड़ रहा है। उनके कारण मरने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक नहीं है जितनी कि रोगी बनने वालों की। उनके कारण जनता की उत्पादन शक्ति, कार्यक्षमता और सुख-समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक मलेरिया के कारण ही करोड़ों लोगों को शिकार बनना पड़ता था। इसीलिये १९५३ में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, जो १९५८ में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बन गया था । १९५४ से १९६० तक के दशक में मलेलिरया का प्रकोप १० से घट कर १ प्रतिशत रह गया है । आशा है कि तृतीय योजना काल की समाप्ति तक मलेरिया का पूरी तौर से उन्मूलन हो जायेगा । वास्तव में मलेरिया नाशक दवा छिड़कने वाले दस्तों की संख्या अब घटाई भी जाने लगी है । ३९० दस्तों में से

१४० दस्ते १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक वापस बुला लिये गये हैं। शेष दस्तों को भी वापस बुलाने के प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि उससे कहीं मलेरिया का प्रकोप फिर तो नहीं बढ़ जायेगा।

यहां एक बात और बता दूं कि मलेरिया के मच्छरों के नाश के लिये दवा छिड़कने वाले दस्तों को वापस बुलाने पर एक मच्छरों की संख्या फिर काफी बढ़ जायेगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि उन मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मनुष्यों में मलेरिया का जोर तब तक खत्म हो चुका होगा। अच्छा तो यही होता कि मच्छरों का नाम ही न रहता, क्योंकि तब मच्छरों से पैदा होने वाले अन्य रोगों की भी संभावना मिट जाती, लेकिन वह तो एक इतना बड़ा काम है कि संसार के उन्नत से उन्नत देशों को भी मच्छरों से पूरी तरह छटकारा नहीं मिल पाया है।

मैं चाहती तो यही थी कि सभा को वचन दे सकती कि देश को मच्छरों से पूरी तौर पर मुक्ति दिला दूंगी। लेकिन वह काम अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय के बस का नहीं है। उदाहरण के लिये, कई विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्यों और परियोजनाओं के दौरान इंजीनियर लोग बड़े-बड़े गढ़े सड़कों और रेलवे लाइनों के दोनों ओर खुदवाकर छोड़ देते हैं। उनमें मच्छर पैदा हो जाते हैं बरसात के दिनों में। इसी प्रकार उद्योग-धन्धे तो बढ़ रहे हैं, पर उद्योगपति यह नहीं समझते कि औद्योगिक कूड़े-कबाड़ को हटाने के लिये योजनापूर्ण ढंग से काम करना जरूरी है। सरकार और जनता चाहती है कि उद्योगों का शीघ्रातिशीघ्र विकास हो, इसलिये वह कूड़ा-कबाड़ को हटाने की जरूरी शर्त पर जोर नहीं देती। नतीजा यह होता है कि उससे गन्दगी बढ़ती है और मच्छर पैदा होते रहते हैं। आपने स्वयं ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इत्यादि राज्यों में चीनी के कारखानों के आसपास ऐसा कूड़ा-कबाड़ जमा हुआ देखा होगा।

अत्यावश्यक है कि विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्यों में लगे सभी विभागों, सभी मंत्रालयों और सभी लोगों को इस प्रकार अनियोजित ढंग के नगरीकरण और औद्योगीकरण का खतरा महसूस कराया जाय। गन्दगी जमा न होने दी जाये। मच्छरों और मच्छरों से पैदा होने वाले रोगों की रोक-थाम के लिये पूरी-पूरी सावधानी रखी जाये। मच्छरों के प्रकोप की समस्या इतनी टेढ़ी हो गई है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को उससे बड़ी चिन्ता पैदा हो गई है। "फाइलेरिया" का खतरा बढ़ रहा है। कुछ समय पहले अनुमान लगाया गया था कि लगभग २ करोड़ ५० लाख व्यक्ति 'फाइलेरिया' से प्रभावित क्षेत्रों में हैं और उनको रोग लग सकता है। सरकार ने १९५५–५६ में इस समस्या की छान-बीन और उसके खतरे के मूल्यांकन के लिये कुछ दस्ते नियुक्त किये थे। उनके प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 'फाइलेरिया' से प्रभावित क्षेत्रों की जन संख्या साढ़े छः करोड़ हो चुकी है और निरन्तर बढ़ती जा रही है। उसका मूल कारण यही है कि नगरीकरण और औद्योगीकरण की बेहिसाब बढ़ती हो रही है। विकास योजना पूर्ण ढंग से नहीं हो रहा है। फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों के लोग रोजी के लिये ऐसे क्षेत्रों में आते जा रहे हैं जहां फाइलेरिया का प्रभाव पहले नहीं था। मच्छर तो सभी जगह हैं ही। वे मच्छर जब 'फाइलेरिया' के कीटाणुओं से प्रभावित हो कर मनुष्यों को काटते हैं तो नये क्षेत्रों में भी 'फाइलेरिया' फैलने लगता है। अनुमान लगाया गया है कि 'फाइलेरिया' से प्रभावित क्षेत्रों को १० प्रतिशत जनता के रक्त में 'फाइलेरिया' के कीटाणु मौजूद रहते हैं। दिल्ली के सामने भी अब यही खतरा बढ़ता जा रहा है। कई माननीय सदस्य 'फाइलेरिया' से प्रभावित क्षेत्रों से आये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब तो शायद सभा की बैठक भी नहीं करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : मेरा यह मतलब नहीं था। बल्कि मैं आप से अनुरोध करूंगी और आपका सहयोग चाहूंगी इसमें कि सभी माननीय सदस्य अपने और अपने परिवार के लोगों के रक्त की परीक्षा करा लें। मैं यह भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक माननीय के घर में हमें सात व्यक्ति ऐसे मिले थे जिनके रक्त में "फाइलेरिया' के कीटाणु सक्रिय थे।

वह लोक-सभा के सदस्य थे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे इसमें हमारे साथ सहयोग करें।

फिर चेचक की समस्या है। इस के द्वारा जो व्यथा होती है, वह इस बात को सोचकर और भी बढ़ जाती है कि इसे आसानी से रोका जा सकता है। आप ने देखा होगा कि इस बीमारी की शक्ल कितनी खराब हो जाती है। इस के अलावा, भारत में चेचक अन्धेपन का सब से बड़ा कारण है इसलिए ऐसे रोगों को रोकना हमारा कर्तव्य है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों का चेचक के टीके लगाने का एक विस्तृत कार्यक्रम है। यदि माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन टीकों के लिए उत्साह पैदा कर सकें, तो काम हो जाये। इस वक्त भी कुछ लोगों के दिल में विरोध की भावना है। मैंने बहुत सी स्त्रियां देखी हैं जो लोटे से देवी पर पानी डालती हैं, क्योंकि उन का ख्याल है कि यह किसी दैवी कोप के कारण होता है। यह उत्तर-प्रदेश और बिहार में बहुत प्रचलित है।

भारत सरकार ने १९५८ या १९५९ में चेचक दूर करने की समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी, जिसकी रिपोर्ट १९६० में दी गई थी। १९६० में अग्रिम परियोजनाएं हर राज्य में शुरू की गई थीं। अब हम सारे देश में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं।

मलेरिया का कार्यक्रम केन्द्र द्वारा चालित था। चेचक के कार्यक्रम को भी दूसरी योजना में केन्द्रीय द्वारा सहायता प्राप्त बनाया गया था। राज्यों ने यह आन्दोलन १ अप्रैल, १९६२ को शुरू करना था। उन्होंने अभी शुरू नहीं किया, क्योंकि वे मंजूर किया हुआ रुपया खर्च नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों ने, कुछ राज्यों ने रुपया अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में लगा दिया है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। जब तक कार्यक्रम सारे राज्य में पूरा न किया जाये, ऐसे राज्य से जो पीछे रह जाता है, बीमारी फिर फैल जाने का डर रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों से अनुरोध करता रहा है कि वे एक ही समय पर इस कार्यक्रम को लेकर इसे सफल बनायें। मुझे आशा है, यह शीघ्र हो जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय और सामुदायिक विकास मंत्रालय ने एक समझौता कर लिया है कि उन दोनों के कर्मचारी मिल कर सभी खंडों में काम करके चेचक के टीकों के कार्यक्रम को सफल बनायेंगे।

कानपुर के दौरे में, मैंने देखा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर डाक्टरी संस्था ने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग देने की इच्छा प्रकट की। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने कहा कि वे वरिष्ट विद्यार्थियों की सेवाएं उन्हें देंगे। यदि वे मिलकर काम करें, तो एक दो महीनों में टीकों का काम समाप्त हो सकता है। इस तरह यदि अन्य जिलों में भी यही भावना काम करे, तो चेचक उन्मूलन कार्यक्रम सालों की बजाय महीनों में पूरा किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय एक तीन वर्षीय कार्यक्रम विशेषज्ञों ने बनाया है । यह इस लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने १९६२-६३ में चेचक की बत्ती फैलने की पेशीनगोई की है । यह स्पष्ट है कि बेशुमार बच्चों को बचाने के लिए सब उपाय करने पड़ेंगे । माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा कर इस कार्यक्रम पर ध्यान दें, तो यह सफल हो सकता है ।

अन्धेपन को रोकना विश्व स्वास्थ्य संस्था का इस साल का नारा है, इस देश में १०० लाख अन्धे हैं । चेचक के अतिरिक्त, अन्धेपन का दूसरा बड़ा कारण--ट्रेकोमा है । हम इस बीमारी को भी शीघ्र से शीघ्र खत्म करना चाहते हैं। १९५९ में अलीगढ़ में--नियन्त्रण पर नियंत्रण करने के लिए एक अग्रिम परियोजना शुरू की गई थी। पंजाब और उत्तर प्रदेश को छोड़ कर सब राज्यों में सर्वेक्षण समाप्त किये जा चुके हैं। क्षेत्रीय चिकित्सीय नियंत्रण, जो सब से पहले, उत्तर प्रदेश में शुरू किये गये थे, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, और गुजरात में चालू कर दिये गये हैं। इस लिये हमें राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का पर्याप्त अनुभव हो चुका है ।

श्रीमती विमला देवी ने कहा है कि हम पिछले पंद्रह वर्षों में देश में एक भी संक्रामक रोग दूर नहीं कर सके । हमें आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक भारत मलेरिया, चेचक, ट्रेकोमा और गलगण्ड से मुक्त हो जायेगा । गलगण्ड कांगड़ा और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और कुछ अन्य स्थानों पर फैला हुआ है । यह आयोडीन की कमी से होता है । इसलिए विशेष आयोडीन तैयार कर के इन क्षेत्रों में वितरित की जायेगी ।

हैजा एक और बड़ा शत्रु है । मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझती हूं । यदि कलकत्ता के जल सम्भरण और निकास का कार्यक्रम सफल बनाया जा सके, तो इस रोग पर भी नियंत्रण हो जायेगा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की राय में हैजा दक्षिण हावड़ा के एक क्षेत्र से सारे भारत में फैलता है । यदि हम इस क्षेत्र में जल सम्भरण नालियां, मलमूत्र आदि को हटाने का वैज्ञानिक रूप से प्रबन्ध कर सकें, तो कुछ आशा की जा सकती है । कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कलकत्ता के लिए जलसंभरण तथा सफाई की योजना कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष समझौता किया जा रहा है और वे काफी सहायता देंगे । फोर्ड प्रतिष्ठान के विशेषज्ञों की एक उपसमिति स्थापित की गई थी, जिसने अल्प-कालीन और दीर्घ-कालीन सिफारिशें की हैं। उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार को सलाह दी है कि वह एक कलकत्ता महानगरीय प्राधिकार स्थापित करे, जो राज्य सरकार और कलकत्ता निगम के बीच सम्बन्ध का काम दे । राज्य सरकार ने कलकत्ता महानगरीय आयोजन प्राधिकार स्थापित कर दिया है, जो योजनाएं और अनुमान बना रहा है । इस पर लगभग २ करोड़ रुपये खर्च आयेगा । कलकत्ता महानगरीय प्राधिकार स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता-पूर्व) : राज्य सरकार और कलकत्ता निगम के बीच कोई बात चीत नहीं हुई ।

†**डा० सुशीला नायर :** मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को लिखूंगी । उन दोनों को मिलकर काम करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

माननीय सदस्यों ने सांक्रामिक रोगों के कारण बच्चों की मौतों का उल्लेख किया है, ऐसे रोग काली खांसी डिफ्थीरिया और पोलियो आदि हैं। केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था कसौली पर एक टीका तैयार करने की योजना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ ने पिछले वर्ष वहां दौरा किया था और संस्था के एक पदाधिकारी को इस की प्रक्रिया देखने के लिए विदेश भेजा गया था।

टीकों के कुछ नमूने तैयार करके बाहर भेजे गये थे और वे ठीक प्रकार से सिद्ध हुए हैं और इस का उत्पादन चालू वर्ष के अन्त तक शुरू हो जायेगा इन टीकों का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। इसके लिए भी कुछ सिफारिशें की गई हैं, जो राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

यद्यपि इस टीके की २० लाख खुराकें बम्बई की हाफ़काइनी संस्था, और लगभग ७० लाख खुराकें कसौली में बनेंगी, एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिये ४३०० लाख खुराकें चाहिये। निजी फर्मों, जैसा कि ग्लैक्सो आदि को भी टीका तैयार करने का लाइसेंस दिया गया है। ग्लैक्सो २०० लीटर टीका बनायेगा। चूंकि सरकारी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में उत्पादन शुरू किया गया है, इस की कीमतों में पिछले तीन साल से कमी हुई है।

श्रीमती बिमला देवी ने चेचक के टीके बछड़े के लसीका के बजाये 'टिशु कलचर' से बनाये जाने की संभावना का उल्लेख किया है। इस की जांच की गई है और कूनूर की प्रयोगशालाओं में पुनः प्रयोग किये गये हैं किन्तु हमारी आवश्यकताएं इतनी हैं कि बन्दरों के गुरदे और विशेष प्रकार के अन्डे हमारे लिए काफ़ी नहीं होंगे। इस समय हम काफ़ी टीके पैदा कर रहे हैं, किन्तु चेचक के लिए हमें अधिकतर रूस से प्राप्त हो रहे हैं, जो 'टिशु कलचर' से तैयार नहीं किया गया होता बल्कि नियमित तरीके से।

अनुमान है इस समय भारत में लगभग ५० लाख व्यक्तियों को क्षय रोग है, जिन में से १५ लाख सांक्रामिक हैं। इस से प्रकट होगा कि समस्या कितनी बड़ी है और सब के लिए अस्पतालों का इलाज संभव नहीं है, चाहे हम उन में सस्ते से सस्ते स्थान बन वायें। हमें अधिकतर घर के इलाज पर निर्भर करना पड़ेगा।

मद्रास के केन्द्र में किये गये प्रयोगों से पता लगा है कि यदि दवायें नियमित रूप से खाई जायें, तो अस्पताल और घर के इलाज के परिणामों में कोई अन्तर नहीं होता। आहारपोषण का बहुत महत्व है और इस में सुधार होना चाहिये किन्तु संक्रमण को रोकना आवश्यक है, ताकि यह और न फैले।

पोलियो के लिए हम एक मुंह के द्वारा लिया जाने वाला टीका तैयार कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जल्दी से ऐसा करना अत्यावश्यक है क्योंकि सफ़ाई की हालत में सुधार के साथ बीमारी से उन्मुक्ति भी कम होती जाती है, जिस से पोलियों का आघात बाद में अधिक होता है। इसलिये पश्चिमी देशों की तरह हमें भी उन्मुक्ति के उपाय करने पड़ेंगे।

बुढ़ापे की बीमारियों---दिल के रोगों और कैंसर का उल्लेख किया गया है। श्री दुबे ने ठीक कहा है कि लम्बी उम्र के कारण इन बीमारियों का अनुपात बढ़ रहा है।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : दिल की बिमारियां केवल बूढ़ों को ही नहीं बल्कि युवकों को भी होती हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : मैं बहुत वृद्ध लोगों की बात नहीं कह रही। मैं १० से ५० या ५५ तक की आयु वालों की बात कर रही हूं क्योंकि इन्हें ही दिल की बीमारियां अधिक होती हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अन्य बातों के अतिरिक्त आजकल के रहन सहन की रफ्तार, चिन्ताएं और खाद्य इस के लिए उत्तरदायी हैं। जमाये हुए तेल दिल के लिए हानिकारक सिद्ध हुए हैं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : आप इन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते ?

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य स्वयं उत्पादकों की सिफारिशें करेंगे और कहेंगे कि बहुत लोग बेकार हो जायेंगे।

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा की मांग के बारे में, मैं आप को बताना चाहूंगी कि, ग्रामीण लोग शिकायत करते हैं कि ऐसी चिकित्सा शहरों में दी दी जाये, हों आप अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा दें।

डाक्टरों की संख्या के बारे में एक सदस्य ने कहा है कि लगभग १७.३ प्रतिशत केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। दूसरी योजना के अन्तर्गत हमने ३००० केन्द्र स्थापित किये हैं। और तीसरी में ये ५००० अर्थात् प्रत्येक खंड में एक हो जायगा। मैं पश्चिम बंगाल सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उसने डाक्टरों की सेवा की शर्तों में सुधार कर दिया है। हमने अन्य राज्यों को भी इस बारे में लिखा है।

हम प्रत्येक राज्य के एक जिले में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि स्वास्थ्य केन्द्र में हर तरह के निदान और इलाज की सुविधाएं हों, ताकि ग्रामीण लोग आधुनिक चिकित्सा से लाभ उठा सकें।

स्वास्थ्य मंत्रालय जल संभरण के मामले के महत्व को अच्छी तरह समझता है और इस के प्रति सजग है और ग्रामों को इस समस्या के हल के लिए सब कोशिशें की जायेंगी। शहरी क्षेत्रों में भी इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे। मैं डा० राव के रचनात्मक सुझावों के लिए आभारी हूं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में एक पीने का पानी बोर्ड स्थापित करने का विचार है, जिस में अन्य संबंधित मंत्रालयों योजना आयोग प्रतिनिधि और कुछ गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल होंगे। यह बोर्ड सब संसाधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करेगा। तीसरी पंच-वर्षीय योजना में ग्रामीण जलसंभरण के लिए केवल ६७ करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि आवश्यकता ३०० करोड़ रुपये की है। बोर्ड को सब संसाधनों से लाभ उठाने के प्रश्न पर विचार करना होगा, गहरे नलकूप जो सिंचाई के लिए खोदे जाते हैं, कम से कम २५,००० गैलन प्रतिघंटा निकालते हैं। इस में कुछ गैलन पास के ग्रामों के पीने के लिए जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

१०,००० से १२,००० गैलन से कम पानी देने वाले नलकूपों को असफल समझा जाता है । और उन्हें छोड़ दिया जाता है । इन में से कुछ पीने के पानी के काम में लाये जा सकते हैं। बोर्ड उन कूंओं को भी जो खोदे तो तेल के लिए जाते हैं, किन्तु जिन में निकलता पानी है, तेल मंत्रालय से ले सकता है ।

शहरी जल संभरण के लिए हम ने ८८.९५ करोड़ रुपये रखे हैं। जब कि मकता ९०० करोड़ रुपये की है । इस समस्या का हल कैसे होगा ? यह लगभग संभव मालूम होता है, जब तक कि इस पर किसी नये तरीके से विचार किया जा सके ।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र झांसी में माताटीला से झांसी पानी लाने की योजना है जिस पर लगभग २ करोड़ रुपये व्यय होंगे । यह एक संयुक्त कार्य है जो प्रतिरक्षा मंत्रालय जिसकी वहां बड़ी छावनी है, राज्य सरकार और नगरपालिका के सहयोग से किया जा रहा है । स्वास्थ्य मंत्रालय का इस में हाथ हो सकता है क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले कुछ गांवों को पानी दिया जा सकता है और शायद रेलवे मंत्रालय भी शामिल हो सकता है क्योंकि उसका वहां एक बड़ा कारखाना है। रेलवे मंत्रालय अभी योजना में शामिल नहीं हुआ है। मुझे आशा है कि वे इस पर भी विचार करेंगे । कम से कम कुछ स्थानों में ऐसा सहयोगी दृष्टिकोण हो सकता है । इस समस्या को हल करना है ।

फिर, श्रीमन औषधियों तथा खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की समस्या आती है, इस बारे में मैं माननीय सदस्यों की उत्सुकता से सहमत हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : मैं जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के जो और नियम हैं, व्यायाम आदि करना या लोगों को ऋतु के अनुकूल भोजन मिले और आदमी दवाओं के बिना भी आसन, प्राणायाम आदि कर के ठीक रहें, उसके लिए भी आपका मंत्रालय क्या कुछ करता है ?

डा० सुशीला नायर : जी हां...

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नंदा जी शायद इसके लिए हैं।

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि अभी केन्द्रीय मंत्रालय ने एक नेचर क्योर कमेटी की स्थापना की है जो इन चीजों की तरफ तवज्जह देगी, कुछ रिसर्च वगैरह की तरफ भी तवज्जह देगी । साथ ही साथ जो कांट्रीब्युटरी हैल्थ स्कीम चल रही है दिल्ली में, उस में कितनी जगहों पर योग एक्सरसाइजिज के सैंटर भी इस वक्त खुले हैं और योग के ऊपर आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडीकल साइंसिज में कुछ रिसर्च किया जा रहा है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने यह जानना चाहा है कि ऋतु के अनुकूल मनुष्य को भोजन मिले और व्यायाम आदि के प्रचार और प्रसार के लिए भी क्या आप कुछ खर्च करते हैं ?

डा० सुशीला नायर : हर काम खाली खर्च से नहीं हुआ करता है...

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : और कैसे होता है ?

डा० सुशीला नायर : मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इन सभी पर एक खासी अच्छी रकम खर्च की जा रही है ।

श्री रामेश्वरानन्द : ऋतु के अनुकूल

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने तीन सवाल किये हैं, उन में से एक का भी जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं तो जवाब दे नहीं सकता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द यह ठीक है।

डा० सुशीला नायर : आप बाद में मेरे साथ बात कर लीजियेगा, स्वामी जी ।

श्री रामेश्वरानन्द : बहुत अच्छा बहन जी ।

†**डा० सुशीला नायर** : सरकारी क्षेत्र में औषधियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । पिम्परी में ऐन्टीबायोटिक्स फैक्टरी है और केन्द्रीय औषधि भण्डार है जो दैनिक प्रयोग के लिए अनेक टिंचर और अन्य औषधियां बनाते हैं। हमने रूस से एक करार किया है जिसके अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार की औषधियों के उत्पादन के लिए चार कारखाने स्थापित किये जायेंगे। औषधियों में अन्य मिश्रण को रोकने के लिए भेषज नियंत्रण अधिनियम में कड़े दण्ड की व्यवस्था है । राज्य सरकारों को भेषज नियंत्रण अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम को लागू करना है। यह बहुत ही आवश्यक है कि इस मामले में जनता बहुत सतर्क रहे। हम में भावना उत्पन्न होनी चाहिये ताकि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करना इतना ही निकृष्ट अपराध समझा जाये जैसा कि हत्या करना समझा जाता है । मुझे कुछ सदस्यों ने बताया है कि आजकल हमारे देश के कुछ भागों में कुछ नकली चावल बनाने के कारखाने हैं जो चावल में मिलाया जाता है और अन्य खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे ही अन्य पदार्थ मिलाये जाते हैं। मुझे दुख है कि जब कभी अपराधी पकड़ा जाता है, तो हम उसकी ओर से हस्तक्षेप करने में और उसे छुड़ाने में नहीं हिचकिचाते। मैंने माननीय सदस्यों को कहते सुना है : आप लाइसेंस देना बहुत कड़ा कर दीजिये । निर्धन व्यक्ति इससे कैसे लाभ उठा कर अपना जीवन निर्वाह कर सकता है । मेरा दृढ़ मत है कि औषधि उत्पादन को जीविका उपार्जन करने का या लाभ कमाने का साधन न माना जाये। औषधि उद्योग उन उद्योगों में से है जिन्हें सर्वथा मानवी कार्य समझा जाना चाहिये जैसा कि यती मरवाने या गौशालाएं चलाई जाती हैं। मेरा विचार है कि सभा इस बारे में मुझ से सहमत होगी कि औषधियों का इस रूप में उत्पादन करना किसी अन्य कार्य से कहीं अधिक उत्तम है । जब तक कि लोकोपकारी व्यक्ति यह उत्पादन आरम्भ नहीं करते तब तक उनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होगा और इस दिशा में पहिले से ही प्रयास किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

एक माननीय सदस्य ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक सुझाव दिया दो मंत्रालय बनाये जायें; एक स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरा डाक्टरी चिकित्सा मंत्रालय। यह बात सभी आधुनिक विचारों के विरुद्ध है। आवश्यक यह है कि जिस समय हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो हमें स्वास्थ्य परिक्षण तथा सुधार के लिये कार्य करना पड़ता है। जहां कहीं हम स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो हमें बीमार की चिकित्सा करनी पड़ती है और उसे पुनः स्वस्थ बनाना पड़ता है। इन दोनों को अलग करना खतरनाक होगा। आजकल हम सभी राज्यों में चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य निदेशालय बनाने का कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय स्तर पर हमने एक ऐसा निदेशालय बना लिया है। कुछ राज्यों ने भी बना लिया है, परन्तु कुछ में अभी तक नहीं है और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मद्रास में नहीं है, परन्तु अब वह बनाया जा रहा है क्योंकि वे एकीकरण का महत्व महसूस करते हैं। यदि यह दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो सारा महत्व समाप्त हो जाता है एवं इसे अलग करना बहुत ही अनुचित है।

स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के बारे में कहा गया था कि आयुर्वेद सस्ती है। मैं नहीं समझती कि ग्रामवासियों को इसकी व्यवस्था के लिए सस्तेपन का तर्क दिया जा सकता है। उनका जीवन भी किसी भी अन्य व्यक्ति के जीवन के समान मूल्यवान है। मुझे याद है कि एक बार किसी व्यक्ति ने यही तर्क प्रधान मंत्री जी के समक्ष रखा था, तो उन्हें बुरा लगा और उन्होंने कहा "स्वयं मृत्यु सब से अधिक सस्ती है, कुछ मत करो, कोई व्यय नहीं होगा।" मैं मानती हूं कि आयुर्वेद पर ध्यान देने और उसकी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद में अनेक बहुमूल्य बातें छिपी हो सकती हैं जो हमें मालूम करनी और मानव सेवा के लिए प्रयोग करनी हैं। इसके लिए एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् बनाया गया है और उसने अनुसन्धान के कुछ आधार बनाये हैं। दूसरी योजना में अलग अलग अनुसन्धान योजनाओं के लिए अनुसन्धान अनुदान स्वीकार किये गये हैं, जैसा कि तीसरी योजना मे भी किया जा रहा है। तीसरी योजना में कार्य और भी अधिक वैज्ञानिक तथा विधिवत आधार पर हो रहा है। कुछ चिकित्सा केन्द्रों में आयुर्वेद विभाग बनाने का प्रस्ताव है जिससे आयुर्वेद को समान महत्व मिलेगा। इससे आधुनिक औषधियों के विशेषज्ञ आयुर्वेद को भली प्रकार समझ सकेंगे। मैं आधुनिक औषधियों को योरोप से आई नहीं मानती। आधुनिक विज्ञान के विकास में भारतीयों ने भी और संसार के सभी देशों के लोगों ने सहयोग दिया है। इसका श्रेय हम यूरोप को क्यों देना चाहते हैं। किसी प्रकार किसी समय आयुर्वेद का विकास रुक गया। यदि यह जारी रहता, तो आधुनिक चिकित्सा की अनेक बातें आयुर्वेद में भी होती। हाल जब मैं पूना गई और आयुर्वेदिक कालेज को देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने देखा कि भेषजों, आदि के उत्पादन मे वे कुछ आधुनिक प्रविधियों का प्रयोग करते थे। जो भी अच्छा है और जहां भी मिलता है, हमें वह अवश्य अपना लेना चाहिये और उसका प्रयोग करना चाहिये। वह बात चाहे आयुर्वेद, यूनानी या आधुनिक चिकित्सा में से किसी में हो, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अनुसन्धान सारे भ-मण्डल में हो रहा है, हमें यह नहीं भूलना चाहिये। अन्यथा, हम दौड़ में पीछे रह जायेंगे और शायद सब कुछ गंवा देंगे।

यह अवश्य है कि हमारे पास भूत में जो भी था उसे हम सामने लायें, अनुसन्धान करें, विज्ञान वाले व्यक्तियों के लिए समझने योग्य बनायें, इसे साहित्य के रूप में समझना बन्द करें और विज्ञान के रूप मे मानें। फिर कोई अधिक कठिनाई या परेशानी नहीं

होगी। मैंने श्री रामेश्वरानन्द को बताया था कि हमने प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी एक समिति बनाई है। आशा है कि यह समिति अनुसन्धान के अतिरिक्त कुछ खनिज सोतों या स्वास्थ्य अनुसन्धान, जैसे पटना के पास राजगिरि तथा अन्य स्थानों के विकास में सहायता देगी जिससे धनी और निर्धन दोनों को समान लाभ होगा।

डा० पी० निवासन अधिक चिकित्सा कालेज चाहते थे। इसका उत्तर श्री अ० सि० सहगल ने भली भांति दे दिया था और कहा था कि अधिक चिकित्सा कालेजों की आवश्यकता है, परन्तु हमें यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि चिकित्सा कालेजों का विस्तार होने से पहले हमारे पास चिकित्सा अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। मात्रा के लिए प्रकार की पूर्ण उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मैं यह बता दूं कि वर्ष १९५१ में कालेजों की संख्या ३० या ३१ थी और १९६२ में ६६ है। तीसरी योजना और १८ चिकित्सा कालेजों के लिए व्यवस्था है जिनमें से छः आरम्भ हो चुके हैं और अन्य आरम्भ हो जायेंगे। इन कालेजों को अनुदान देने के लिए जो राशि नियत की गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय उसमें से उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अनुदान देगी।

डाक्टरों की कमी सच्ची है। स्वास्थ्य समिति ने प्रति ३,००० या ३,५०० व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर की सिफारिश की है। हमारा एक डाक्टर प्रति ६,००० व्यक्तियों के लिए है। यह अनुपात समूची दूसरी योजना काल में बना रहा है, हालांकि डाक्टरों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। वर्ष १९४७ में चिकित्सा कालेजों में १९८३ विद्यार्थी दाखिल किये गये थे जबकि वर्ष १९६१ में हमने ६,९०० विद्यार्थी दाखिल किये थे। इतने पर भी यही अनुपात रहा है। जनसंख्या की वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है कि चिकित्सा-सेवा में सुधार करने के बजाय उसमें गिरावट को रोकना भी कठिन है।

इसी बात का ध्यान रख कर तीसरी योजना में परिवार नियोजन को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गई है। २५ करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों, उप-नगरों तथा अनेक स्थानों में परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं। विपक्षी सदस्य ने कहा था कि हम विरोधी दल के सदस्यों को शामिल नहीं करते? यह ठीक नहीं है? श्रीमती रेणु चक्रवर्ती इन में से एक समिति की सदस्य हैं।

†**श्रीमती विमला देवी** (एल्लूर) : मैं ने कहा था कि राजनीतिक दलों के उन व्यक्तियों को लोक स्वास्थ्य समितियों में रखा जाये जो उनमें काम करने के लिये उत्सुक हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : श्रीमान्, मैं केवल यह कह सकती हूं कि हम सभी सदस्यों की सहायता का स्वागत करते हैं। वस्तुतः हमने समस्त भारत में अनेक समाज कार्यकर्ताओं की सहायता प्राप्त की है और उन्हें परिवहन के लिये कुछ मानदेय देते हैं। हम चिकित्सा संस्थाओं, स्वयं सेवक संस्थाओं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की सहायता ले रहे हैं जो विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित आधार पर कार्य करने के लिये तैयार हैं। फिर भी, मैं स्वीकार करती हूं कि उस समय तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम खाई जाने वाली कोई उत्तम गर्भ निरोधक औषधि मालूम न करल। इसके लिये अनेक स्थानों पर अनुसन्धान हो रहे हैं। अभी भी गर्भधारित और गर्भ निरोध की समस्याओं में अनुसंधान के लिये एक बड़ी संस्था का प्रस्ताव है। संभव है कि हम शीघ्र ही खाई जाने वाली कोई गर्भनिरोधक मालूम कर लें और उससे हमें अपनी अनेक कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाये। मैं मानती हूं कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार से माता व पिता को परिवार

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

नियोजित करने के लिये अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। जन्म दर कम न होने पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वैसे सुधार हो सकता है? शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहां सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन प्रोग्राम आरम्भ किया है?

†**श्रीमती विमला देवी** : मैंने परिवार नियोजन के लिये एक अलग मंत्रालय का सुझाव दिया था। उसका क्या उत्तर है?

†**डा० सुशीला नायर** : परिवार नियोजन के लिये अलग मंत्रालय होने का अर्थ होगा मंत्रालय पर कुछ अधिक व्यय करना। कार्य मंत्रालय या मंत्री को नहीं करना है, अपितु कार्यकर्ताओं को करना है।

मंत्रियों के मामले में गृह-कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल कर काम करना होगा। मुझे विश्वास है कि वे भंगियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिये यथासंभव कार्यवाही करेंगे। मैं मानती हूं कि भंगी-लोगों का राष्ट्र के स्वच्छता का कार्यक्रम में महत्वपूर्ण हाथ है। हमें उनके शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिये? ताकि उनके बच्चों को अन्य बच्चों के साथ समान अवसर मिल सकें और उनके माता व पिता को निर्धनता तथा अज्ञानता के कारण हुई कठिनाई तथा पक्षपात उनके सामने न आये।

अनेक सदस्यों ने गन्दी वस्तियों का उल्लेख किया था। यह विषय मुख्यकर आवास मंत्रालय का है। परन्तु, स्वास्थ्य मंत्रालय की इसमें बड़ी दिलचस्पी है। माननीय सदस्य श्री शिवचरण गुप्त ने कुछ जानकारी व आंकड़े दिये हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि यह एक अवलम्बनीय समस्या है और इस पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। तीसरी योजना में लगभग ५ करोड़ रू० का उपबन्ध है जिनमें से लगभग ३ करोड़ रु० राज्य की योजनाओं के लिये हैं और दो करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिये जिसमें नगर और ग्राम आयोजन सम्मिलित हैं। इस कार्य के लिये दिल्ली की वृहत योजना बनाई गई है, जो मंत्री मण्डल के समक्ष रखी जाने के लिये प्राप्त तैयार है। मंत्री-मण्डल लगभग एक महीने में इसे स्वीकार कर लेगा ताकि उस पर कार्य आरम्भ हो सके।

पुनः आवास समस्या के लिये बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है और गन्दी बस्तियों का भी यही मामला है। हमें कुछ करना होगा। डा० क० ल० राव के सुझावानुसार गन्दी बस्तियां हटाने के लिये पानी की व्यवस्था करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाकों में केन्द्रीय मंत्रालय की कार्यवाही नहीं कर सकता। समूची योजना की देखभाल के लिये एक बोर्ड बनाना होगा और राज्य सरकारों के राज्य-क्षेत्रों की योजनायें केन्द्रीय सरकार के बजाये उन्हीं को कार्यान्वित करनी होंगी।

पौष्टिक योजना के मामले में भी आर्थिक बातें महत्वपूर्ण हैं। निर्धनता के अतिरिक्त अज्ञानता से भी भोजन ठीक नहीं रहता। गांवों में बच्चों में विटामिन के अभाव और अनुचित भोजन के क्या कारण हैं? माता व पिता आसानी से अपने घरों के पीछे सब्जियां उगा सकते हैं, परन्तु वे इसका विचार ही नहीं करते। इसी प्रकार वे गाय व भैंस रख सकते हैं और उनका घी या मक्खन बेचकर 'इस्किम्ड' दूध प्रयोग कर सकते हैं जिसमें सारी चिकनाई व कुछ चरबी होती है जो बच्चों को उचित भोजन के अभाव से बचायेगा। इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा है और स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का मिला जुला प्रयास और एक अन्तर्राष्ट्रीय

---

†हिन्दुस्तानी में

एजेन्सियों की सहायता से एक ओर तो विभिन्न आर्थिक वर्गों और विभिन्न आयु वर्गों के लिए और दूसरी ओर मुर्गी पालन, डेरी आदि के लिये अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है ताकि यह भोजन बच्चों को उपलब्ध हो सके। हम विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में मतभेद के मामले पर समय या शक्ति नष्ट नहीं कर सकते। वर्तमान पीढ़ी के अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये हमें धन, जन और शक्ति को एक जगह एकत्रित करना है। इसी प्रकार, विभिन्न मंत्रालयों की जानकारी व साधनों को एक के बाद दूसरी समस्या सुलझाने के लिये एकत्रित किया जा रहा है।

हमने समाजवाद और वह भी जनतन्त्र द्वारा समाजवाद का ध्येय स्वीकार किया है। अर्थात् अन्त में देश की स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीयकरण करना होगा। परन्तु आज ही हम यह कार्यवाही नहीं कर सकते। यह अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ही में प्रत्येक व्यक्ति पर ५० या ६० रु० खर्च होते हैं जब कि हम समूचे राष्ट्र पर लगभग ४—८ रु० प्रति व्यक्ति व्यय करते हैं। दोनों में बड़ा अन्तर है। अनेक सदस्यों ने अस्पतालों में भीड़ और कठिनाइयों का उल्लेख किया है। मैंने दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ा कर चौगुना कर दिया था, फिर भी अस्पतालों में वही भीड़ है। इसका कारण यह है कि लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों से आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख कर हमें भरसक प्रयत्न करना है और इन सब स्थानों में स्थिति सुधारने के लिये प्रयास किया जा रहा है। किसी स्थान पर एक प्रयोग करने का है जो गैर-सरकारी लोगों पर भी लागू हो। वे अपना अंशदान कैसे देंगे, इसका पता इस प्रयोग से लग जायेगा। अन्त में हम इस प्रकार उस स्थिति में आजायेंगे जब कि देश में स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं।

†**श्री तिरुमल राव** (काकीनाडा) : क्या सरकार ने डा० लक्ष्मन स्वामी के सभापतित्व में समिति के स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन रिपोर्ट का अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और क्या सरकार ने उस रिपोर्ट सम्बन्धी कोई प्रस्ताव तैयार किया है।

†**डा० सुशीला नायर** : मेरे मंत्री मण्डल में शामिल होने से पहले कुछ विचार-विमर्श हुआ था। कुछ विचार बनाये गये हैं। पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ है और न ही कोई अन्तिम निश्चय किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं सारे कटौती प्रस्ताव एक साथ रख सकता हूं ?

†**माननीय सदस्य** : हां।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४५	स्वास्थ्य मंत्रालय	१३,७२,०००
४६	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य	७,४२,२८,०००
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८७,१०,०००
१२७	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	९,१०,६१,०००

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर विचार करेगी जिसके लिए छः घण्टे नियत किये गये हैं। कटौती प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य विशिष्ट अनुदानों की मांगों की संख्या पन्द्रह मिनट में मेज़ पर दे सकते हैं। यदि वे अन्यथा नियमानुकूल हुए तो उन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

वर्ष १९६२-६३ के लिये शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१३	शिक्षा मंत्रालय .	३४,९१,०००
१४	शिक्षा	१३,४५,६८,०००
१५	शिक्षा मंत्रालय का अन्य रास्व व्यय . .	२,३१,५०,०००
११५	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	७,४८,०००

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं समझता हूं शिक्षा के बारे में बहुत ही क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही आवश्यक है और यह अच्छा है कि हम इस बारे में अभी से कार्यवाही आरम्भ कर दें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी पद्धति चलाई है जिसका उद्देश्य उस समय के प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करना था। किन्तु अब हालात बदल गये हैं। अब हमारी आयोजित अर्थ व्यवस्था है। समूची शिक्षा पद्धति को इस आयोजित अर्थ व्यवस्था के अनुसार बनाने के लिए शिक्षा के समूचे ढांचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यक्ता है।

पुराने लोग जो इस के आदी हो गये हैं इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे किन्तु इन विचारों को न छोड़ना अपनी सन्तानों के प्रति अपराध करना होगा।

शिक्षा दो पाटों के बीच है। नीचे का पटला हिलना नहीं चाहता और ऊपर का पाट वर्तमान आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा को नहीं पीस रहा। पुराने लोग अब भी कर्ता-धर्ता हैं और सुधार करने वाली समितियों में भी उनके ही नाम बराबर आते हैं।

अभी नई पद्धति का विचार भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राथमिक श्रेणियों में बुनियादी शिक्षा लाने का विचार है। और धीरे-धीरे शिल्प कला में बच्चे को मन लगाना चाहिये। किन्तु वास्तव में बुनियादी स्कूलों में कताई के लिये पुरानी तकलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके स्थान पर छोटी कताई मशीन क्यों नहीं लगा दी जाती ताकि वे आधुनिक ढंग से परिचित हो जाएं। यही हाल बुनाई का और अन्य धन्धों का है। इसका परिणाम यह होता है कि स्कूल छोड़ते ही शिल्प भी बच्चे से छूट जाता है जब वह माध्यमिक स्कूल में जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिये। अब हाल यह है कि कोई बच्चा या अध्यापक शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकता। विद्यार्थी को विद्यार्ती बोलते हैं। जब तक बच्चा वर्ण माला को नहीं समझा सकता वह भाषा को कैसे समझेगा? यही हालत बच्चे की विश्वविद्यालय में भी रहेगी, क्योंकि बुनियादी चीज को वह वंचित रहा है।

बच्चे को अनेक विषय न देकर थोड़ी चीजों पर मन को केन्द्रित करने देना चाहिये। उसमें शिल्प का प्रेम पैदा किया जाए जो आधुनिक आवश्यकता के अनुसार हो।

तीसरी योजना के अन्त तक कम से कम ६–११ वर्ष वाले बच्चों के लिये निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का हमारा उद्देश्य बहुत सराहनीय है। मंत्रालय के प्रतिवेदन के आधार पर मैं कहूंगा कि यह उल्लेख कैसे पूरा हो सकता है जब कि अभी तक केवल ६० प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ है। और उसमें भी कहा नहीं जा सकता कि आम सब विद्यार्थियों को योग्य अध्यापकों ने पढ़ाया है। क्या ६० प्रतिशत के लिये अपेक्षित संख्या में अध्यापक उपलब्ध हैं। कई स्कूलों में खेती नहीं, किन्तु निरीक्षण के समय अच्छी रिपोर्ट देकर अनुदान मंजूर कर दिया जाता है। अन्यथा वहां विद्यार्थी नहीं होते। यह ६० प्रतिशत के आंकड़े भी भ्रामक हैं। मंत्रालय को इसका अधिक विशद रूप मे स्पष्टीकरण करना चाहिये।

ये बच्चे किसानों के होते हैं जो अर्ध-नग्न, आधे भूखे होते है। ` गाय, भैंसे चरा के अपना भोजन कमाते हैं। क्या वे स्कूलों में जाकर भूखे मरना पसन्द करेंगे?

केवल दो बड़े और एक छोटे राज्य में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है। सब से अधिक केरल में १६०,०००, मद्रास में ६००,००० और पंजाब में ५००,००० विद्यार्थियों को इस के लाभ प्राप्त हुए हैं। इस दिशा में अवश्य कुछ किया जाना चाहिये ताकि बच्चों को स्कूल में आकर भूखे न मरना पड़े।

केन्द्र राज्यों पर, व समाज पर और समाज बच्चों पर शिक्षा का बोझ डाल कर उत्तरदायित्व से छट जाते हैं। इस पद्धति को रोका जाए।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में कार्यक्रम निस्सन्देह बेहतर है किन्तु श्रीमती मैमूना सुल्तान के प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि समूचे देश में २५८ नई संस्थाएं केन्द्र द्वारा चलाई हुई हैं। इन सब सुविधाओं के कारण प्राइमरी स्कूलों के लिये २१००० अध्यापक आएंगे। क्या मंत्री इनको पर्याप्त समझते हैं इतने भारी काम के लिये?

जहां शिक्षा को जनता गंभीरता से लेती है, वहां पारी पद्धति है। किन्तु फिर भी अध्यापकों की कमी है। हमें निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। प्राथमिक अध्यापक, माता, परिचारिका, और डाक्टर बच्चे के लिये सर्वस्व होता है उसे उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी ही चाहिये। इसमें महिलाओं को लगाया जाना चाहिय। तभी निरक्षरता समाप्त होने की आशा की की जा सकेगी।

प्रतिवेदन में सामान्य शिक्षा में ४०८,००० लाख रुपये के कुल नियतन में से लड़कियों की शिक्षा के लिये १३५००० लाख रुपये का नियतन बहुत कम है जबकि उन्हें पुरुषों के समान समानता का हक है। आगे कहा है कि प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का प्रवेश ६१·६९ प्रतिशत और माध्यमिक पर १६·५ प्रतिशत तथा ग्रैजुएडरी पर ६·९ प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार है। परमात्मा इस लक्ष्य की गति को बढ़ावे।

[श्री वारियर]

यदि यह लक्ष्य प्राप्त भी हो गया तो क्या तीसरी योजना में अपेक्षित महिला अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे? मुझे इसमें सन्देह है? राष्ट्र की आवश्यकता की तुलना में यह राशि बहुत ही कम है। मैट्रिक पास लड़कियों को प्रशिक्षण के लिये प्रवश नहीं मिलता। प्रशिक्षित लोग कई जगह मिलत हैं। उन्हें अन्य स्थानों पर भेज कर शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिये।

बच्चों को पुस्तकों के भार से लाद दिया जाता है—पहली श्रेणी के बच्चे को भूगोल पढ़ाया जाता है। हमें पौड़ी पर पौड़ी बच्चे को चढ़ाना चाहिये न कि सारी बातें एक दम सिखा दें।

माध्यमिक शिक्षा पास लोगों की संख्या तो काफी है। किन्तु उन सब को कालेजों में नहीं लिया जाता। वे कहां जाएं? न वे घर के रहे न घाट के। वह दो शब्द भी अच्छी तरह लिख पड़ नहीं सकता।

विश्वविद्यालयों में लड़के जाते हैं। किन्तु पढ़ाई के कालेजों में फालतू फेंक दी जाती है और लाभ ले लिया जाता है। वही प्रोफसर दोनों जगह पढ़ाते हैं। अर्थात् प्राईवेट और वास्तविक कालजों में। एक ओर वे सफलता का विज्ञापन देते हैं, दूसरी जगह अपनी मजबूरी बतलाते हैं। इसमें बहुत कुछ व्यर्थ जाता है। इसे रोकना चाहिये। केवल योग्य विद्यार्थी ही कालेजों में जाने चाहियें। यदि माध्यमिक शिक्षा को देश की औद्योगिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाए तो सभी लड़के कालेजों में नहीं जाएंगे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में मैं कुछ कहूंगा। बनारस हिन्दुविश्वविद्यालय में बड़ी गड़बड़ है। शायद अलीगढ़ में भी सामुदायिक तनाव है। विश्वभारती के बारे में कुछ खबरें सुनी जाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। अभी तक विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं के केन्द्र हैं। यदि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य मूलभूत अनुसंधान करना और यदि देश के मेधावी व्यक्ति वहां ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, तो राष्ट्रीय छीजन हैं और यह बहुत बुरी अवस्था है। स्थानों के लिये सिफारिशों से काम चलता है, नातेदारी का ध्यान रखा जाता है। इससे निष्कर्ष निकाला कि यह सब बेकार हैं। इन बुरी बातों को रोका जाना चाहिये। कुछ लोग समस्त ज्ञान शैक्सपीयर और मिल्टन की रचनाओं में ही मानते हैं। भारत सरकार को नवीन और विशेषीकृत विश्वविद्यालय कायम करने चाहियें मूलभूत और बुनियादी अनुसंधान के लिये। ये विश्वविद्यालय बहु-प्रयोजनीय नहीं चाहिये। केरल में समुद्रतटीय विश्वविद्यालय हो। यदि ऐसा न किया गया, तो हमारा देश बहुत पिछड़ जाएगा।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लक्ष्य और उद्देश्य तो बहुत सुन्दर हैं किन्तु यह बड़ी सस्ती योजना है। यदि यह पूरी हो गई तो मंत्रालय के लिये श्रेय का कारण होगी।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सफलता सराहनीय नहीं है। बड़ी धन राशि उन को दी जाती है। इसमें लेखकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि का सहयोग हो तभी वह उत्तम बन सकता है।

बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण काम है। रचनात्मक उत्तरदायित्व डाल दिया गया है। केन्द्रीय सरकार क्यों इन पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करती? कौन बांटता है और क्या जा रहा है, इन बातों की जांच की जानी चाहिये। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह आवश्यक है और इन बच्चों की पुस्तकों का एक स्वरूप होना चाहिये, प्रादेशिक स्वरूप नहीं। राज्यों के स्वायत्तशासन का समर्थक हूं। इन पुस्तकों का उद्देश्य बच्चे के कच्चे मन पर कुछ बातों की अमिट छाप डालना होता है। अतः इसको गंभीरता पूर्वक लेना चास्ये।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** (बारपेटा) : मैं इस थोड़े समय में शिक्षा के विशाल विषय में से केवल कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लूंगी। जब तक प्राथमिक शिक्षा की सुविधा आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती, बेकार है।

पहली दो योजनाओं में शिक्षा की प्यास बढ़ी है और साक्षरता भी बढ़ी है। साक्षर लोगों को प्राथमिक शिक्षा के मूलतत्व दिये जाने चाहियें।

निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सब बच्चों को दी जानी चहिये किन्तु इस शिक्षा में प्रगति गहुत कम हुई है। १५ वर्षों में यह हो जाना चाहिये था। यदि हम क्रान्तिकारी उपाय इस की प्रगति को बढ़ाने के लिये नहीं करते, तो इस काम में कितनी ही दशाब्दियां लग जायेंगी।

लोगों में शिक्षा की भूख बहुत अधिक है किन्तु प्रसार बहुत कम है। ६-११ वर्ष वर्ग में सब बच्चों की साक्षरता का लक्ष्य तीसरी योजना का होना चाहिये, न कि ८० प्रतिशत का। यदि आवश्यकता हो तो योजना में अन्यत्र कटौती की जाये, किन्तु इस लक्ष्य को पूरा किया जाये। जब तक साधारण व्यक्ति समझने बूझने योग्य बन नहीं जाता, अन्य सब योजनायें बेकार हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि तीसरे आम चुनावों में भी निशानियों का प्रयोग करना पड़ा है। जब तक लोग पढ़ लिख नहीं सकते, वयस्क मताधिकार अर्थहीन है।

प्राथमिक शिक्षा की प्रगति न होने का कारण है कि इस की योजना बनाने वालों में कल्पना और विचार की कमी है, और सन्तुष्ट अध्यापकों की कमी है। प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को जीवन की आम सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें तभी देश के भावी नागरिकों का सुन्दर निर्माण संभव है। उन को उचित वेतन मिलें ताकि वे उत्साह से काम करें। अन्य स्थानों पर बड़ी रकम नये और फिजूल खर्च की जाती है, बड़े बड़े समारोहों और जलसों पर। क्या हम इस अनावश्यक खर्च को काट कर राष्ट्र निर्माण के इस रचनात्मक कार्य पर वह धन नहीं लगा सकते और इन अध्यापकों के वेतन बढ़ा सकते हैं?

अध्यापकों का प्रशिक्षण की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तक केवल कुछ राज्यों ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में विधियां पास की हैं। राज्यों का इस काम के लिये धन का अभाव एक रुकावट दिखाई देता है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धन देने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

हम ने प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाये जाने के बारे में बहुत कुछ सुना, किन्तु हुआ कुछ भी नहीं। स्कूल जाने वाले बच्चे या तो घर पर रहते हैं या कहीं कमाई करते हैं। यदि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाये, तो ऐसा कैसे हो? इस के लिये एक सत्र या समान विधान किया जाना चाहिये। इस के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जैसे उच्च शक्ति सम्पन्न विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यापक तथा विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका बड़कटकी]

प्राथमिक शिक्षा के लिये महिलायें अच्छी अध्यापक बनती हैं। रूस में भी ऐसा है। हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि अधिक स्त्रियां इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हों।

प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में विकास कार्यों, देश की परियोजनाओं की भूगोलिक ज्ञान संबंधी शिक्षा शामिल होनी चाहिये। यह शिक्षा इस प्रकार दी जाये कि बच्चों में देश भक्ति की भावना पैदा हो। बच्चों के मन पर राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से छाप डालने की कोशिश की जाये। समुदाय या जाति के आधार पर स्कूलों को निरुत्साहित किया जाये। यह विभिन्न जातियों में एकता लाने का एक सुन्दर उपाय होगा।

स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें पुराने ढंग पर ही लिखी जाती हैं। अब इन को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखने की जरूरत है। पारितोषिक प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती हैं, किन्तु मुकाबला करने वालों को कम समय दिया जाता है। एक भाषा में कई प्रतियां नहीं भेजी जानी चाहियें और प्रतियोगियों को अधिक समय दिया जाना चाहिये। यह कठिनाई दूर की जानी चाहिये।

महिला शिक्षा की प्रगति बहुत कम है। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की संख्या लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई है। आगामी वर्षों में परिस्थिति सुधरती नहीं दिखाई देती। प्रयत्न किया जाये कि इस के कारणों का पता लगा कर लड़कियों की शिक्षा का प्रसार किया जाये।

प्राथमिकता स्तर के अतिरिक्त महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने की भी बड़ी गुंजाइश है। लड़कियों की शिक्षा लड़कों से बहुत पीछे है। माता पिता उन को उच्च शिक्षा में भेजने के विरुद्ध हैं। इस के लिये विशेष उपाय किये जाने चाहियें कि माता पिता को कहा जाये कि वे अपनी लड़कियों को शिक्षा दिलायें। लड़कियों के सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। इस से उन के मां बाप को भी दिलचस्पी होगी। इस मामले में लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बारे में कुछ समानता लाई जानी चाहिये।

†**श्री महेशदत्त मिश्र** (खण्डवा) : शिक्षा राज्य सूची का विषय होते हुए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विषय में बहुत हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया है। इसलिये इस का क्षेत्र बढ़ा कर इसे सहायता के लिये अधिक धन देकर शिक्षा पर केन्द्र का प्रभुत्व बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय एवं भावात्मक दृष्टि से यह वांछनीय है कि सरकारी नियंत्रण से स्वाधीन एक राष्ट्रव्यापी निकाय उच्च शिक्षा की समस्याओं की देख रेख के लिये हो क्योंकि सब शैक्षिक संस्थाओं की समस्यायें प्रायः समान होती है।

अनुशासनहीनता सर्वत्र फैली हुई है। कोई समाज को कोई सरकार को कोई किसी को इस के लिये दोष देता है। निस्सन्देह ये बातें सही हैं क्योंकि इन सब के द्वारा ही अनुशासनहीनता फैलती है। किन्तु यदि शैक्षिक संस्थाओं की आचार संहिता हो जिस का सख्ती से पालन किया जाये, करवाया जाये, तो अनुशासनहीनता समाप्त हो सकती है। इस के लिये शैक्षिक संस्थाओं के ऊपर कड़ा नियंत्रण होना चाहिये। उच्च शिक्षा पर केन्द्रीय नियंत्रण होना जरूरी है। इस के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक विस्तृत, व्यापक और प्रतिनिधि बना कर यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। शिक्षा के द्वारा ही हमारे भावी प्रशासक, राजतीतिज्ञ आदि का निर्माण होता है, अतः इस की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्च शिक्षा के लिये अच्छे अध्यापक जुटाने के लिये उन के वेतन क्रम अच्छे कर दिये गये हैं। किन्तु शिक्षा की समूची समस्या पर उदारतापूर्वक किया जाना चाहिये। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को सरकार के मत के पीछे चलना ही अनिवार्य नहीं होता। किन्तु राज्यों में ऐसा ही होता है, अतः विश्व-विद्यालयों को राज्यों के हाथों में नहीं रहने देना चाहिये और समूचे देश के विश्वविद्यालयों में समान मानक होने चाहियें।

उपकुलपतियों की नियुक्ति आदि के मामले में सरकारें हस्तक्षेप करती रही हैं, इस के बारे में काफी क्षोभ रहा है। कुछ उपकुलपति योग्य नहीं थे, उन का व्यवहार ठीक नहीं था, इस कारण अनुशासनहीनता बढ़ी। उपकुलपतियों की नियुक्ति के बारे में समान मानक और नीति होनी चाहिये। इस के लिये उपकुलपति बनने योग्य लोगों की तालिका तैयार कर ली जाये और उन में से विश्वविद्यालयों को अपने लिये किसी को चुनने का हक होना चाहिये। इस से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता तो बनी रहेगी साथ ही योग्य उपकुलपति भी मिलेंगे। इस मामले में प्रादेशिक विचार की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि प्रत्येक राज्य, प्रदेश में योग्य व्यक्ति होते हैं जो उपकुलपति बनने योग्य होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने की जरूरत है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचारार्थ विषय होना चाहि ।

विश्वविद्यालय के नियंत्रण के बारे में केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का स
अप्रविधिक मामले छोटे स्तरों के लि छोड़े जायें। और उच्च शिक्षा, विज्ञान आदि के मामले में अधिकाधिक केन्द्रीकरण की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाने के लिये संविधान में उचित संशोधन भी किया जा सकता है।

पब्लिक स्कूल निस्संदेह अच्छे हैं। किन्तु खेद इस बात का है कि समूची चीज एक विशिष्ट श्रेणी तक सीमित हैं। कुछ छात्रवृत्तियां निर्धन बच्चों को पब्लिक स्कूलों में जाने के लिये दी जाती हैं, किन्तु वे बहुत कम हैं, उन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और आय के अनुसार गरीब लड़कों से शुल्क लिया जाये। पब्लिक स्कूल जिस ढंग से चलाये जाते हैं वह ठीक नहीं, वहां एक ही श्रेणी या वर्ग के लोग ही केवल क्यों जायें वे वास्तव में सार्वजनिक या जनता स्कूल होने चाहियें जहां सब लोगों के वर्गों के लोग जा सकें।

यदि विश्वविद्यालय केन्द्रीय नियंत्रण में हों तो वहां अनुसन्धान का स्तर ऊंचा उठ सकता है। अब सब विश्वविद्यालय में अनुसन्धान की सुविधायें हैं। पुस्तकालय भी हैं, किन्तु अच्छे मार्ग दर्शक नहीं हैं। एक एक मार्गदर्शक के लिये बहुत विद्यार्थी दे दिये जाते हैं, जो उस के बस की बात नहीं होती। अतः अनुसन्धान भी विश्वविद्यालय का विचारार्थ विषय होना चाहिये। कुछ विश्वविद्यालयों में विशेषीकरण होना जरूरी है--पुस्तकालय अच्छे होने चाहियें। विश्वविद्यालयों द्वारा घटिया पी०एच० डी० बना कर शिक्षा का स्तर गिराने नहीं देना चाहिये। इस मंत्रालय के सम्बन्ध में मुझे इतने ही शब्द कहने हैं।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की बजट मांगों पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सदन के लगभग सभी माननीय सदस्य जो कि इस मंत्रालय की बजट मांगों पर बोलते हैं वे भारत के संविधान की धारा ४५ को हमारे सामने पेश करते हैं। संविधान की धारा ४५ में यह लिखा हुआ है : --

> "राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

[श्री बूटासिंह]

हम ने देखा है कि हमारे संविधान की इस धारा को सरकार ने यह कह कर एक तरफ रख दिया है कि संविधान बनाने वाले हमारे जो नेता थे, उन के मन में इस सवाल की पेचीदगियों का अन्दाजा नहीं था। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह एक अच्छा बहाना हो सकता है, लेकिन इस संविधान को अपनाते वक्त हम ने यह कसम उठाई थी कि इस में दिये गये सब के सब वचनों को हम पूरा करेंगे और साफ जाहिर है कि शिक्षा के विषय में दिये गये वचन को पूरा करने में सरकार बहुत बुरी तरह असफल हुई है। इस के क्या कारण हैं? सिर्फ वही कारण नहीं हैं, जो कि सरकार की तरफ से पेश किया जाता है यानी यह कि संविधान के बनाने वालों ने इस सवाल की पेचीदगियों को नहीं समझा था, बल्कि मैं समझता हूं, इस का सब से बड़ा कारण यह है कि देश में विद्या की बढ़ोतरी के लिये विद्या के प्रचार के लिये हर साल जो धन राशि रखी जाती है, वह बहुत थोड़ी होती है। वह उस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिये बिल्कुल नाकाफी है, जिस के जरिये हमारी आने वाली नस्ल ने, फ्यूचर जैनीरेशन ने अपना नशवोनुमा करना है और देश का भविष्य बनाना है।

इस बारे में मैंने कुछ आंकड़े एकत्र किये हैं। जब हम उस सरमाये की तरफ़ देखते हैं, जो कि हिन्दुस्तान में १९५८ में तामील के लिये रखा गया, तो सचमुच हमारा सिर शर्म के मारे झुक जाता है। जब मैं संसार के दूसरे देशों में १९५८–५९ में तालीम के लिये रखी गई रकम को देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि फ़िनलैण्ड में अपनी कुल सम्पत्ति का ६.५ प्रतिशत, बैल्जियम में ५.२ प्रतिशत, नीदरलैंड्स में ५ प्रतिशत, पोलैण्ड में ४.२ प्रतिशत, यूगोस्लाविया में ३ प्रतिशत, हंगरी में २.३ प्रतिशत और इसके मुकाबले में इण्डिया में सिर्फ़ १.७ प्रतिशत रखा गया। यह कितने अफसोस की बात है। मुझे यह देख कर दुख होता है कि सरकार इतने बड़े सवाल को कितनी लापरवाही से लेती है और कितना मखौल किया जाता है इतनी बड़ी समस्या के साथ?

मैंने इन आंकड़ों को एकत्र करके जब यह अन्दाज़ा लगाया कि हर हिन्दुस्तानी के पीछे एक साल में एजूकेशन के लिये कितना पैसा खर्च किया गया, तो बहुत दुख हुआ। मैंने देखा कि एक साल में एक हिन्दुस्तानी पर एजूकेशन के लिये सिर्फ पांच रुपये और पांच नये पैसे खर्च किया गया। यह है हमारी सरकार का एजूकेशन की तरफ़ ध्यान।

मैं अपनी इस बात को और अच्छी तरह से बयान करने के लिये यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जो यह वादा किया गया है कि हर एक शहरी को कम से कम प्राइमरी एजूकेशन, बुनियादी एजूकेशन, शुरू की विद्या, मुफ्त और लाज़िमी तौर पर दी जायगी, उसको पूरा करने के सिलसिले में जब मैं सरकार का रवैया देखता हूं, तो हैरानी होती है। पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने विद्या के लिये १५३ करोड़ रुपये रखे, जिसमें से सिर्फ ८५ करोड़ रुपए प्राइमरी एजूकेशन के लिये रखे थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने विद्या के लिए २५६ करोड़ रुपए रखे थे और अगर इस रकम का आधा रुपया भी प्राइमरी एजूकेशन के लिए खर्च कर दिया जाता, बुनियादी एजूकेशन के लिए खर्च कर दिया जाता, तो मुझे यकीन है कि संविधान में हम ने जो वादा किया था, वह पूरा कर लिया जाता, लेकिन सरकार ने वह नहीं किया।

सरकार ने विद्या की एक दूसरी धारा शुरु की है- जिसको बेसिक एजूकेशन कहते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस बारे में सरकार का मंशा यह है कि हमारे नागरिकों को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिये शुरु से ही, बचपन से ही, कुछ ट्रेनिंग दी जाये। लेकिन देश की विद्या प्रणाली पर इस का जो असर हुआ है, वह तो सरकार के आशय के बिल्कुल उलट हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्राइमरी स्कूल पहले चल रहे थे, उनसे भी बहुत ज्यादा बुरी तरह ये बेसिक स्कूल फेल हो रहे हैं।

सरकार ने इन बेसिक स्कूलों में जो स्कीमें लागू की हैं, मैं समझता हूं कि उन पर जो रुपया सर्फ़ किया जा रहा है, वह न सिर्फ बेमानी है, बल्कि वह हमारे देश की धन-राशि का बहुत ग़लत इस्तैमाल है। वहां पर बच्चों को तकली कातना और म्यूज़िक सिखाया जाता है, ड्रिल करवाई जाती है और कई ऐसे विषय सिखाए जाते हैं, जिनका आगे जाकर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। वे स्कूलों में सिर्फ थोड़ा बहुत नाच-गाना सीख जाते हैं, लेकिन इसका उनके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, पर क्या असर पड़ता है ? सरकार ने इस बारे में प्राइमरी लेवल पर जो किया है, वह हायर लेवल तक ले जाने के बारे में उसने नहीं सोचा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस बेसिक एजूकेशन में जो नतीजे निकाले हैं, वे सचमुच खुद ही अपनी नाकामयाबी की तस्वीर हैं।

जो प्रोफ़ेसर साहब अभी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि स्टुडेंट्स में जो इनडिसिप्लिन और लाकानूनी है, उसकी वजह पालिटिक्स है। इसका मतलब या है कि राजनीतिक पार्टियां विद्यार्थियों को अपने ख़यालात और विचारों का प्रापेगेंडा करने के लिये इस्तैमाल करते हैं। मैं उनसे बिल्कुल मुत्तिफ़क़ हूं। यह बात बिल्कुल सच है कि राजनीतिक पार्टियां स्टुडेंट्स को अपनी राजनीति का प्रचार करने के लिये इस्तेमाल करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकारी पार्टी का भी उतना ही हाथ है, जितना कि और पार्टियों का हो सकता है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : ज्यादा है।

श्री बूटा सिंह : उसने जो स्टुडेंट्स कांग्रेस बनाई हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है कि वह राजनीति में हिस्सा ले। इस तरह कांग्रेस अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ विद्यार्थियों को इस्तैमाल करती है। इलैक्शन्ज़ में कांग्रेस ने खुले तौर पर अपनी यूनियन्ज़ को इस्तैमाल किया। अगर हम स्टुडेंट्स को अपने राजनीतिक कामों के लिये इस्तैमाल करेंगे, तो उन में वह एलिमेंट, माद्दा, पैदा हो जायगा, जो कि किसी वक्त पर भी शरारत करने के लिये उन को बढ़ावा देगा।

सरकार की तरफ़ से हरिजनों और दूसरे पिछड़े वर्गों की भलाई के लिये बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं। इस बात का ऐलान किया जाता है कि सरकार हरिजनों की भलाई के लिये वज़ीफ़े देती है, स्टाइपेंड्ज़ देती है। लेकिन यह ऐलान बहुत झूठा है। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, तो क्या मैं आपके ज़रिये मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह मुझे बतायें कि अब तक कितने हरिजन प्रोफ़ेसर, डाक्टर या इंजीनियर बन गए हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेदर्दी और बेरहमी से उनको बरग़ला कर अपने पीछे लगा रही है। जहां तक उन को वज़ीफ़े, स्टाइपेंड्ज़ और स्कूलों में मुफ्त खाना देने का सवाल है, वह एक बिल्कुल सियासी बात है, जिसमें उनकी भलाई का कोई सवाल नहीं है।

रिपोर्ट से मालूम होता है कि हरिजनों की पढ़ाई के लिये जो रकम रखी गई है, वह बहुत थोड़ी है। मैं तो समझता हूं कि इस बारे में हिन्दुस्तान के आठ करोड़ से ज्यादा हरिजनों के साथ एक बहुत बड़ा मख़ौल किया गया है। हमारी हुक्मरान पार्टी, कांग्रेस पार्टी, के हाथ में हरिजन एक बहुत बड़ा हथियार हैं। जो माननीय सदस्य उस तरफ बैठे हैं, वे विचार करके बतायें कि वे किस की कृपा से इस सदन में बैठे हुए हैं। हरिजनों की कृपा से, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को हरिजनों ने दिये हैं, लेकिन उनके साथ सत्ताधारी पार्टी, हुकूमत, जो सलूक कर रही है, वह बहुत नाकाबिले-बर्दाश्त है।

हमारे माननीय सदस्य ने बताया है कि जो प्रान्तीय सरकारें हैं उनके हाथ में विद्या प्रणाली का काम सौंपा गया है और यह उनके जिम्मे है कि वे अपने प्रान्तों में विद्या को बढ़ावा दें। मुझे दुख होता

[श्री बूटासिंह]

है जब यह कहा जाता है कि पंजाब विद्या के क्षेत्र में सबसे आगे है। मेरे देखने में जो बात आई है, उसको मैं बतलाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि इसी सदन में पंजाब के भूतपूर्व विद्या मन्त्री जी बैठे हुए हैं। वह मुझ से ज्यादा जानते हैं कि पंजाब में किस तरह से तालीमी इदारों को सियासी कामों के लिए बरता जाता है। मैं अपने प्वाइंट को, मैं अपने नज़रिये को ज्यादा अच्छी तरह से बयान कर सकूं, इस वास्ते एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं फीरोजपुर से चुन कर आया हूं। मेरी कांस्टीट्युएंसी के साथ लुधियाना की एक तहसील लगती है जिसका नाम जगराओं है। मैं यह बात इसलिये नहीं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे किसी के साथ जाती तौर पर कोई रंजिश है, बल्कि मिसाल के लिए ही यह बात आपको बता रहा हूं। वहां पर एक कालेज है जिसको उस इलाके के रहने वाले लोगों ने, गांव वालों और शहर वाले दोनों ने मिल कर बनवाया है और उस पर लगभग पांच लाख रुपया खर्च हुआ है। उस कालेज को बनाने में जैन विमल मुनि जी का काफी हाथ रहा है जिसको वे लोग बहुत प्यार करते हैं। इस कालेज को अभी तक पंजाब सरकार ने इसलिये एफिलियेट नहीं किया है और इसलिए उसको ग्रांट नहीं दी है कि उस इलाके से जो कामयाब हुआ है वह सरदार लछमनसिंह गिल अकाली एम० एल० ए० है जो कि सरकार का विरोधी है। यहीं बस नहीं है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में हमारे आजकल के जो पंजाब के विद्या मन्त्री हैं और वे ही मुख्य मन्त्री भी हैं, उन्होंने वहां जाकर एक पब्लिक जलसे में कहा था कि अगर लोग अकाली एम० एल० ए० को वोट देंगे, हिन्दू लोग अकाली एम० एल० ए० सरदार लछमन सिंह गिल को वोट देंगे तो मैं यह जो सम्मति जनता कालेज है, इसकी एक एक ईंट उड़ा कर रख दूंगा.....

श्री प्र० के० देव : शेम शेम।

श्री बूटा सिंह : यह बात सभी अखबारों में छपी है.....

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : क्या यह उचित है कि माननीय सदस्य किसी मन्त्री पर आरोप लगायें ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं।

श्री बूटा सिंह : बात यह है कि यह उस एजूकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है जिस पर पांच लाख रुपया खर्च हुआ है। मैं एजूकेशन की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब असेम्बली में यह होता होगा, इस हाउस में नहीं होता है।

श्री बूटा सिंह : उसको सारे लोगों ने मिल कर बनवाया है और उसको अभी तक इसलिये एफिलियेट नहीं किया गया है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज़ को सियासी कामों के लिये इस्तैमाल किया जाता है। अगर उस इंस्टीट्यूशन पर सियासी रौब न डाला जाता तो वह आज अच्छी तरह से फ्लरिश कर सकती थी और वहां से गांव तथा शहर वाले अच्छी तरह से तालीम पा सकते थे। मगर उसको इसलिये एफिलियेट नहीं किया गया है क्योंकि उसमें ऐसे लोगों का हाथ है जिन से उनकी बनती नहीं है। मैंने यह बात कह कर किसी के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया है बल्कि वह बात कही है जो कि सभी अखबारों में प्रकाशित हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री म० ला० त्रिवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया है और शिक्षा के प्रसार और उससे सम्बन्धित विभिन्न कामों पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। विशेषकर जब से डा० श्रीमाली जी ने इस काम को सम्भाला है, वे इस में अधिक रुचि लेने लगे हैं और उनका प्रयास यह है कि हमारे देश की शिक्षा इतनी उन्नति हो जाय जितनी कि इस देश के निवासी आकांक्षा करते हैं ।

अभी हमारे एक अकाली सदस्य महोदय ने लांछन लगाया कि हरिजनों के ऊपर समुचित ध्यान सरकार नहीं देती है। मेरा अपना खयाल है कि उनकी यह बात गलत है। मैं स्वयं इस बात का पक्षपाती हूं कि हरिजनों को और अधिक रकम मिलनी चाहिये, और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लेकिन जो लांछन लगाया गया है वह बिलकुल गलत है। उन्होंने पूछा कि कितने हरिजन अधिकारी हैं। मैं पंजाब की बात नहीं जानता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि वहां पर कलैक्टर, एन० डी० एम०, प्लानिंग आफिसर और दूसरे कई बड़े बड़े पदों पर हरिजन लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है, उनको स्कालरशिप भी बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यही कारण है कि वे उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति कर पाये हैं और इन पदों तक पहुंच पाये हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रगति की रफ्तार को और भी बढ़ाया जाये और जहां जहां कमियां हैं, उनको दूर किया जाये। लेकिन जो लांछन लगाया गया है, उसको मैं बिल्कुल निराधार समझता हूं। इस तरह का लांछन लगाना उचित भी नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पर भी टीका टिप्पणी की जाये, तो यह अच्छा नहीं है। हम मांग कर सकते हैं कि जहां कहीं कमी है, उसको पूरा किया जाये ।

शिक्षा मंत्री जी के विचारार्थ मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। उनके नोटिस में शिक्षा के उन स्तरों को मैं लाना चाहता हूं जिसे प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहा जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस दिशा में प्रयत्न तो काफी हो रहा है, लेकिन वह समुचित नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे पास साधनों की कमी है। हम लोगों ने अपने संविधान में कहा था कि सन् १९६० तक हम देश भर में चौदह वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे सकेंगे। लेकिन हम ने सन् १९६५ तक केवल ७१ प्रतिशत बच्चों को शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है और वह भी ग्यारह बरस तक के बच्चों को। जहां नियोजन आयोग बड़े बड़े कामों के लिए रुपया खर्च करता है, वहां मैं उससे यह अनुरोध करूंगा और चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भी इस सदन की ओर से नियोजन आयोग से प्रार्थना करें कि शिक्षा मंत्रालय की इस कमी को पूरा करने के लिए नियोजन आयोग समुचित प्रबन्ध करे ताकि शिक्षा मंत्रालय कोई ऐसी योजना बना सके जिससे वह सन् १९६५ तक नहीं तो सन् १९७० तक चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को, शत प्रति शत बच्चों को, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का प्रबन्ध कर सके।

अब मैं बुनियादी शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके बारे में कुछ गलतफहमी सी फैल गई है। गलतफहमी इस वजह से है कि बुनियादी शिक्षा हमारा आदर्श तो है लेकिन

[श्री म० ला० द्विवेदी]

हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे देश का जितना भी अधिकारी वर्ग है उसका विश्वास बुनियादी शिक्षा पर नहीं है। दिल्ली को ही आप ले लें या दूसरे प्रदेशों को ले लें। शिक्षा, जिसको बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, वह मखौल मात्र बन कर रह गई है या उसके साथ आज खिलवाड़ की जा रही है। उत्तर प्रदेश या दिल्ली में जितने भी बुनियादी स्कूल हैं, उन में बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ने के लिए भेजे नहीं जाते हैं, या मंत्रियों के लड़के पढ़ने के लिए भेजे नहीं जाते हैं, वे सब कानवेंट्स में पढ़ते हैं या इस किस्म के स्कूलों में पढ़ते हैं जहां कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है और वे उच्च स्तर के . . . . .

श्री बैरो (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : सब शिक्षा अच्छी है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं चाहता हूं कि सभी स्कूलों में वैसी शिक्षा हो जाये। लेकिन ऐसा न हो कि जो इस देश के मूल निवासी हैं और जिन से कर वसूली से हमारे देश का पूरा आधार टिका हुआ है, उनके बच्चों को शिक्षा हम इस किस्म की दें जिससे वे ठीक प्रकार के नागरिक न बन सकें और अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दिलाने में विश्वास करें कि जो कानवेंट्स की तरह के हैं या जो नई तर्ज के स्कूल हैं, अंग्रेजी तर्ज के स्कूल हैं जैसे देहरादून में है, या पब्लिक स्कुल हैं। यह कहां तक उचित समझा जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को दी जाये और आप उस में विश्वास करते हैं तो हम जो नीति बनाने वाले हैं तथा जो सरकार में पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके लिए यह आदेश होना चाहिए कि उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। यदि बेसिक स्कूल हमारा ध्येय है, तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ध्येय बेसिक स्कुल नहीं है तो आपको चाहिये कि बेसिक स्कूल्ज़ को आप खत्म कर दें। ऐसा न हो कि आप कहें कि आप महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं और उनकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आप बेसिक स्कूल चलाना चाहते हैं लेकिन वास्तव में आप उनका मखौल करें और वास्तव में बेसिक शिक्षा न दें। यह सत्य है कि जो लड़के प्रारम्भिक स्तर से बेसिक में जाते हैं उन्हें अंग्रेजी स्कूलों में भरती नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो वे ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये हम को शिक्षा का स्तर अच्छा बनाना चाहिये। यह बात मैं ने ही नहीं कही, बड़े बड़े शिक्षा विशारदों ने ही नहीं कही है, बल्कि राष्ट्रपति तक ने कहा है कि इस देश की शिक्षा में आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इस की ओर हम ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है जब कि इस की बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि इस देश के भावी नागरिकों को हम उच्छंखल नहीं बनाना चाहते, अनुशासनहीन नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज कल हमारी शिक्षा का क्रम ऐसा नहीं है। विद्यार्थी आज कल अनुशासित नहीं होते और उन की शिक्षा गलत होती है। जब विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से पास हो कर निकलते हैं तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं होते। हमारी शिक्षा का उद्देश्य यह हो गया है कि वे केवल कलर्क हो सकें। दूसरे देशों में शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है। वहां हर विद्यार्थी को विज्ञान आवश्यक रूप से पढ़ाया जाता है, प्राविधिक शिक्षा वहां पर स्कूलों में अनिवार्य होती है। यहां पर कुछ प्राविधिक स्कूल हैं लेकिन यहां पर शिक्षा में उन का अनिवार्य क्रम नहीं है। इस लिये यह होता है कि हम क्लर्क पैदा करते हैं, छोटे छोटे बाबू पैदा करते हैं जिन में योग्यतायें नहीं होती हैं। पब्लिक सर्विस कमिशन की परीक्षाओं में हम देखते हैं कि किस प्रकार के उत्तर आते हैं, बड़े बड़े स्नातकों की ओर से बड़े बड़े एम० ए० और बी० ए० पास लड़कों की ओर से, और इसी लिये वे हमारी सेवाओं के लिये ठीक नहीं होते। हम देखें कि विश्वविद्यालयों में आज कल जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उस का स्तर ऊंचा हो और वे इम्तहान पास करने के पश्चात् किसी काम के योग्य बन सकें। वे सरकारी सेवाओं के लिये ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्वतन्त्र रूप से खड़े हो सकें। ऐसा

ढांचा शिक्षा का बनाना आवश्यक है । विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना हो । उन में हड़ताल करने की भावना या अध्यापकों के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करने की भावना न आये तो ज्यादा उत्तम होगा। ऐसी शिक्षा हमें बनानी चाहिये । हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उन की ओर हम ने ध्यान नहीं दिया । अभी किसी स्कूल में ऐसी पुस्तकें नहीं हैं जिन में महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का वर्णन होता रहे । हमारा देश सत्य और अहिंसा के पथ पर जा रहा है । विश्व में हम पंचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन हम ने आज तक स्कूलों में ऐसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया । या तो हम नहीं चाहते कि हमारी अगली पीढ़ी पंचशील सिद्धान्तों पर विश्वास करे और गांधी जी के सिद्धान्तों पर चले या फिर हम में इस बात की क्षमता नहीं है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में अनुकूल परिवर्तन कर सकें । इस लिये समय का तकाजा है और देश की मांग है कि हमारी पाठ्य पुस्तकें इस योग्य हों कि हमारा भारतवर्ष अगर अभी नहीं तो १०० वर्ष बाद ही इन सिद्धान्तों पर चल सकने के योग्य हो और ऐसे मंत्री उत्पन्न हो सकें जो इन सिद्धान्तों के अनुसार पढ़ लिख कर तैयार हों । हमारे शिक्षा मंत्री तो महात्मा गांधी के जीवन काल में रहे हैं इस लिये वे इन सिद्धान्तों से परिचित हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थी उन सिद्धान्तों को नहीं जानते कि वे क्या हैं । उन की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी पुस्तकों का सम्मिलित होना आवश्यक है जिन से उन का चरित्र निर्माण हो साथ ही उन पुस्तकों में ऐसी बातें भी होनी चाहियें जिन से किसी भी प्रकार से देश में अनुशासनहीनता न आये । इस सम्बन्ध में एक पाठ्यक्रम, भले ही वह एक हफ्ते में एक दिन हो, होना चाहिये ।

श्री का० रा० गुप्त (अलवर) : क्या गांधी जी की कोई बात मानी जा रही है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : अधिकांश मानी जा रही हैं, आप को पता नहीं है ।

श्री का० रा० गुप्त : कौन कौन सी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : बहुत सी, मैं बताऊंगा जब यह भाषण समाप्त हो जायेगा क्योंकि इसे देखने के लिये आंख चाहिये । आप नुक्ताचीं की नजर से देख रहे हैं लेकिन मैं जो सत्य बात है उसे बतला रहा हूं । इस लिये जब आप सदन से बाहर आयेंगे तो मैं सब बातें आप को बतलाऊंगा ।

अध्यापकों के बारे में मेरा यह कहना है कि अध्यापक वर्ग आज कल देश में ऐसा है जिसे भारतवर्ष में कहीं नौकरी न मिलती हो । जो अध्यापक हमारी भावी पीढ़ी को सुधारने के लिये नियुक्त किये जाते हैं उन की यह दशा है कि हमारे यहां पोस्टमैन को तो ८५ और ९० रु० तन्ख्वाह मिलती है लेकिन अध्यापक की तन्ख्वाह ४० या ४५ रु० होती है ।

एक माननीय सदस्य : कहीं कहीं ३० रु० भी है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : कहीं कहीं ३० रु० भी होगी । मैं समझता हूं कि जब तक अध्यापक को निम्न स्तर की तनख्वाह पर रखा जायेगा तब तक आपको अच्छे शिक्षक प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि आजकल सब लोग दूसरी नौकरियों में जाना चाहते हैं । जब किसी को कहीं पर कोई दूसरा धन्धा नहीं मिलता तो वह शिक्षा विभाग में प्रवेश करता है और पढ़ाने का काम अपना लेता है । वह वहां पर अपना अवसर सुधारा करता है और ज्योंही मौका मिलता है वह उसको छोड़कर चला जाता है । ऐसी स्थिति में हमें अच्छे अध्यापक कैसे मिल सकते हैं ? इसलिये भले ही हम कम स्कूल खोलें लेकिन जल्दबाजी न करें । यदि हम सन् १९७० तक भी अनुकूल शिक्षक न ला सकें तो भी हमको धैर्य रखना पड़ेगा । हम धीमी गति से चलें लेकिन हमारे अध्यापक उच्च श्रेणी के हों, उनके वेतन स्तर

[श्री म० ला० द्विवेदी]

ऊंचे हों, ताकि वे भी इस समाज में अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में उन की रुचि हो । ऐसा न हो कि उनका ध्यान अपना जीवन बनाने में ही लगा रहे। जो अध्यापक बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं ऐसे शिक्षकों से हमारे देश को लाभ नहीं हो सकता है । इसलिये सब से आवश्यक बात यह है कि जैसे भी हो हम अपने शिक्षकों का स्तर ऊंचा बनाने की ओर अवश्य ध्यान दें । यह खराबी सब से अधिक प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में है, उच्च शिक्षा के स्कूलों में बहुत हद तक वह ठीक भी हो गया है । मगर जो दो बुनियादी शिक्षायें हैं जिन पर हमारे देश की नींव आधारित है उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है ।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देते हुए इस बात को कहूंगा कि उन्होंने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के सम्बन्ध में समुचित कार्य किया है । हिन्दी शब्द कोष तैयार हो चुका है, उसका प्रथम खण्ड मेरे पास आ भी चुका है तथा दूसरा खण्ड मुद्रण में है । उन्होंने जो यह काम पूरा किया है उसके लिये उनको बधाई है । उन्होंने आगरे में एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी खोला है उस के लिये जो कि अच्छा काम कर रहा है, और देश में ऐसे तीन और विद्यालय खुल रहे हैं जिन से हिन्दी के प्रशिक्षण का काम ऊंचा होगा । यह हमारे लिये एक शुभ चिह्न है । मैं उन लोगों मे से नहीं हूं जो चाहते हैं कि हिन्दी देश पर जबर्दस्ती लादी जाय । लेकिन मैं इस बात का अवश्य पक्षपाती हूं कि हिन्दी का प्रचलन बढ़ाया जाय ।

एक माननीय सदस्य : वे कौन लोग हैं जो लादना चाहते हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी: मेरे खयाल में कोई नहीं है । आप सही कहते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी वाले हिन्दी को लादना चाहते हैं दूसरों पर । मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिन्दी प्रदेश के कोई लोग भी ऐसे नहीं हैं जो दूसरों पर हिन्दी को लादना चाहते हैं । यदि यह समझा जाय कि देश भर में अधिकांश लोगों की भाषा हिन्दी है और हिन्दी का प्रयोग रखने से देश का काम सुधर सकता है तब तो हिन्दी को बढ़ाया जाय और उसको उस स्थान पर रखा जाय जिस पर उसको रखना चाहिये । और अगर हम लोगों की यह राय गलत है तो मैं इस बात के लिये भी तैयार हूं कि हिन्दी को संविधान से निकाल दिया जाय । लेकिन लोगों को इस तरफ ध्या देना है । हम हिन्दी के प्रचार और प्रसार लिये .....

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : आपने कहा कि हम लोग तैयार हैं संविधान से निकाल देने के लिये । आप के अलावा और कौन तैयार हैं ?

श्री म० ला०द्विवेदी : जो नहीं तैयार हैं उन पर विचार किया जायेगा । मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को नाराज करके, या रुष्ट कर के हिन्दी को बढ़ने के काम में रुचि नहीं रखना चाहता । लेकिन इतना अवश्य है कि जब हम विदेशों में जाते हैं और वहां पर अंग्रेजी के द्वारा अपना विचार विमर्श करते हैं तो हमारी हंसाई होती है और हमें बड़े बुरे समय का सामना करना पड़ता है । ऐसी स्थिति देश की किसी भाषा को एक राजभाषा का रूप धारण करना होगा चाहे वह तामल हो तैलगू हो चाहे मलयालम हो या मराठी हो । यह सौभाग्य की बात है कि संवधान सभा ने और देश के प्रतिनिधियों ने निश्चय किया था कि हिन्दी को राजभाषा बनाया जाय और यह निर्णय किया गया कि सन् १९६५ तक हिन्दी लागू हो जायेगी । मुझे स्मरण है कि मौलाना आजाद ने शिक्षा मंत्री की हैसियत से एलान किया था सन् १९५० से लेकर सन् १९५५ तक हिन्दी को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। सन् १९५५ से १९६० तक हिन्दी और अंग्रेजी के कागजात साथ साथ दिये जायेंगे सन् १९६० से १९६५ तग हिन्दी में काम चलने लगेगा,

लेकिन वह राज भाषा का रूप सन् १९६५ में ही ग्रहण करेगी । लेकिन हमने जिस पन्द्रह वर्षों के कार्यक्रम की घोषणा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने की थी उसका पालन नहीं किया । आज सन् १९६२ का समय आ गया है लेकिन हमको हिन्दी में समुचित कागज पत्र नहीं मिलते । यहां तक कि मंत्रालयों के प्रतिवेदन भी कभी कभी साल साल भर बाद छप कर मिलते हैं और परेशानी इस बात की हो रही है कि इस सदन में हिन्दी जानने वालों की संख्या अधिक होते हुए भी उनकी भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । मैं चाहता हूं कि हिन्दी सन् १९६५ में आये । अंग्रेजी उसके बाद भी चलती रहे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें संविधान में दी हुई मान्यताओं के प्रति उदार होना चाहिये और अपने विचारों को मनवाने में इस तरह से चलना चाहिये कि जिससे हिन्दी सचमुच व्यावहारिक रूप ले सके और राजभाषा का स्थान ग्रहण करने में संक्षम हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी को पुनः इस बात पर बधाई देता हूं कि जो काम वे कर रहे हैं वे सराहनीय हैं । मैं आशा करता हूं कि मेरे जो सुझाव हैं उनको मान कर वे भविष्य में ऐसे कदम उठायेंगे जिनसे शिक्षा मंत्रालय पर बोलने के लिये हमे भविष्य में और अच्छे शब्द प्रयुक्त करने का अवसर मिल सके ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) :

ओम यः प्राणतो निमिष्तो मही त्वैक इआजा जगतः बभूवा ।
य ईशे अस्य द्विपदस्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेमा ।।

उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा का विषय चल रहा है । शिक्षा एक बहुत अनिवार्य विषय है । शिक्षा के बिना मनुष्य बिना सींग और पूंछ का पशु है । यदि उसे शिक्षा न दी जाय तो दूसरे पशुओं से वह कम नहीं है । संसार मे जो भी चमत्कार हैं वे सब शिक्षा के ही हैं । हम और आप इस सदन में बैठे हैं, इसका यह रूपान्तर भी शिक्षा के कारण है । परन्तु कुछ सज्जन यही समझते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है वही शिक्षा है । मैं घोषणा करना चाहता हूं कि दो सौ वर्ष पहले जब यह ए० बी० सी० डी० देश के अन्दर नहीं थी तो क्या यहां के लोग अनपढ़ थे, क्या पढ़ना लिखना नहीं जानते थे । और सात सौ वर्ष पहले जब कि यहां उरदू फारसी नहीं थी तो क्या यहां के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे ? मैं कहना चाहता हूं कि मैं नवीनता का विरोधी नहीं हूं किन्तु मैं चाहूंगा कि प्राचीनता को आंखों से ओझल न कीजिए ।

कई व्यक्ति कहते हैं कि पुरानी शिक्षा से क्या बनेगा । मैं कहता हूं कि आप पुरानी शिक्षा का और नवीन शिक्षा का मिलान कीजिये । मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको पुरानी शिक्षा का महत्व विस्तार से बता सकूं । उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी शिक्षा यह थी :

समानो मंत्रः समितिः समानी,
समानी प्रपा सहवो अन्न भावी ।

पुरानी शिक्षा कहती हैं कि हे मनुष्य तेरे अन्दर विषमता नहीं चाहिये, समानता होनी चाहिये । लेकिन हम देखते हैं कि आज हम विषमता में फंसे हुए हैं, हमारे जीवन में कितनी विषमता आ रही है । मेरे देश के लोग जिनकी कृपा से आज हम इस सदन में आकर बैठे हैं आज उनके वास्ते ऊपर से सूर्य अंगारे फेंक रहा है, नीचे से धरती भी अग्नि की वर्षा कर रही है, वायु भी बड़े सुन्दर कोड़े मार रहा है गरम गरम और हम पांच सौ से अधिक व्यक्ति ऐसी ठंडक में बैठे हैं जिसमें फुरफुरी आ जाए । यह असमानता हमारे बीच में है । प्राचीन शिक्षा में समानता होती थी, आज समानता का अभाव है। आज समाता नहीं है । मैं चाहूंगा कि यह जो आज असमानता का बरताव किया जा रहा है यह हमारे सदस्यों के सामने आए । मैं चाहता हूं कि आप बैठें ठंडे में लेकिन उन राय देने वाले लोगों की तरफ भी

[श्री रामेश्वरानन्द]

आपका ध्यान होना चाहिए जिनको पीने के पानी का कष्ट है और पानी नहीं मिलता और मिलता भी है तो उबलता हुआ पानी मिलता है, यहां जैसा ठंडा पानी नहीं मिलता। क्या शिक्षा इसका नाम है कि कुछ व्यक्ति मौज कर रहे हैं ? यह शिक्षा नहीं है, यह समाजवाद नहीं है।

और खाने की ओर देखिए। खाने की विचित्र स्थिति है। आज हम इस असमानता को नहीं सहन कर सकते। आज हमारे देश में भूखे आदमी को पेट भर भोजन नहीं मिलता। आज का देहाती आदमी प्याज के गट्ठे के बल से रोटी को गले के नीचे उतारता है। इसीलिये मैं कहता हूं कि आप पुरानी शिक्षा को साथ लायें। आज जो मेरे देश में शिक्षणालयों में शिक्षा दी जारही है लड़के लड़कियों को नाचने की। मैंने कल पूछा था मंत्री महोदय से कि इससे किस समस्या का समाधान होगा। इस पर इतना व्यय किया जा रहा है, यदि यह न हो तो देश की कौन सी नहर या सड़क टूट जाएगी या कौन सा सूरज टूट पड़ेगा। यह आप क्यों लाना चाहते हैं। आप इसको कल्चरल प्रोग्राम कह देते हैं। क्या मेरे देश वाले लोग नाचा करते थे। क्या मेरे देश के लोग और कुछ नहीं करते थे।

आप प्राचीन शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, प्राचीन साहित्य को पढ़िये। आज हमारे देश के बालकों को पढ़ाया जाता है कि आर्य बाहर से आये थे। कोई कहता है कि ईरान से आये थे, कोई कहता है कि उत्तर ध्रुव से आए थे। मैं उन शिक्षा विशारदों को चैलेंज करता हूं कि उनके पास ऐसा कहने के लिए क्या प्रमाण है कि हम बाहर से आए थे। क्यों इसी तरह की बातें पढ़ा कर बच्चों का दिमाग खराब किया जा रहा है ?

एक माननीय सदस्य : यह "चैलेंज" अंग्रेजी शब्द है।

श्री रामेश्वरानन्द : यदि अहम् संस्कृत भाषायां वदेयम् तदा भवन्तः किमपि न ज्यास्यन्ति। भवतां कृते अहम् वदामि। मैं इसीलिये मिली जुली भाषा में बोलता हूं कि आपकी समझ में आ सके। मैं आपके लिए बोलता हूं अपने लिए नहीं बोलता।

तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि संस्कृत की किस पुस्तक में यह लिखा है कि आर्य ईरान से या मध्य एशिया से आए थे। क्यों यह पढ़ाया जाता है देश के बच्चों को।

अब शिक्षा के लिए हरिजनों को सहायता दी जा रही है। मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है तो कहा जाता है कि क्योंकि हरिजन गरीब हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप गरीब के नाम पर सहायता क्यों नहीं देना चाहते। जिस प्रकार एक हरिजन गरीब हो सकता है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण या या वैश्य या ठाकुर भी गरीब हो सकता है, गरीब तो कोई भी हो सकता है, तो फिर हरिजन के नाम पर सहायता क्यों देते हैं। गरीब के नाम से देने से क्या लाभ होगा। हरिजन के नाम से देने से तो राएं मिलेंगी। इसीलिये जाति के नाम पर सहायता दी जाती है। आप जाति पात को खत्म करना चाहते हैं और अपनी तरफ से खत्म कर चुके हैं। लेकिन क्या यह जाति को प्रोत्साहन देना नहीं है। यह आप प्रोत्साहन दे रहे हैं।

मैं कहता हूं कि आज देश के बच्चों को नास्तिक बनाया जा रहा है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है आपकी सारी पढ़ाई में आरम्भ से लेकर अन्त तक। यह ठीक है मैं माने लेता हूं। आप करें नवीन शिक्षा को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में कोई ऐसी वस्तु है जिसका बनाने वाला कोई न हो ? यह विश्व कितना सुन्दर है ? पर यह कैसे बन गया ? मेरे इतने सुन्दर हाथ पैर लग गए। आपके इतनी सुन्दर आंखें कैसे लग गयीं ? क्या इनका बनाने वाला कोई नहीं है ? आपके विज्ञान में लड़कों को पढ़ाया जाता है कि सूरज चलता है, चन्द्रमा चलता है, पृथ्वी चलती है। ठीक है। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या कोई वस्तु बिना चलाने वाले के चल सकती है।

क्या आपकी मोटर, रेल, वायुयान बिना चलाने वाले के चलते हैं ? यदि ये वाहन बिना चलाने वाले के नहीं चलते तो कोई न कोई इस विश्व का चलाने वाला भी अवश्य होना चाहिए । आपक विज्ञान में बताया जाता है कि धरती पानी पर है और पानी वायु पर आधारित है । लेकिन वायु किस के ऊपर आधारित है ? उसका भी तो कोई आधार होना चाहिए । इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपको देश को वास्तव में शिक्षित बनाना है तो आपको शिक्षा में प्राचीनता और आध्यात्मिकता लानी होगी ।

एक भाई कह रहे थे कि लड़के उच्छृखंल बन रहे हैं । क्यों न बनें ? कौन सी ऐसी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को कि वे उच्छृखंल न बनें ? कहा जाता है कि धर्म कुछ नही है । और जब दुनिया में धर्म कोई चीज नहीं है तो लड़कों को उच्छृखंल होन से कैसे रोका जा सकता है ? मैं चोरी क्यों न करूं ? मेरा मेल है अध्यक्ष से, मेरा मेल है मंत्री से, मेरा मेल है राष्ट्रपति से, मैं चोरी क्यों न करूं ? लेकिन यदि आप धर्म को मानते हैं तो किसी के साथ भी मेरा मेल क्यों न हो मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि उस समय मैं अनुभव करूंगा कि ये सब के सब, मेरे अध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री आदि एक और शासन के अधीन रह रहे हैं जिसके कारण सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन चाहता है कि हम बूढ़े बनें ? कौन बूढ़ा बनना चाहता है, कौन चाहता है कि जवानी न रहे ? चाहता तो कोई यह भी नहीं कि हम बालक न रहें क्योंकि बालकपन में सुन्दर गोल गोल मुंह रहता है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, कोई दायित्व नहीं रहता । किसने चाहा था कि वह बच्चे से जवान बन जाए ? खैर जवान हो गया । मगर बुढ़ापा कौन चाहता है ? ईश्वर न सही । आप कहते हैं नेचर है । नेचर क्या है । हम जो आगे पीछे, ऊपर नीचे देखते हैं सब नेचर है । लेकिन ये सब तो बूढ़ापे की तरफ जा रहे हैं । हम देखते हैं कि सूर्य, चन्द्रमा, लोक लोकान्तर जिनको आप नेचर कहते हैं ये सब बूढ़ापे की ओर जा रहे हैं । ऐसा क्यों हो रहा है ? इस विषय में प्राचीन शिक्षा बताती है ।

भयादस्य अग्निस्तप्ति भयादस्य सूर्य ;
भयाद् इन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युधावति पंचम इति ।

सारा संसार मृत्यु की ओर बढ़ा जा रहा है । बालक को जब यह पता चलेगा और उसको यह पाठ पढ़ा देंगे कि परिवार वालों के साथ पहले उसका क्या सम्बन्ध था और आगे क्या सम्बन्ध रहेगा तो उसे बेईमानी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । आपकी शिक्षा से दीक्षित लोग, आप जिन्हें शिक्षित कहते हैं, यही दुनिया भर के अनाचार करते हैं यह मैं सिद्ध कर सकता हूं । दूसरे अशिक्षित या अर्धशिक्षित लोग ऐसा नहीं करते । मैं पूछता हूं कि यह ब्लैक मारकेटिंग कौन करता है ? क्या यह अशिक्षित करते हैं ? यह रिश्वत कौन लेता है और कौन देता है ? क्या अशिक्षित करते हैं ? मैं पूछता हूं कि आज क्लबों में नंगा कौन नाचता है ? क्या हमारा जमींदार नाचता है । यह अंडे कौन खाता है, मांस कौन खाता है ? ये काम शिक्षित लोग करते हैं । आप इस शिक्षा को शिक्षा समझते हैं । मैं इसको कुशिक्षा समझता हूं । आप देश को उलटा न ले जाएं । कृपा करके आप इस देश को चलने दीजिये । आप यह न समझिये कि जब से महात्मा गांधी आये हैं तभी से सब काम हुआ है । अभी एक सज्जन कह रहे थे कि महात्मा गांधी को पुस्तक पढ़ाई जानी चाहिए । मैं उस का विरोधी नहीं हूं । लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि स्वयं महात्मा गांधी को कहां से यह सब सत्य अहिंसा की शिक्षा मिली थी ? अब उसके लिए सोचे सोचे आप यह क्यों नहीं कहते कि योग दर्शन पढ़िये, न्याय दर्शन पढ़िये और सांख्य दर्शन पढ़िये ? लड़कों को आप इन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन क्यों नहीं देते ? उसके लिए आप वेद और शास्त्रों

[श्री रामेश्वरानन्द]

का नाम क्यों नहीं लेते ? यह ठीक है कि महात्मा गांधी हमारे पूज्य बुजुर्ग है । उन्होंने देश के स्वाधीनता संघर्ष में हमारा नेतृत्व किया है । हमने उनके चरणों में पड़ कर जेलें काटी हैं । हम उनको कदापि भुला नहीं सकते हैं लकिन स्वयं महात्मा गांधी को जिन शास्त्र और वेदों आदि से शिक्षा मिली वह सब पुस्तकें आज भी मौजूद हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं लेना चाहते ? पढ़ाई में यह नहीं बताया जाता कि गांधी जी आदि महापुरुषों ने शास्त्र और वेदों से शिक्षा ग्रहण की थी । लड़कों को खाली यह बताया जाता है कि महात्मा गांधी ऐसे थे और अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा सकूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है । लड़कों को यह तो पढ़ाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे हैं और राष्ट्रपति जी ऐसे हैं । मैं तो चाहूंगा कि आप उनको पढ़ाइये कि मां का कर्त्तव्य क्या है ? तुम ने कभी सोचा कि मां ने क्या किया है या तुम्हारे साथ में पिता ने क्या किया है ? मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि जहां आप लड़कों को देश के नेताओं की बातें बताना चाहते हैं वहां पर उनको यह भी तो बतलाइये कि माता के प्रति बालकों का क्या कर्त्तव्य है, पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य है और बड़े बड़े आदमियों के प्रति क्या कर्त्तव्य है ? यह आप की शिक्षा में आना चाहिए ।

मैंने उत्तर प्रदेश की पांचवी श्रेणी में पढ़ोई जाने वाली एक किताब देखी थी जिसमें कि एक गाय दिखाई गई है, बालक बैठा है और उसके नीचे आग जला रक्खी है । यह कई वर्ष की बात है । इस समय आज वह पुस्तक मेरे पास नहीं है । उसमें कहा जा रहा है कि आर्य लोग गाय को भून कर खा रहे हैं । यह लज्जाजनक उपदेश मेरे बच्चों को दिया जा रहा है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसीका नाम शिक्षा है ? मांस तो पशु भी खा सकता है, पक्षी भी खा सकता है, गधा घोड़ा भी खा सकता है अगर उसे खिलाया जाय (अन्तर्बाधा) आप खूब बोलें मुझे पर कोई प्रभाव नहीं होने का, मैंने कच्ची गोली नहीं खेली है । मेरा कहना है कि आप लड़कों को शिक्षा दिलाइये लेकिन वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं भी जी सकूं और दूसरे लोग भी जी सकें । महात्मा गांधी जो भी ऐसी शिक्षा देने के हामी थे जिसमें हम भी जियें और दूसरे भी जियें लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज उस प्रकार की शिक्षा हमारे बालकों को नहीं मिल रही है । अब जुते पहनने वाले एक एक व्यक्ति के घर को देख लीजिये, हर एक के घर में गठरी गठरी जूते रक्खे हुए हैं । मैं नहीं समझता कि लोग इतने ढेर सारे जूते अपने पास क्यों रखते हैं । अब अगर हमारे वह भाई खाली एक जूता अपने पास रख लें तो यह १५ जोड़ी जूते गरीबों को मिल सकते हैं और यह जूते उन्हें सस्ते मिल सकते हैं ।

आज हर तरफ मंहगाई का शोर है । मैं इस मंहगाई को कम करने और उसे बढ़ने से रोकने का एक उपाय बतलाता हूं और वह यह कि किसी भी व्यक्ति को १००० रुपये से अधिक वेतन न दिया जाय और यदि ऐसा किया जायगा तो मंहगाई का इलाज हो जायेगा ।

यह कितने दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे अध्यापक जिन पर कि बालकों को शिक्षित करने का महान दायित्व डाला हुआ है जिहोंने कि राष्ट्रपति बनना है, मंत्री बनाने हैं और सब कुछ बनाना है उन अध्यापकों को पेट भरने लायक वेतन सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा हैं । अब आप समझ सकते हैं कि जब गुरू की आत्मा दुखी हो और उसका पेट न भरे तो वह लोगों को शिक्षात करने का महान् दायित्व कैसे कामयाबी से निभा सकेगा ? आज हालत यह हैं कि हमारे अध्यापकों को ६, ६ महीने तक वेतन भी नहीं मिलता हैं । उनकी शिकायतें मेरे पास मौजूद हैं जिसमें उन्होंने मुझसे प्रार्थना की हैं कि मैं उनके लिए कुछ कहूं । अब मैं क्या कहूं और किस से कहूं और क्या रोऊं ? आज शिक्षा की कैसी दुर्दशा हो रही हैं और देश की स्थति कैसी भयंकर हैं यह चीज किसी से छिपी नहीं है ।

करनाल जिले से मैं यहां पर चुन कर आया हूं। रोहतक से लगा कर जगाधरी तक देख जाइये मैं इसके लिये चैलेंज करता हूं कि इस बार केवल एक हायर सेकेंडरी स्कूल उधर खोला गया हैं। आपने शिक्षा के लिए माकुल व्यवस्था नहीं की हुई है। जब वर्षा के दिन आते हैं तो स्कूल अगर हैं भी तो भी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है।

आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे वहां पर लोगों को ४, ४ और ६, ६ महीने का नमक भी रख लेना पड़ता है क्योंकि चौमासे में जब वर्षा होती है तो वह लेने कैसे जायें सब ओर पानी ही पानी भर जाता है। चौमासे में बच्चे भी स्कूल में पढ़ने को नहीं जा सकते हैं। अब यह स्थिति आज हमारे देश की है लेकिन किसे सुनायें और सुनायें भी तो बहरे कानों पर उसका असर भी क्या होने वाला हैं। मैं पुनः आप से निवेदन करना चाहता हूं और देश के और लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मैं अपने देश को उन्नत और समृद्धिशाली देखना चाहता हूं और मैं तो विशेष रूप से देश को स्वर्ग बनाने के प्रयत्न में आप से सहयोग करने को तैयार हूं। मैं तो चाहता हूं कि हम सब लोग मिल कर इस देश को स्वर्ग बनाने का यत्न करें, लेकिन जहां कुछ दूसरे से पूछा ही नहीं जाता वहां क्या किया जाये?

मैंने जो चन्द एक बातें कही हैं उनका उत्तर मुझे अंग्रेजी में दिया जावेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर अंग्रेजी से इस तरह का मोह क्यों रक्खा जा रहा है और उससे चिपटे रहने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? अंग्रेजी को आप क्यों बनाये रखना चाहते हैं। जब अंग्रेज चले गये तो इसको भी क्यों नहीं जाने देते। इसको भी हिन्दुस्तान से चला जाना चाहिए। आप देश के बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने का यत्न करें। पुरातन शिक्षा प्रणाली को आप लायें और इस देश के बच्चों को आप सही तौर पर शिक्षित करें जिससे कि यह देश फिर एक बार अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके और उन्नति कर सके। ओ३म शान्ति।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर महिला सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री मुत्थाल राव (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, औन प्वाएंट आफ आर्डर, सर। मैं इस पर आप की रूलिंग चाहता हूं कि यह तो लोक सभा है तो क्या यहां पर प्रार्थना की जा सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री चन्द्रिका (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी जब मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण सम्बन्धी बहस पर बोला था, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे और आज जब कि शिक्षा मंत्रालय के बजट की मांगें विचाराधीन हैं, मैं आज फिर उस सम्बन्ध में अपने विचार संक्षेप में प्रकट करना चाहूंगा।

आज मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन हायर सेकेंडरी एजूकेशन और प्राइमरी एजूकेशन के लिये प्रान्तीय भाषाओं में हैं। ज़्यादातर जो हाई स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन आम तौर पर प्रान्तीय भाषाओं में हैं। उनसे पास हो कर निकलने वाले विद्यार्थी जब कालिज शिक्षण में जाते हैं, कालिजों में जाते हैं, यूनिवरसिटीज में जाते हैं तो वहां उन का मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन बदल जाता है। और वहां पर उनको एक दम अंग्रेजी भाषा में शिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। मेरा कहना है कि इस चेंज ओवर में बड़ी त्रुटियां हैं और उससे जो हानि विद्यार्थियों को हो रही है उसका मुझे अनुभव है। आज भारतवर्ष में हम देखते हैं कि ज्यादातर विद्यार्थी देहाती जीवन में रहने वाले हैं और देहातों में रहने वाले लोगों के बच्चे जब शिक्षण प्राप्त करते हैं तो वह प्रान्तीय भाषाओं में

[श्री चन्द्रिका]

शिक्षण प्राप्त करते हैं। यह ठीक ही है और इस में उनको सुविधा रहती है कि वह हाई स्कूल तक अपनी प्रान्तीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करें। मैं भी यही चाहता हूं कि उनको जो भी शिक्षण दिया जाये, वह उनको प्रान्तीय भाषाओं में ही दिया जाय मगर आज मैं एक प्रकार का कम्पीटीशन देखता हूं कि वह विद्यार्थी जो कि शहरों में रहते हैं और अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा प्राप्त करते हैं और जब वह आगे चल कर पी० यू० सी० प्री प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री कोर्स में आते हैं तो उनमें और उन विद्यार्थियों में जो कि दूसरी तरफ से प्रान्तीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कर के पी० य० सी०, प्री प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री कोर्स में आते हैं, दोनों में एक प्रकार का संघर्ष होता है। कम्पीटीशन होता है। अब इस बारे में मेरा कुछ अनुभव है और कटु अनुभव है और बहुत से शिक्षकों ने भी मुझे यह बताया है कि वह विद्यार्थी जो कि प्राइमरी और हाई स्कूल स्टेज में प्रान्तीय भाषा में शिक्षण पाकर द्वितीय श्रेणी में पास होते हैं उनको जब अंग्रेजी में शिक्षण प्राप्त करना होता है तो उनकी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी भी चली जाती है और उनके तृतीय श्रेणी में उतर जाने की नौबत आ जाती है और इतना ही नहीं बल्कि बहुत से विद्यार्थी जो कि पहले काफी अच्छे रहते थे फेल तक होते देखे गये हैं। यह चीज हम को जल्द से जल्द खत्म करनी चहिये। इसको जितनी जल्दी खत्म करेंगे और निकाल देंगे उतना ही देश के लिये अच्छा होगा और भला होगा। इसलिये जरूरत इस बात की है कि कालिज और युनिवरसिटीज में भी प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाय। जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हमारे देहातों में बसने वाले विद्यार्थी उन विद्यार्थियों के मुकाबले में जो कि शुरू से ही अंग्रेजी मीडिम से पढ़े हैं, डिसऐडवांटेज में रहेंगे और कम्पटीशन में उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिये इस बात की जरूरत है कि कालिज और युनिवरसिटीज स्टेज में भी प्रान्तीय भाषाओं में शिक्षण देने की व्यवस्था की जाय ताकि उन देहातों में बसने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत हो और जाहिर है कि यह सहूलियत मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन में चेंज करने से ही हो सकती है। इसकी भारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है और मुझे आशा है कि वह इसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कालेज हैं, उनमें जल्द से जल्द प्रान्तीय भाषाओं में शिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिये और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये।

जब मैं प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रतिपादन करता हूं, तो मेरा अनुमान है कि इस सदन के बहुत से लोग इस विचार के विरुद्ध नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, जिस का जिक्र अभी माननीय सदस्य, श्री द्विवेदी, ने किया है और वह प्रश्न है हिन्दी का। इस देश के लिये यह कोई गौरव की बात नहीं है कि स्वातंत्र्य-प्राप्ति के चौदह साल के बाद भी हम गर्व के साथ यह न कह सकें कि हमारी राज-भाषा और राष्ट्र-भाषा भी है। जब हम चाईना, रशा, फ्रांस, जर्मनी आदि किसी पर-राष्ट्र में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उन देशों की एक भाषा है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हमारे देश की कोई अपनी राज-भाषा है।

जहां तक उस स्थिति को समाप्त करने का प्रश्न है, आम तौर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हिन्दी का विरोध खास कर साउथ से होता है। उस के कुछ कारण हैं और उन कारणों को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि हिन्दी का विरोध करने वाले वर्ग कौन से हैं। बिजिनेस-मैन या दूसरे लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। उसका विरोध करने वाले लोग हैं, जो यह महसूस करते हैं कि इस देश में आल-इंडिया सर्विसेज और अन्य सिलेक्टिव पोस्ट्स के लिये जो कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्ज होते हैं, उनमें अच्छी तरह से हिन्दी न जानने के कारण वे उत्तर के रहने वाले लोगों के मुकाबले में नहीं ठहर सकते। यह बात सही है और इस को समझने की जरूरत है। जिस प्रकार अंग्रेजी

और प्रान्तीय भाषाओं में स्पर्द्धा चल रही है, उसी प्रकार हिन्दी और अंग्रेजी में भी कम्पीटीशन सा चल रहा है ।

मैं इस सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में जब प्रान्तीय भाषायें शिक्षा का माध्यम बन जायेंगी, तो इस का अर्थ यह होगा कि जितने भी विद्यार्थी हायर ऐजूकेशन पायेंगे या यूनिवर्सिटीज से जो भी ग्रेजुएट्स निकलेंगे, वे सब प्रान्तीय भाषाओं में अपनी डिग्रीज लेंगे। इसलिये यह उचित होगा कि आल इंडिया सर्विसेज और दूसरी सिलेक्टिव पोस्ट्स के लिये होने वाले ऐग्जामिनेशन में उन को अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा का प्रयोग करने की इजाजत दी जाये । आखिर इन सिलेक्शन्ज और ऐग्जामिनेशन्ज में हम कैंडीडेट्स की योग्यता और इन्टेलीजेन्स को टैस्ट करते हैं, उन के कैलिबर को देखते हैं। प्रान्तीय भाषाओं और हिन्दी या अंग्रेजी में टैस्ट करने से किसी कैंडीडेट का कैलिबर इन्टेलीजेंस और योग्यता कुछ अलग नहीं हो जायेंगे । इस का अर्थ यह है कि उन की योग्यता और इन्टेलीजेंस की जांच उस भाषा में भी की जा सकती है, जिस में उन्होंने यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई है । हिन्दी और इंगलिश दोनों को कम्पलसरी सबजक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के काम्पीटीटीव एग्जामिनेशन के लिये इन भाषाओं में कामयाब होना कोई प्रिसिडेंट कन्डीशन नहीं होनी चाहिये।

डा० सम्पूर्णानन्द कमेटी ने भी इमोशनल इन्टेग्रेशन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में यही विचार प्रकट किया है कि विद्यार्थियों को तीन भाषायें पढ़नी चाहियें प्रान्तीय भाषा तो पढ़नी ही चाहिये और हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ना होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि जब हम तमाम यूनिवर्सिटीज में प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का मयध्यम बनादें, तो उस के बाद किसी विद्यार्थी ने जिस भाषा में यूनिवर्सिटी शिक्षण पाया है, उसी भाषा में, आल इंडिया सर्विसिज और सिलक्टिव पोस्ट्स के लिये उस का एग्जामिनेशन हो जाये और हिन्दी या इंगलिश में अपने विचारों को व्यक्त करने की योग्यता उस में हो, तो फिर इस व्यवस्था से भाषा के बारे में कोई विषमता या संघर्ष नहीं रहेगा, जिस से यह कहा जा सके कि हिन्दी के राज भाषा या राष्ट्र-भाषा बनने में बाधा है, या संकट है।

जहां तक स्टैण्डर्ड आफ ऐजूकेशन का ताल्लुक है, यह देख कर मुझे बड़ा ही दुख होता है कि जिस जमाने में हम लोग प्राइमरी स्कूल और कालेज में पढ़ते थे, उस वक्त ऐजूकेशन का जो स्टैण्डर्ड था, वह आज के स्कूलों और कालिजो में हम नहीं पाते हैं। इसके बहुत से कारण हैं। लेकिन एक मुख्य कारण यह है कि हमारे टीचर्ज और खास कर प्राइमरी टीचर्ज की दशा संतोषजनक नहीं है और उन को सैलरीज बहुत कम होने के कारण देश के अच्छे अच्छे योग्यता रखने वाले विद्वान लोग आज ऐजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आ रहे हैं। हम ने देश में कम्पैलसरी ऐजूकेशन को जारी किया है और उस के अनुसार थर्ड फाइव यीअर प्लान के अन्दर अन्दर ७६ परसेंट विद्यार्थी शिक्षण पायेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। लेकिन जिन प्रान्तों में कम्पलसरी ऐजूकेशन लागू किया गया है—जैसे मैसूर स्टेट है—वहां प्राइमरी स्कूलों के लिये जो टीचर चुन लिये गये हैं वे फ्रेश मैट्रीकुलेट हैं । उन्होंने इस जमाने की तालीम पाई है । वे बच्चों को किस प्रकार पढ़ा पायेंगे, इस को मुझे शंका है। विद्यार्थी के शिक्षा-काल में प्राइमरी और हायर सैकेन्डरी ऐजूकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है । अगर उस काल में ठीक बुनियाद पड़ जाये और विद्यार्थी को अच्छी तालीम दी जाये, योग्यता से उस को शिक्षण दिया जाये, तो कालेज ऐजूकेशन में वह खुद अपने पर शिक्षक योग्य लोग नहीं रहेंगे, तो मुश्किल हो जाये गी ।

यह सही है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से अध्यापकों के सम्बन्ध में एक ट्रिपल स्कीम भी रखी गई है, जिस के बच्चों के लए कुछ स्कालरशिप्स की व्यवस्था की गई है और कुछ दूसरी सहूलियतें देने का भी विचार किया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि इतना ही काफी नहीं है।

[श्री चन्द्रिका]

अगर हम चाहते हैं कि जो युवक और बालक इस वक्त शिक्षण पा रहे हैं, भविष्य में वे देश के अच्छे जवाबादार नागरिक बनें, तो हमें अच्छे और योग्य लोगों को शिक्षण के क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करना चाहिये। आज हम देखते हैं कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और दूसरी सिलैक्टिव पोस्ट्स के लिये यूनिवर्सिटीज के फ्रेश ग्रेजुएट्स और अन्य बड़े इन्टेलीजेन्ट व्यक्ति हजारों की तादाद में दरख्वास्तें देते हैं और कम्पीटीशन में बैठते हैं लेकिन तालीम के क्षेत्र में ये इन्टेलीजेंस क्लास के ये लोग नहीं आते हैं। इस का कारण यह है कि उन लोगों को जो सैलिरीज मिलती हैं, वे बहुत कम हैं, जिस की वजह से अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति जो कि अच्छे शिक्षक हो सकते थे, आज शिक्षण के क्षेत्र में आने के लिये तैयार नहीं हैं।

एक अन्तिम बात मैं नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के बारे में कहना चाहता हूं। मैं ने जब इस स्कीम को देखा तो यह मुझे बहुत ही अच्छी स्कीम लगी और मैं समझता हूं कि इसके जरिये से हमारे नवयुवकों में देशाभिमान जागृत किया जा सकता है, उन में देश सेवा की भावना जागृत की जा सकती है, उन में डिसिप्लिन की भावना पैदा की जा सकती है जिस की आज बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम युवकों तथा बच्चो में इस प्रकार का डिसिप्लिन नहीं लायेंगे तब तक युवकों जो आगे चल कर नागरिक बनेंगे, उन में जवाबदारी और जिम्मेदारी की भावना भी नहीं होगी और हम को पछताना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि युवकों में इंडिसिप्लिन की कितनी भावना है। यदि इस भावना को दूर करना है और युवको में अनुशासन की भावना का विकास करना है तो उस के लिये यह जरूरी है कि इस स्कीम को बढ़ावा दिया जाय। और जितनी ज्यादा से ज्यादा रकम इस पर खर्च की जा सकती है, खर्च करने की कोशिश की जाये और देश भर के हर स्कूल में इस स्कीम को चालू किया जाय। हमारी सरकार को और अधिक रुपया खर्च कर के इस स्कीम का विस्तार करने का प्रयत्न करना चाहिये।

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा पर बड़ी बड़ी रकमें खर्च करने के बावजूद, शिक्षा का स्तर बराबर गिरता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा सम्बन्धी साधारण विषयों के लिए भी काफी अधिक समितियां और आयोग नियुक्त किये गये हैं लेकिन शिक्षा के स्तर ऊंचा करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा विषयक लक्ष्य प्राप्त करने की दौड़ में, तीव्र गति की वेदी पर किस्म का बलिदान हो रहा है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत तीव्र गति का अनुसरण किया जा रहा है लेकिन वे लक्ष्य प्रायः गलत हैं। मैं यह देखता हूं कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या ३२ प्रतिशत बढ़ गयी है लेकिन साथ ही शिक्षा का स्तर भी उतना ही अधिक गिर गया है।

विदेशों में जाने वाले हमारे छात्रों की संख्या, केवल ब्रिटेन में अभी २,५५२ है। इन में से अधिकतर छात्रों का ज्ञान बहुत ही सीमित होता है, यहां तक कि उन्हें अपने देश के बारे में पूरी पूरी जानकारी नहीं होती। मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले डा० राधाकृष्णन् ने यह सुझाव दिया था कि छात्रों को भारत से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले कम से कम दो साल का एक स्थिति अध्ययन पाठ्यक्रम उन्हें पूरा करना चाहिये। चूंकि वह हमारे छोटे राजदूत हैं इसलिए कम से कम छः महीने का पाठ्यक्रम उन्हें अवश्य पूरा करना चाहिये।

मैं छात्रों को दोष नहीं देना चाहता। इससे यह दिखायी पड़ता है कि आप देश में किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि देश में पढ़े लिखे अशिक्षितों का समुदाय उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं। हम ने गति के लिए किस्म का बलिदान किया है और जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। हमें इस बात के लिए गंभीर प्रयत्न करना चाहिये कि किस्म का बलिदान न हो अन्यथा कागजातों में लक्ष्य प्राप्त कर लेने से कोई लाभ नहीं। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा उपयोगितावादी हो गयी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए जाने वाले

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों की प्रतिशत संख्या से हमारी अर्थव्यवस्था की बदलती हुई प्रवृत्तियां दिखायी पड़ती हैं। व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय छात्रों को बहुत अधिक अच्छे लगते हैं लेकिन ६ प्रतिशत छात्र गरीबी के कारण ये विषय नहीं ले पाते । आर्ट्स पढ़ने वालों की संख्या ६.४ प्रतिशत कम हो गयी है । इंजीनियरिंग और कामर्स भी हमारी विकासशील औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कारण काफी लोकप्रिय विषय हो गये हैं लेकिन कृषि और पशुचिकित्सा विज्ञान अप्रिय विषय होते जा रहे हैं । यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिये कि प्रौद्योगिक क्रान्ति से हमारी कृषि पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिये मंत्री से मेरी अपील है कि शिक्षा सम्बन्धी नीतियां इस प्रकार निर्धारित की जावें कि जरूरत के समय हम पीछे न रह जायें । देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा सम्बन्धी नीति स्पष्ट होनी चाहिये । मैं तो यहां तक कहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में एक अलग पंचवर्षीय योजना होनी चाहिये अन्यथा शिक्षा का पुनर्निर्माण नहीं हो सकेगा । आज भावनात्मक एकीकरण की बात चल रही है और मंत्रालय ने एक समिति भी नियुक्त की है । यह बात नहीं कि ब्रिटिश शासनकाल में विघटनकारी प्रवृत्तियां विद्यमान नहीं थीं लेकिन उन पर भारत को स्वतंत्र करने के आदर्श का आवरण पड़ा हुआ था । आज वह आदर्श समाप्त हो चुका है और इसी कारण भावनात्मक एकीकरण की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । आज देश में काफी अनुशासनहीनता है और हमारी शिक्षा-नीति ही उसके लिए जिम्मेदार है ।

मैं युवक समारोहों के बारे में भी कुछ शब्द कहूंगा । मैं समझ नहीं पाता कि कोई युक्तिसंगत कारण बताये बगैर सरकार ने उन समारोहों को क्यों बन्द कर दिया । मैं समझता हूं कि यदि ये समारोह सूझबूझ और दूरदृष्टि से संगठित किये जायें तो निश्चय ही छात्रों के दिमाग पर उनका बहुत गहरा असर पड़ेगा ।

अब मैं विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को लागू करने के बारे में कुछ कहूंगा । कुछ समय पहले इसी सभा में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी लागू करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ था । इस सम्बन्ध में मेरा केवल इतना ही कहना है कि दिल्ली जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जहां न केवल भारत के विभिन्न भागों से बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों से छात्र पढ़ने के लिये आते हैं, बेढंगे तौर पर हिन्दी लागू करना एक अच्छी बात नहीं होगी। यदि इस तरह का क्रांतिपूर्ण कदम उठाना ही है तो उसके लिए पर्याप्त सावधानी और दक्षता रखनी होगी । वास्तव में मैं हिन्दी लागू करने का विरोध नहीं करता लेकिन मेरे विरोध के कुछ कारण हैं और वह यह हैं कि विश्वविद्यालय में हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में चालू करने पर हिन्दी और अंग्रेजी का द्वैध शासन होगा और उससे विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरने की संभावना है । फिर भी मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि जल्दबाजी में कोई बात न की जाये और जो कुछ भी किया जाये वह पर्याप्त सावधानी के साथ किया जाये ताकि हमारी शिक्षा का स्तर गिरने न पाये ।

†**श्री अ० न० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : मैं सर्वप्रथम डा० का० ला० श्रीमाली को मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए बधाई देता हूं । मेरा ख्याल है कि डा० श्रीमाली के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है और कई प्रकार के शिक्षा विषयक कार्यक्रम बनाये गये हैं। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अध्ययन से यह दिखायी पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ने काफी बड़े बड़े और ठोस काम किये हैं और उसका सारा श्रेय मैं शिक्षा मंत्रालय को देता हूं ।

फिर भी मेरी ऐसी धारणा है कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है । हमें यह महसूस करना चाहिये कि हमारी गति देश की आवश्यकता के अनुसार नहीं है और इसलिए हमें अपनी प्रगति की रफ्तार अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिये । यदि हम अपनी पंचवर्षीय योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० न० विद्यालंकार]

में निर्धारित लक्ष्य और रिपोर्ट में दिये गये आंकड़ों की तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि पहले वर्ष में किया गया कार्य पर्याप्त नहीं है ।प्राथमिक शिक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, बुनियादी स्कूल आदि और दूसरी मदों को देखते हुए हम यह समझते हैं कि पहले साल में कार्य और प्रगति कहीं अधिक होनी चाहिये थी । मुझे आशंका है कि दो या तीन साल के बाद और कमी हो । इसलिए मेरी यह धारणा है कि खासकर शिक्षा विभाग में और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले व्यक्तियों में धर्मप्रचारकों के उत्साह और तीव्र आवश्यकता की भावना उत्पन्न करने की नितान्त आवश्यकता है । हमें उसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिये ।

मेरी अपनी राय में, यद्यपि हम सभी शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों के सम्बन्ध में सहमत हैं फिर भी हम उन्हें कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं । आज आवश्यकता वास्तविक कार्य की है । उदाहरणार्थ, भावनात्मक एकीकरण की बात लीजिये । प्रश्न यह है कि वर्तमान शिक्षा बच्चों में कहां तक एकीकृत व्यक्तित्व उत्पन्न करती है, छात्रों में कहां तक सामाजिक सहिष्णुता पैदा करती है और उससे छात्रों का दृष्टिकोण कहां तक नियंत्रित किया जाता है । मैं समझता हूं कि वर्तमान शिक्षा यहीं पर असफल है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिये । जो शिक्षा हम आजकल दे रहे हैं मैं उसे शिक्षा नहीं कहूंगा, मैं उसे केवल साक्षरता कहता हूं । साक्षरता और शिक्षा में अन्तर है । यदि किसी व्यक्ति का बर्ताव या चाल-चलन उन सिद्धान्तों से, जिनका उसने अपनी शिक्षा के दौरान अध्ययन किया हो, संचालित न होता हो, तो वह व्यक्ति केवल साक्षर है शिक्षित नहीं ।, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा में किस्म की ओर ध्यान दें । हमें देश के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिये; अल्पसंख्यकों के साथ सद्व्यवहार तथा परस्पर अच्छा संबंध रखने तथा राष्ट्र को एकीकृत करने की भावना उत्पन्न करनी चाहिये । हम ने अभी तक उस दिशा में कोई शुरूवात नहीं की है । उदाहरण के लिए, अधिकतर हमारी इतिहास की पुस्तकें साम्प्रदायिकता और संकीर्णता फैलाती हैं । हमारे यहां इतिहास की कोई ऐसी प्रामाणिक पुस्तक नहीं है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी गयी हो । अधिकतर पुस्तकें ब्रिटिश शासनकाल में, एक विशिष्ट दृष्टिकोण से लिखी गयी थीं और हम उन्हीं को आज दुहरा रहे हैं । भारतीय इतिहास की उचित व्याख्या की जानी चाहिये । हमारे पाठ्य-पुस्तकें ऐसी नहीं होनी चाहिये जिनसे साम्प्रदायिकता बढ़े ।

पंजाब के एक मेरे माननीय मित्र ने किसी शिक्षा संस्था का उल्लेख किया जिसने निर्वाचनों में राजनैतिक कार्यों में हिस्सा लिया। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि पंजाब सरकार ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है । मैं इसका विरोध करता हूं । मैं जानता हूं कि कुछ साम्प्रदायिक दल सेनाएं, सैनिक दल आदि संगठित करते हैं और विभिन्न आन्दोलनों में छात्रों का उपयोग करते हैं । उदाहरणार्थ, पिछले अकाली आंदोलन में हमें ऐसी गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध जो आन्दोलन में भाग लेने के लिए अपने छात्रों को प्रोत्साहित करती रहीं, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी । इस प्रकार की प्रवृत्ति अवश्य ही रोकी जानी चाहिये । यदि शिक्षा से साम्प्रदायिकता बढ़ती है या इसी तरह की प्रवृत्तियां पैदा होती हैं तो वह शिक्षा शिक्षा नहीं है ।

मैं यह कहूंगा कि हम अपने विद्यार्थियों को अच्छे शिष्टाचार नहीं सिखाते जैसा कि पब्लिक स्कूलों के बच्चों को सिखाये जाते हैं । हमें अपने प्राइमरी स्कूलों में भी वैसे ही तरीके और शिष्टाचार सिखाने का प्रयत्न करना चाहिये । ट्रेनिंग स्कूलों से निकल कर आने वाले हमारे अध्यापकों को भी ठीक ढंग से बर्ताव करना नहीं आता । इसीलिए मैं कहता हूं कि हम में अभी कई अत्यावश्यक बातों का अभाव है । ये बातें हमें अपनी शिक्षा में तुरंत लागू करनी चाहिये ।

मुझे बड़ा दुःख है कि पंजाब के मेरे एक मित्र ने बुनियादी शिक्षा का मजाक उड़ाया है। बुनियादी शिक्षा कामकाज के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है और बिना कामकाज के, शिक्षा निरर्थक होती है। आज हमारी समस्या यह है कि हमारे शिक्षित नवयुवक काम नहीं कर सकते इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा काम काजप्के माध्यम से दी जाये। अब हमें अपनी परंपरागत शिक्षा प्रणाली के बजाय बुनियादी शिक्षा की यह नयी प्रणाली लागू करनी चाहिये। यह कहना गलत है कि बुनियादी शिक्षा असफल रही है। हम ने उसे पूरी तरह आजमाया नहीं है। फिलहाल अनेक स्कलों में बुनियादी शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है। एक राज्य में तो सभी प्राइमरी स्कूलों को एक दिन में बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में बदल दिया गया। सरकार ने केवल उन पर साइन बोर्ड लगा दिये। ऐसा नहीं होना चाहिये। बुनियादी शिक्षा वास्तव में बुनियादी शिक्षा होनी चाहिये और उसके लिए हमें पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहिये।

हमें अध्यापकों के प्रशिक्षण के स्तर पर जोर देना चाहिये। हमारे शिक्षाविद् लोग सामान्य शिक्षा पर जोर देते हैं और ऐसा मालूम होता है कि उन्हें शारीरिक शिक्षा के प्रति द्वेष है। यह द्वेष हटा दिया जाना चाहिये। हमें शिक्षा के अतिरिक्त और दूसरे कामकाजों पर अधिक बल देना चाहिये।

आगे हमारे कालेजों में बड़ी अनुशासनहीनता है क्योंकि उसके लिए अध्यापक अपने को जिम्मेदार नहीं समझते। इसलिए कालेज के प्रत्येक अध्यापक को १५ या २० छात्रों के समुदाय के लिए, उनके प्रशिक्षण तथा संपूर्ण व्यवहार के लिए, उत्तरदायी बना देना चाहिए।

†**श्री बैरो** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मन्त्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि १९६१-६२ में विस्तार की गति तथा १९६२-६३ में प्रत्याशित विस्तार की गति कायम रही तो ६—११ वर्ष के बच्चों की भरती तीसरी योजना के अन्त तक ८० प्रतिशत हो जायगी जबकि मूल लक्ष्य ७६.४ प्रतिशत था। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रालय ने इस मामले में अपना विचार क्यों बदल दिया है, क्योंकि पिछले अक्तूबर में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् की बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बराबर इस बात पर जोर दिया कि १९६०-६१ में प्रारम्भिक भरती स्कूल अनुमान से काफी अधिक बढ़ गयी हैं और भरती के लिये जनता का उत्साह इतना अधिक बढ़ गया है कि वह कम से कम ८५ प्रतिशत तक पहुंच जायेगी। अपनी राय यह है कि इस भरती का कम अनुमान लगाने से बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। ८५ प्रतिशत भरती का मतलब होगा २०० लाख अतिरिक्त बच्चों की भरती, अर्थात् अतिरिक्त ६० करोड़ रुपये। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री सभा को साफ साफ बतायें कि उनका अनुमान कितना है; और तब वे योजना आयोग से अतिरिक्त निधि की मांग करें।

इस अप्रत्याशित भरती का एक अनिवार्य परिणाम यह होगा कि अध्यापकों के सम्बन्ध में संकट उत्पन्न हो जायेगा। छात्र और अध्यापक का कोई अनुमान ही नहीं रहेगा और शिक्षा का स्तर और भी अधिक गिर जायगा ?

दूसरी समस्या यह है कि केवल छः राज्य ही ऐसे हैं जिनमें सर्वसाधारण अध्यापकों और खास कर प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन भत्तों तथा सुविधाओं में सुधार करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के पास भी इस प्रयोजन के लिये कोई रकम नहीं है इसलिये केन्द्रीय सरकार अध्यापकों को अधिक दिलाने के लिये राज्यों को कोई सहायता नहीं दे सकती अच्छे अध्यापकों के अभाव में अच्छी शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। भारत में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की शिक्षा के सम्बन्ध में पहली राष्ट्रीय गोष्ठी की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें बुढ़ापे में पेंशन से भी वास्तविक कोई लाभ नहीं मिलता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बैरो]

सारी बात यह है कि हमारे अध्यापकों के वेतनों और सुविधाओं की समीक्षा करने के लिये कोई उचित कार्य-प्रणाली नहीं है। यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले साल सितम्बर तक अध्यापक अकेले शिक्षा यात्राएं कर सकते थे। अब रेलवे मन्त्रालय ने किसी कारण से वह सुविधा भी छीन ली है। उनके अधीन छात्रों को अकेले यात्रा करने के लिये रियायत मिलती है लेकिन अध्यापकों को चार के समूह में जाना होगा। मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री रेलवे मन्त्रालय के साथ इस मामले में चर्चा करें।

मेरा यह निवेदन है कि ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था या पद्धति होनी चाहिये जिससे अध्यापकों के वेतनों और सुविधाओं के सम्बन्ध में समय समय पर समीक्षा की जा सके। शिक्षा मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में ग्रेट ब्रिटेन में बर्नहम समितियों का ढांचा अपनाने के बारे में वे गम्भीरता से विचार करें। मैं यह सिफारिश करूंगा कि ऐसे विधि सम्मत निकायों में राज्य सरकारों के, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों और उतनी ही सख्या में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक हों। ये समितियां समय समय पर अध्यापकों के लिये वित्तीय व्यवस्था की छानबीन करें, उस सम्बन्ध में सिफारिशें करें और मकान, चिकित्सा तथा यात्रा आदि सम्बन्धी सुविधाओं के लिये राज्य सरकारों से बातचीत करें। शिक्षा मन्त्री से मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसी समितियां स्थापित करने की ओर ध्यान दें।

पिछली बार इस मन्त्रालय ने यह स्वीकार किया था कि बहुप्रयोजनीय स्कूल योजना सफल सिद्ध नहीं हुई है। अब वे दो या तीन स्कूल बना रहे हैं जो आदर्श रूप में होंगे। जब यह योजना पहले पहल रखी गई थी तो मैंने प्रोफेसर हुमायून् कबिर से, वह इस मन्त्रालय से सम्बन्धित थे, लाबी में कहा था "आप पांच सौ स्कूल बनाने जा रहे हैं, आपके पास प्रशिक्षित व्यक्ति तो हैं ही नहीं।" ब्रिटेन में पहले एक स्कूल खोला गया और फिर तीन स्कूल खोले गये। दो राज्यों में कुछ स्कूलों में तकनीकी सामान पड़ा है और खराब हो रहा है। यह खोला भी नहीं गया है। जब तक अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो जाती, हमें और स्कूलों में बहुप्रयोजनीय स्कूलों में नहीं बदलना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि, अब जबकि वह मन्त्रिमण्डल में हैं, वह यह देखें कि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल किया जाये। यही एक तरीका है जिससे राज्य किसी भी नीति को कार्यकारी रूप से कार्यान्वित कर सकेंगे।

अब मैं आंग्ल भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक आवश्यकताओं के बारे में मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये जिससे अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले कालिज सम्बद्ध किये जा सकें। संविधान की धारा २९ और ३० के अन्तर्गत अन्य अल्पसंख्यकों की भांति आंग्ल-भारतीय समुदाय को भी अपना विकास करने, अपनी भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने और अपनी इच्छा की क्षिक्षण संस्थायें स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार हैं। कुछ कालिज ऐसे हैं जहां अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। उनमें केवल आंग्ल-भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के विद्यार्थी भी होते हैं। अगर अन्य समुदाय के व्यक्ति अपने बच्चों को उनमें भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं क्योंकि भारत के संविधान में अंग्रेजी को विशेष स्थान प्राप्त हैं। नेहरू फार्मूला के अन्तर्गत, वर्ष १९६५ से यह सहायक सरकारी भाषा होगी और सेवाओं में भर्ती के लिये परीक्षा अंग्रेजी के माध्यम से होगी। अब मैं गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा पारित एक आदेश का, 'कि सम्बद्ध कालिज गुजराती अथवा हिन्दी में शिक्षा दें', जिक्र कर रहा हूं। उस आदेश को उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। अब वह मामला उच्चतम न्यायालय के सम्मुख पेश है। मेरा मतलब यह है कि यदि एक स्थानीय विश्वविद्यालय यह कहे कि सम्बद्ध कालिज प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दें या हिन्दी में, तो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने वाले कालिज उस राज्य में नहीं काम कर सकेंगे। एक ऐसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिये जिनसे इन कालिजों को सम्बद्ध किया जा सके।

अब मैं खेल-कूद की बात उठाता हूं। साढ़े ६ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जो कि खेल-कूद फैडरेशन और संगठनों के लिये एक नयी व्यवस्था है। मैं यह धनराशि दिये जाने के पक्ष में हूं। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि उस पर कुछ नियन्त्रण होना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि फैडरेशन की या संगठन की प्रत्येक बैठक में मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि विजिटर के रूप में हो ताकि वह वहां पर होने वाले कार्य के बारे में मंत्रालय को प्रतिवेदन दे सके। जब तक मंत्रालय को पूरी स्थिति का पता न लग जाये, कोई अनुदान नहीं दिया जाना चाहिये।

मैं स्टेडियम पर धन खर्च करने के पक्ष में नहीं हूं। हमें स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये एक राष्ट्रीय क्रीड़ा क्षेत्र संघ (नेशनल प्लेइंग फील्ड्स एसोसियेशन) बनाना चाहिये। दिल्ली के स्टेडियम को ही लो। यह एक स्मारक की तरह है जो इस्तैमाल नहीं किया जाता है और मैदान हरे पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे वहां खेलें। यहां पर एक दिन के लिये उस स्टेडियम को किराये पर लेने के १५०० रुपये लगते है। इसका क्या लाभ है।

अन्त में मैं मन्त्रालय को बधाई देता हूं। द्वितीय राष्ट्रमण्डल शिक्षा सम्मेलन में जाने वाले भारतीय शिष्टमण्डल का एक सदस्य मैं भी था और मैं समझता हूं कि जिस ढंग से सम्मेलन चलाया गया, उसके लिये मन्त्रालय को धन्यवाद देना चाहिये।

शिक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
१३	६८	श्री वारियर	शिक्षा की पुरानी पद्धति में संलग्न रहना और परिवर्तन से विरति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१३	६९	श्री वारियर	भारत में शिक्षा के तरीके में सारभूत और मूल परिवर्तन करना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१३	७०	श्री अ० व० राघवन्	नये विश्वविद्यालयों की स्थापना और पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१३	७१	श्री अ० व० राघवन	समूचे राष्ट्र के लिये शिक्षा के बारे में कोई भी नीति न होना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१३	७२	श्री अ० व० राघवन्	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधि का व्यय	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय

१	२	३	४	५
१३	१०४	श्री अ० व० राघवन्	आधुनिक स्तर पर अधिक विश्व-विद्यालय स्थापित करने में विलम्ब	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१३	६	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	वास्तविक भावना और कार्यक्रम वाले ग्रामीण विश्वविद्यालयों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	७	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सभी गैर-सरकारी स्कूलों को अधिक अनुदान देने की आव-श्यकता ।	१०० रुपये
१३	५६	श्री अ० व० राघवन्	कुशल सर्कस कलाकारों को दीन अवस्था में वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	५७	श्री अ० व० राघवन्	केरल में एक सर्कस कालिज चलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	५८	श्री अ० व० राघवन्	भारतीय सर्कस के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	५९	श्री अ० व० राघवन्	विदेशों में और स्वदेश में अध्ययन के लिये सर्कस कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१३	७३	श्री रामभद्रन	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अधीन तमिल में अधिक पुस्तकें प्रका-शित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	७४	श्री बैरो	६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बारे में योजना लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	७५	श्री बैरो	प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को उचित वेतन और सुविधाओं की प्रत्याभूति के लिये आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१३	७६	श्री बैरो	बहुप्रयोजनीय स्कूलों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	७७	श्री अ० व० राघवन्	शिक्षण संस्थाओं को किसी भी धार्मिक समुदाय के नियन्त्रण से अलग रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	७८	श्री अ० व० राघवन्	स्कूलों में राष्ट्रगीत लागू करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१४	८	श्री रामसेवक यादव	अंग्रेजी माध्यम को बदलने में असफलता परिणामस्वरूप विज्ञान के अध्ययन में विद्यार्थियों को असुविधा ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१४	९	श्री रामसेवक यादव	निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१४	१०	श्री दशरथ देव	अन्य स्कूलों में आव्रजन के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सफल उम्मीदवारों के मामले में प्रवेश परीक्षा करने की नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१४	११	श्री दशरथ देव	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सुविधायें देने की नीति ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
१४	१५	श्री दशरथ देव	बुनियादी शिक्षा योजना के मूल्यांकन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	१६	श्री दशरथ देव	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये भुगतान करने में अनियमितताएं ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१४	१७	श्री दशरथ देव	आदिम जातीय क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा लागू करने की योजना के पुनः परीक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	१८	श्री दशरथ देव	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देने के लिये अपर्याप्त निधि	१०० रुपये
१४	१९	श्री दशरथ देव	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को बुद्धमत ग्रहण कर लेने के बाद छात्रवृत्ति न देने की नीति	१०० रुपये
१४	२०	श्री दशरथ देव	देश के विभिन्न भागों के आदिम जातीय व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में अधिक पाठ्य पुस्तकें और साहित्य तैयार करने के लिये पर्याप्त निधि के आवंटन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	२१	श्री दशरथ देव	आदिम जातीय व्यक्तियों के लिये उनकी संस्कृति पर आधारित उपयुक्त शिक्षण योजनायें बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४	२२	श्री दशरथ देव	आदिम जातीय व्यक्तियों की शिक्षा की ओर, उनकी आदत संस्कृति और परम्परा पर गम्भीरता से विचार न करके तेजी से बढ़ना ।	१०० रुपये
१४	२३	श्री दशरथ देव	विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के लिये देश में कालिजों और विश्वविद्यालयों की अपर्याप्त सख्या ।	
१४	२४	श्री दशरथ देव	देश में फैली निरक्षरता को दूर करने में असफलता ।	१०० पये

१	२	३	४	५
१४	२५	श्री दशरथ देव .	शिक्षण संस्थाओं में कदाचार	१०० रुपये
१४	२६	श्री दशरथ देव .	संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में अच्छी शिक्षा देने और शिक्षा की पद्धति को कुशलता से चलाने के लिये एक स्कूल बोर्ड बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	२७	श्री दशरथ देव .	त्रिपुरा में गैर-सरकारी स्कूलों को पर्याप्त सहायता देने का आवश्यकता	१०० रुपये
१४	२८	श्री दशरथ देव .	अगरतला, त्रिपुरा में एक अध्यापक प्रशिक्षण कालिज चलाने की आवश्यकता	१०० पये
१४	२९	श्री दशरथ देव . .	त्रिपुरा में गैर-सरकारी जूनियर हाई, उच्च अथवा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राइमरी विभागों में गैर-मैट्रिक अध्यापकों को रहने देने की आवश्यकता	१०० पये
१४	३०	श्री दशरथ देव . .	संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में समाज कल्याण स्कूलों में गैर-मैट्रिक आदिम जातीय युवकों को भर्ती करने में असफलता	१०० रुपये
१४	३१	श्री दशरथ देव . .	त्रिपुरा के आदिम जातिय विद्यार्थियों को उन की मातृ भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने में असफलता	१०० रुपये
१४	३२	श्री दशरथ देव . .	त्रिपुरा में केन्द्रीय अध्यापक न्यास निधि के अनुरूप ही एक अध्यापक न्यास स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	३३	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये स्कूल अधिकारियों को अनुदान देने की आवश्यकता	१०० पये

१	२	३	४	५
१४	३४	श्री राम सेवक यादव	सभी नागरिकों को समान शिक्षा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	३५	श्री राम सेवक यादव	देशभर में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने और उस में समानता लाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१४	३७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	नागरिकों में स्व-अर्जन क्षमता के लिये शिक्षण पद्धति के पुनर्नुस्थितिज्ञान की आवश्यकता	१०० पये
१४	३८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	उन सभी विद्यार्थियों को, जिन के पिता की आय २००० रुपये प्रति वर्ष से कम है, विश्वविद्यालय शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	३९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	समान राष्ट्रीय पाठय पुस्तक नीति की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४०	श्री मे० क० कुमारन	भारत में शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी के अध्यापन में सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४१	श्री मे० क० कुमारन	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४२	श्री मे० क० कुमारन	सांयकालीन कालिजों और डाक द्वारा शिक्षा के जरिये शिक्षा देन में विश्वविद्यालयों की सहायता करने की आवश्यकता	१०० रुपय
१४	४३	श्री मे० क० कुमारन	भारतीय लखकों द्वारा लिखित विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानवता में प्रकाशनो को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१४	४४	श्री मे० क० कुमारन	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां	१०० रुपये
१४	४५	श्री मे० क० कुमारन	केरल ग्रंथसाला संगम को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	४७	श्री कोया	छात्रवृत्ति देने के तरीके को सरल बनाने की आवश्यकता	१०० पये
१४	४८	श्री कोया	लक्कदीव और मिनिकोय द्वीप-समूह में अधिक स्कूलों की आवश्यकता	१०० पये
१४	४९	श्री कोया	अन्य पिछड़े वर्गों को अधिक छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	५०	श्री कोया	अंधे, गूंगे और बहरे और अन्य अपंग व्यक्तियों के लिये अधिक और बड़ी छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६२	श्री रिशांग किशिंग	स्नातकोत्तर कक्षाओं और तकनीकी कालिजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६३	श्री रिशांग किशिंग	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष शिक्षा काल में ही छात्रवृत्ति का पूरा भुगतान करने की असफलता	१०० रुपये
१४	६४	श्री रिशांग किशिंग	तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की आवश्यकता	१०० पये

१	२	३	४	५
१४	६५	श्री रिशांग किशिंग	संघ राज्य क्षेत्रों, नागालैंड और नेफा के आदिम जातीय क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्कूलों में निःशुल्क दूध के संभरण की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६६	श्री रिशांग किशिंग	विदेशों में अध्ययन के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कुछ छात्रवृत्ति सुरक्षित रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	६७	श्री रिशांग किशिंग	उच्चतर अध्ययन के लिये सभी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	७९	श्री रामभद्रन	लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८०	श्री रामभद्रन	अध्यापकों तथा प्रोफैसरों के वेतन क्रम बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८१	श्री बैरो	अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले कालिजों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८२	श्री बैरो	खेलकूद फैडेरेशनों तथा संगठनों में शिक्षा मंत्रालय का उचित प्रतिनिधित्व होने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८३	श्री अ० व० राघवन	आरम्भिक शिक्षा के विकास के लिये राज्यों को पर्याप्त अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८४	श्री वारियर	देश के सभी प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१४	८५	श्री वारियर	अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थि को विशेष रियायत देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८६	श्री वारियर	सभी हाई स्कूलों में प्रदर्शनालयों के लिये धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८७	श्री वारियर	स्कूलों तथा कालिजों के अध्यापकों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८८	श्री वारियर	निर्धन विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	८९	श्री वारियर	पाठ्य पुस्तकों का अखिल भारतीय नमूना रखने की आवश्यकता	१०० रुपय
१४	९०	श्री वारियर	आदिम भाषाभाषी क्षेत्रों में हिन्दी पढ़ने के लिये छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	९१	श्री वारियर	गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध मे कुप्रबन्ध ।	१०० रुपये
१४	९२	श्री वारियर	देश में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१४	९३	श्री वारियर	सभी राज्यों में अधिक स्टेडियमों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	५४	श्री कोया	अनाथ बच्चों विशेषतया लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये गये अनाथालयों को अधिक सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१५	९४	श्री रामभद्रन	स्कूलों के बच्चों को मुफ्त दूध तथा भोजन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	९५	श्री रामभद्रन	तामिल में बच्चों की अधिक पुस्तकों के प्रकाशन की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	९६	श्री अ० व० राघवन	खेल कूद के लिये स्कूलों को अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	९७	श्री अ० व० राघवन	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन केरल में प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१५	९८	श्री अ० व० राघवन	गूंगे तथा बहरों के लिये पर्याप्त संख्या में स्कूल स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
१५	९९	श्री अ० व० राघवन	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं मे पर्याप्त संख्या में पुस्तकें प्रकाशित करने में असफलता	१०० रुपये
१५	१००	श्री अ० व० राघवन	स्कूल के विद्यार्थियों की समय-समय पर डाक्टरी जांच कराने की पद्धति स्थापित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१५	१०१	श्री अ० व० राघवन	केरल में बडागरा में एक खेलकूद स्टेडियम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	१०२	श्री अ० व० राघवन	केरल के लिये उपकरण तथा फर्नीचर की कमी	१०० रुपये
१५	१०३	श्री अ० व० राघवन	विदेशी छात्रवृत्तियां देने में भेद भाव ।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझ बोलने का समय दिया ।

शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का मैं हार्दिक समर्थन करती हूं । शिक्षा मंत्रालय के सामने इतना बड़ा कार्य है कि यदि प्लानिंग कमिशन इससे भी अधिक धनराशि शिक्षा मंत्रालय को दे सकती थी और इस अनुदान की राशि को और भी बढ़ा सकती थी और यदि उसने ऐसा किया होता तो मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती ।

†मूल अंग्रेज़ी में

माननीय सदस्यों ने अनेक बहुमूल्य सुझाव आपके सामने रखे हैं और कई समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किये हैं। किन्तु मैं एक ऐसे विषय का जिक्र करना चाहती हूं जो विषय न केवल इस सदन में उपेक्षित रहा है बल्कि समाज में भी उपेक्षित रहा है। आज हमारे देश में अपंगों की संख्या अनुमानतः पांच प्रतिशत है जो कि दो करोड़ के करीब हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा मंत्रालय ने इधर कुछ वर्षों से इस विषय पर कुछ ध्यान देना प्रारम्भ किया है। किन्तु बड़े खेद की बात है कि आज भी जब हम प्लांड डिवेलेपमेंट की बात करते हैं, सुनियोजित विकास की बात करते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में समुचित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय को अब तक यह पता नहीं चला है कि इन अपंग लोगों, इन हैंडीकैप्ड व्यक्तियों, इन लूले लंगड़े और अपंग लोगों की संख्या वास्तव में कितनी है। ऐसी अवस्था में यह विषय उपेक्षित रहा हो और इन अभागे अपंगों की शिक्षा एवं पुनर्वास की उचित व्यवस्था न हो पाई हो तो आश्चर्य की बात क्या है। जब जब यह विषय उठाया जाता है, शिक्षा मंत्री महोदय यह बात कह कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं कि हमने सेंसस विभाग को कहा था कि वह इनके आंकड़े एकत्र करे लेकिन वह यह काम नहीं कर सका है। यह भला कौन मानने के लिये तैयार होगा कि मंत्रालय और मंत्रालय के बीच में इतना भी सहयोग नहीं है, इतना भी कोआर्डिनेशन नहीं है कि वे ऐसी महत्वपूर्ण समस्या की इस प्रकार से उपेक्षा करते जायें ?

जैसाकि मैंने कहा पिछले दिनों इस मंत्रालय ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम इस सम्बन्ध में किए हैं और उनमें से दो तीन बातों का मैं उल्लेख करना चाहती हूं। अभी हमारे यहां राष्ट्रीय सेमीनार और राष्ट्रीय प्रदर्शनी की गई है जिसमें यह दिखाया गया है और समाज के लोगों पर यह प्रभाव डालने की कोशिश की गई है कि अपंग लोग उसी समय तक अपंग रहेंगे जब तक कि उनकी उपेक्षा की जाती रहेगी और जिस दिन अपंगों की शिक्षा की तथा उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था कर दी जायेगी, उनकी ट्रेनिंग की उचित व्यवस्था कर दी जाएगी उस दिन अपंग शब्द डिक्शनरी से निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा प्रयास एक माडल सेंटर खोल कर, जो एक सराहनीय प्रयास है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। कुछ सहायता भी उदारतापूर्वक उन संस्थाओं को दी गई है जो विशेष रूप से अपंगों की सेवा का, उनकी शिक्षा का काम करती हैं। जब जब यह विषय संसद में उठाया गया है, तब तब हमेशा यही उत्तर मिला है कि यह विषय बड़ा गम्भीर है, यह समस्या बड़ी विकराल है और अर्थ के अभावसे इन अपंगों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि अपंगों की शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय को कोई एजुकेशन सैस भी लगाना पड़े तो देशवासियों के हृदय में आज भी इतनी दया की भावना है, ये इतनी उदार वृत्ति के हैं कि ये सैस को देने में भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और खुशी खुशी इसे अदा करने के लिये तैयार हो जायेंगे।

एक नैशनल काउंसिल फार दी एजकेशन आफ हैंडीकैप्ड बनी है। लेकिन खेद का विषय है कि पहले तो यह काउंसिल साल में एक दो बार मिलती है और दूसरे इसको कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। इसकी जो अब तक की सिफारिशें हैं न तो उनको स्टेट गवर्नमेंट ने माना है और न ही बहुत सी सिफारिशों को, जिनका सम्बन्ध केन्द्र से है, माना गया है। ये दो करोड़ व्यक्ति जो समाज के ऊपर बोझ और भार बने हुए हैं, यदि उनकी शिक्षा की, उनकी ट्रेनिंग की, उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो जब तक वे जीवित रहेंगे, तब तक बोझ और भार बने रहेंगे। यदि इनको शिक्षित कर दिया जाए, यदि इनको पुनर्वासित कर दिया जाए तो जो हमारी इकोनोमी में एक जबर्दस्त ड्रेन है उनकी उपस्थिति से और उनके निकम्मेपन के कारण, उसको हम दूर कर सकेंगे और वे लोग जिनको आज निष्क्रिय और बेकार कहा जाता है, उनको हम उपयोगी देश के अंग बना सकेंगे जैसे कि दूसरे दुनिया के बड़े बड़े देशों में किया गया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस नैशनल काउंसिल फार दी एजुकेशन आफ हैंडीकैप्ड को एक आटोनोमस बाडी बना दिया जाए

[श्रीमती सावित्री निगम]

और इसको उसी तरह से सारे अधिकार दे दिये जायें जिस तरह से कि सोशल वैलफेयर बोर्ड को दिये गये हैं। यदि ऐसा किया गया तो यह बोर्ड इन अपंग लोगों की शिक्षा को पूरी तरह से आगे बढ़ा सकेगा और इन अभागे व्यक्तियों को जो कि आज बोझ बने हुए हैं, बोझ न बन कर, उपयोगी अंग बनाने में मदद कर सकेगा और इनके जीवन को सार्थक बना सकेगा।

अब मैं एक दूसरे उपेक्षित विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहती हूं और यह अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बारे में है। मैंने समय समय पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के सामने वहां की शिक्षा सम्बन्धी कठिनाई को रखा है लेकिन आज तक भी वहां अच्छी शिक्षा का कोई बन्दोबस्त नहीं हो पाया है। एक हाई स्कूल निकोबार में खोला गया है। उसमें भी अभी तक पूरे टीचर नहीं पहुंच सके हैं और बच्चों की संख्या भी बहुत थोड़ी है। यदि वही स्कूल पोर्ट ब्लेयर में खोला जाता तो नैशनल इंटेग्रेशन की वह प्रक्रिया जिसके लिये आज सारे देश के नेता चिन्तित हैं, वहां प्रारम्भ हो सकती थी और शायद वहां पर शिक्षक यहां से जाने के लिए तैयार हो सकते थे। मैंने देखा है कि निकोबार विद्यालय में शिक्षकों का हमेशा अभाव रहता है और केवल थर्ड रेट शिक्षक ही वहां जाते हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर शिक्षकों को जो तनख्वाह दी जाती है, वह कम दी जाती है तथा दूसरी सहूलियतें उनको उपलब्ध नहीं होती हैं। उनकी तरक्की का मसला भी उठ खड़ा होता है और उनको उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इस वास्ते वहां पर शिक्षकगण जाना पसन्द नहीं करते हैं।

इसी तरह से बहुत से स्कूल हैं जहां पर हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन होता क्या है। होता यह है कि कई स्कूल हैं जहां पर केवल हिन्दी हिन्दी के ही टीचर हैं और कई दूसरे स्कूल हैं जहां उर्दू ही उर्दू के टीचर्ज हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां कोई टीचर्ज हैं ही नहीं। इस प्रकार से अन्दमान और निकोबार के लोग शिक्षा के मामले में बराबर उपेक्षित रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और अन्दमान और निकोबार में शिक्षा को प्राथमिकता दें।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिये स्पोर्ट्स को काफी महत्व दिया जाता रहा है जैसा कि अभी कहा गया है और मैं समझती हूं कि महत्व दिया जाना चाहिये। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि महिलाओं की जहां तक स्पोर्टस का सम्बन्ध है, इस वषय में भी अभी तक पूरी पूरी उपेक्षा की गई है और की जा रही है। यह कहने की आवश्यकता तो नहीं है कि जहां और देशों में, बड़े बड़े उन्नतिशील देशों में महिलाओं ने चैम्पियनशिपस प्राप्त किए हैं, वहां हमारे यहां स्पोर्ट्स का स्तर बहुत गिरा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त नैशनल डिसिप्लिन स्कीम के विषय में मानीय सदस्यों ने कहा। मैं भी कहूंगी कि यह बहुत ही उपयोगी स्कीम है। इस तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्दर कम से कम हर एक विद्यालय में इस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने अनुशासनहीनता के बारे में कहा। विद्यार्थियों में व्याप्त उदंडता और उच्छंखलता के बारे में कहा, और वह आज भी शिक्षा शास्त्रियों के सामने तथा विद्यालयों में शिक्षकों के सामने एक समस्या के रूप में मौजूद है। मेरी समझ में इस उदंडता का सब से बड़ा कारण यह है कि आज पन्द्रह सोलह वर्षों से जो रिलिजस शिक्षा का प्रश्न है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रश्न है वह बराबर उपेक्षित पड़ा है। बड़ौदा में सन् १९४४ में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के बीच उच्छृंखलता और

उदंडता न बढ़े तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग धार्मिक और नैतिक शिक्षा को और कोई न कोई व्यवस्था करें। जैसा कि आम तौर से होता है विशेषज्ञ लोग इस बारे में आपस में मतभेद रखते रहे हैं। सन् १९४५ में मीटिंग हुई, उसमें कुछ नहीं हो सका। इसके बाद सन् १९५९ में एक श्रीप्रकाश कमेटी बनाई गई। उसने बहुमूल्य सिफारिशें कीं। उसने साफ कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म के रास्ते से यदि धार्मिक शिक्षा, धर्म के शाश्वत तत्वों की शिक्षा, जिस में देश प्रेम, संयम तथा सत्यनिष्ठा आदि सम्मिलित हैं, या मानवता धर्म की शिक्षा दी जाय तो धर्म निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्तों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता। लेकिन आज तक जो कमेटी सन् १९५९ में बनी थी उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, और आज भी नैशनल डिसिप्लिन स्कीम जो है वह पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं की जा रही है। हमारा बहुत बड़ा देश है, उस ने बहुत हानि उठाई है, फिर भी इस महत्वपूर्ण प्रश्न की पन्द्रह बीस वर्षों से सन् १९४४ से लेकर सन् १९६२ तक, उपेक्षा की गई। मैं सोचती हूं कि यदि हम नैशनल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं देश में तो सब से पहले नन्हे बच्चों के लिये, देश के भावी नागरिकों के लिये प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत इस चीज को अवश्य प्रारम्भ कर देना चाहिये।

एक नैशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनी जिसमें देश के बड़े बड़े और महान नेता सम्मिलित हुए और उन्होंने सिफारिशें कीं। मुझे खेद है कि उनपर कोई विचार प्रकट नहीं किये गये। उनकी जो तीन सिफारिशें थीं, अर्थात् (१) लैंग्वेज फार्मूला, (२) आल इंडिया सर्विस केडर और (३) अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेन्ट्स का एक्सचेंज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है, मेरा अनुरोध है कि इन तीनों विषयों पर शिक्षा मंत्री जी शीघ्र से शीघ्र ध्यान दें और साथ ही साथ रिलिजस ऐंड मारल इन्स्पेक्शन की जो प्रक्रिया है उसे भी जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करवा दें।

†**श्री फ० गो० सेन** (पूर्निया) : सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का हस्तलेख बड़ा ही स्पष्ट और सुन्दर होना चाहिये जिससे वह छोटे छोटे बच्चों को सुन्दर लिखने का अभ्यास करा सकें क्योंकि अध्यापक के गुणावगुणों का विद्यार्थियों पर पर्याप्त असर पड़ता है। मेरे अपने दो अनुभव हैं जिनमें मैंने केवल इशारा मात्र करके दो विद्यार्थियों को साफ लिखना सिखा दिया था।

नौकरी में भरती होने के लिये सेवा की परीक्षायें होती है। उन परीक्षाओं में भी प्रायः देखा गया है कि हस्तलेख के कारण अधिक नम्बर मिल जाते हैं। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का हस्तलेख सुन्दर होना चाहिये जिससे वह अपने विद्यार्थियों का हस्तलेख सुधार सकें।

मैं देखता हूं कि दिल्ली में शिक्षा पर बहुत धन व्यय होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पीछे पीछे नौकर किताबें लेकर चलता है। बड़ी अजीब बात है कि पढ़ने वाला बच्चा अपनी किताबें भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। बड़ेबड़े स्कूल जैसे सेंट स्टेफैन्स में मैं ने देखा है कि बच्चे इस तरह रहते हैं कि जिससे बहुत धन व्यय हो। विद्यार्थी कार, स्कूटर आदि ऐसी ही कितनी चीजें ऐयाशी की रखते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को विद्यार्थी पर व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए जिससे गरीब और अमीर बच्चों में स्कूलों में कोई भेदभाव नजर न आ सके।

आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता हमें बहुत दिखाई देती है तथा विद्यार्थी अध्यापकों की उतनी इज्जत नहीं करते हैं जितनी उनको उनकी करनी चाहिए। क्या कारण है ? मैं समझता हूं कि अध्यापक भी इसके लिए दोषी हैं उनको भी विद्यार्थियों को अपने पुत्रवत समझना चाहिएं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मनुष्य के जीवन को संवारने की एक साधना है। चूंकि मनुष्य राष्ट्र का घटक है, और जब हमें राष्ट्र को उठाना है तो यह जरूरी है कि मनुष्य को उठाया जाये। जो शिक्षा मनुष्य के उठाने में सहायक नहीं हो सकती, मनुष्य को हम जिस आदर्श पर ले जाना चाहते हैं, उस आदर्श पर ले जाने में सहायक नहीं होती, तो उस शिक्षा में कुछ दोष है ऐसा हम को सोचना होगा।

इस देश में शिक्षा पर जब चर्चा होती है, बहुतेरी बात कही जाती हैं। मैं यह जानता हूं कि भिलाई का कारखाना बनाने जैसा सरल काम शिक्षा का नहीं है। जमीन खोद कर लोहा निकाल कर उस को पिघला लेना सहज काम है। लोहे को गला कर और उसको पीट कर एक रूप दे देना कठिन काम हो लेकिन तो भी शिक्षा जितना कठिन काम नहीं है। लेकिन मनुष्य जैसे जीव को निर्मित करना सरल काम नहीं है। कितनी काम्पलीकेटेड मैशिनरी है मनुष्य की। कितना विचित्र है उसका मस्तिष्क और कितना संश्लिष्ट है उसका हृदय। उसके हृदय और मस्तिष्क को एक ऐसे सांचे में ढाल देना, जिस में ढल कर वह समाज के लिए हितकारी हो—उस समाजवादी समाज के लिए जिसकी कल्पना हमारे मस्तिष्क में आज पैदा हुई है—काफी कठिन काम है।

इस देश में विगत १२,१३,१४ वर्षों से मनुष्य के निर्माण की दिशा में जो यत्न चला है, वह, उलझनों को देखते हुए, काफी उत्साहवर्धक है। उसके लिए जो कुछ भी यत्न हो रहा है उसके लिए हमारा शासन और मंत्रिमंडल धन्यवाद के पात्र हैं। फिर भी हमें यह तो विचार करना होगा कि इसमें खामी कहां रह रही है।

हमारा देश एक प्रजातंत्रात्मक देश है। मनुष्य इस प्रजातंत्रात्मक देश का एक घटक है। इस तरह की भावना उसकी निर्मित होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि इस दिशा में गलती हो रही है। इस दिशा में हमारे कदम जितनी मजबूती से बढ़ने चाहिए उतनी मजबूती से नहीं बढ़ रहे हैं। बीस वर्ष पहले इस देश का नौजवान अहंवादी तथा व्यक्तिवादी होता था। वैयक्तिक जीवन का विकास उसका चरम लक्ष्य होता था। अपना जीवन सुख और सम्पन्नता में बिताये यह उसका लक्ष्य होता था। यही उसके अविभावकों का भी लक्ष होता था। और समाज का अधिकांशतया आज भी वही लक्ष्य है। आज भी नौजवान यही लक्ष्य लेकर चलता है कि मैं अपनी जिन्दगी और अपने परिवार की जिन्दगी को सुख और सम्पन्नता की तरफ ले जाऊं। उसका वारिस भी उस से यही अपेक्षा करता है। हम एक समाजवादी समाज का निर्माण कर रहे हैं। जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं जोकि अहंवादी है जोकि वैयक्तिक सुख की अपेक्षा रखता है या वैयक्तिक सुखसाधना को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानता है, तो उस आदमी का हमारे मनोवांछित समाज में क्या स्थान हो सकता है? हम देखते हैं कि वह एक मिसफिट होता है हमारे समाज के लिए। हमें तो एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें कि व्यक्ति समाज का घटक मात्र हो। वह परिपूर्ण विकास की साधना में लगे। वह अपनी नैतिक, आध्यात्मिक, हृदय और बुद्धि की सब किस्म की शक्तियों को विकसित करे। लेकिन स्वयं की सम्पूर्ति के लिए नहीं वरन् जिस समाज का वह घटक है उसकी हित-साधना की दृष्टि से। हमारी शिक्षा प्रणाली इस दिशा में कहां तक गतिशील हो सकी है यह हमें देखना है। मैं जब इस कसौटी पर शिक्षा प्रणाली को कसता हूं, तो मुझे लगता है कि करीब करीब वही पुराना ढर्रा जोकि पहले से चला आ रहा था, अब भी चलता जा रहा है। यह ठीक है कि उस ढर्रे को बदलना कठिन है लेकिन हमें उसे बदलना शुरू तो करना चाहिए। इस सब के लिए हमें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है। अच्छे अध्यापक पाने के लिए यह ठीक है कि हमेशा केवल अच्छी रकम देना ही जरूरी नहीं होता है, कभी कभी संभव भी नहीं होता है कि बहुत अच्छी रकम दी जाये, लेकिन अध्यापकों को अच्छा सम्मान देना व इज्जत देना यह बहुत जरूरी होता है। अध्यापक आज समाज का सर्वाधिक

उपेक्षित प्राणी है, पैसे की दृष्टि से और समाज में सम्मान की दृष्टि से । हमें अध्यापक को वशिष्ठ और विश्वामित्र के पुरातन स्तर पर फिर से बिठलाना है। अगर हम उसे वह सम्मान भी न दे सके जोकि वशिष्ठ को मिलता था अथवा चाणक्य को मिलता था तो मैं नहीं समझता कि कितनी भी रकम उसे दी जाय कितना भी पैसा उसे दिया जाय, वह समाज के लिए उतना हितप्रद हो सकता है जितना हितप्रद कि प्राचीन अध्यापक होता था ।

मैं आधुनिक काल में जो प्रयोग चल रहे हैं और जो काम हो रहे हैं, उनको गलत कहूं या पुरातन काल की दृष्टि को सर्वथा गलत समझता होऊं, ऐसा आदमी नहीं हूं । मैं उस दृष्टि को एकदम गलत समझता हूं जो केवल पुराने में ही अच्छाई खोजा करती है,लेकिन फिर भी इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने में भी कुछ अच्छाइयां हैं और उन की तरफ हमें ध्यान देना होगा ।

आज का जमाना पैसे की तरफ जा रहा है। अध्यापक हमारा अधिक पैसा चाहता है । अच्छे आदमी अध्यापन की दिशा में जायें इस के लिए जरूरी है कि हम अधिक पैसा और अधिक सम्मान अध्यापक को दें । जब तक यह नहीं होता है तब तक कितने ही स्कुल खोले जायें, कितने ही विद्यायल खोले जायें, और कितने ही विश्वविद्यालय खोले जायें; हम सचमूच में लिखने पढ़ने की क्षमता आदमी में भले ही जाग्रत कर दें लेकिन चरित्र निर्माण और समाज के लिए जीवन सर्मपित करने की भावना जिसके कि बगैर सही समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, पैदा करना काफी दुष्कर कार्य रहने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शासन इस दिशा में अधिक से अधिक सजग हो । शिक्षक को जहां आर्थिक सुविधा दी जाये अधिक से अधिक वहां पुराने जमाने की तरह इस तरफ भी अधिक से अधिक ध्यान दिया जाये कि वह समाज में अधिक से अधिक सम्मान का पात्र बन सके ।

डिसिप्लन के सम्बन्ध में बहुत चर्चा होती है और विद्यार्थियों पर यह लांछन लगाया जाता है कि वह गैर जिम्मेदार हैं। मैं इस चीज पर यकीन नहीं करता । मैं ने एक माध्यमिक शाला से लेकर विश्वविद्यालय तक अध्यापन कार्य किया है । मैं ने अनुभव किया कि विद्यार्थी एक मिट्टी का लोंदा है । उसमें अच्छे संस्कार डालने की जरूरत है । अच्छा अध्यापक उसे अच्छा स्वरूप दे देता है । वह विद्यार्थी जो एक अध्यापक के सामने गलत तरीके से पेश आता है ठीक अध्यापक के सामने ठीक तरीके से पेश आता है और अगर उस ठीक अध्यापक को अच्छे संस्कार डालने का अवसर मिलता है तो उस में वह अच्छे और सुन्दर मनुष्य की मूर्त्ति का निर्माण करता है ।

नेशनल इंटग्रेशन मैं समझता हूं कि आज की देश की हमारी सब से बड़ी समस्या है । मुझे डर लगता है कि अगर हम इस देश में एकत्व के भाव को अधिक जोरों से प्रतिष्ठित करने में सफल नहीं होते हैं तो एक बड़ा खतरा इस देश के सामने है । इंटिग्रेशन का भाव अगर कहीं से पैदा हो सकता है तो वह हमारी इन शैक्षणिक संस्थाओं से पैदा हो सकता है ।

डेमोक्रेसी को जैसा मैंने आरम्भ में कहा अगर सफल बनाना है तो यह जरूरी है कि हमारी शिक्षा में अधिक से अधिक प्रगति आये । डेमोक्रेसी नियमों और कानूनों का शासन होती है और इसलिए यह अपेक्षित होता है कि समाज का छोटे से छोटा घटक भी नियमों और कानूनों को अच्छी तरह से समझ सके; और वह सम्पूर्ण समाज का एक अणु है, एक अंग है, यह भाव अधिक से अधिक जोरों के साथ उस के हृदय में प्रतिष्ठित हो सके । नेशनल इंटग्रेशन की दृष्टि से हमारी पाठशालाओं में अधिक से अधिक काम हो यह बहुत जरूरी है । इस विषय में यूं तो चर्चा हम ने बहुत की है और इधर उधर अन्य लोगों ने भी की है लेकिन एक सक्रिय कदम इस दिशा में उठाना बहुत जरूरी है । हमारे इतिहास की पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी कविताएं और हमारे गीत किस सीमा तक हमें इंटग्रेशन की दिशा में ले जा रहे हैं यह देखना बहुत जरूरी है । हम जब किताबों के

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

पन्ने पलटते हैं, हम जब बच्चों को पढ़ाते देखते हैं और सुनते हैं तो हमारी नजर में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं आती है जोकि इस देश में जो खाइयां हैं जो जाति और धर्म के आधार पर खाइयां मौजूद हैं उन खाइयों को पाटने में बड़ी दूर तक सफल और सहायक हो रही हो। मैं तो कहता हूं कि हमारे ज्ञान में किसी सीमा तक अगर कमी भी रह जायें तो उसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं हमें ज्ञान से लदे हुए बहुत बड़े पंडितों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी जरूरत इस बात की है कि मिल कर हम सब इस देश के लिए काम कर सकने के लिए सन्नद्ध हो सकें। हम सब एक ऐसी भावना वाले हमारे अधिक से अधिक लोग इस देश में तैयार हों। तो यह इंटैग्रेशन का भाव पैदा किया जाना लोगों के मन में तरुणों के मन में यह बहुत आवश्यक है। वर्गभेद और जात भेद की दीवारें ढाने में यह पाठ्य पुस्तकें, जोकि हमारी शालाओं में चलती हैं सहायक होनी चाहियें। यह सही है कि केवल उपदेशों के द्वारा समाज के बच्चों को ज्यादा नहीं बनाया जा सकता है गोकि उपदेश भी आवश्यक होता है। एक बड़ी आवश्यक चीज जो होती है वह आदर्श की होती है। शिक्षकों के चयन के सम्बन्ध हमें इस समय बड़ी सावधानी रखनी होगी। पाठशालाओं की आज जब हमारे देश में मशरूम ग्रोथ हो रही है और उसके लिए काफी तादाद में टीचर्स हमें रखने पड़ रहे हैं तब मैं समझता हूं कि शिक्षकों के चयन के बारे में जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम शिक्षक के स्थान पर बैठा रहे हैं वह ठीक तौर से शिक्षा दे भी सकता है या नहीं।

मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना, या इन्टर, अथवा बी० ए० पास कर लेना, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एम० ए० या पी० एच० डी० भी पास कर लेना इस बात की क्वालिफिकेशन नहीं है कि कोई आदमी आज टीचर हो सकता है। जिस तरह स्त्री केवल स्त्री होने से ही सही मां हो जाने की अधिकारिणी नहीं हो जाती, मैं जोरों से महसूस करता हूं कि उसी तरह बड़ी से बड़ी डिग्री पा लेने के बाद कोई आदमी अनिवार्यतः अध्यापक बनने के योग्य नहीं हो जाता। जिस तरह एक मां में, एक नारी में, ममतामयी होने, सन्तान के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने, जो कुछ भी प्राणों में है, जो कुछ भी रक्त है, उस को दूध में परिणत कर के सन्तान के हृदय में उंडेल देने और अपने दुख-सुख को बिसरा कर बच्चे के कष्ट को दूर करने के लिए अपने को समर्पित करने की भावना होनी चाहिए---और जब तक यह भावना नहीं है, तब तक नारी नारीत्व के स्थान पर नहीं पहुंच सकती है, सही मां नहीं बन सकती है---, उसी तरह जब तक अध्यापक के हृदय में बच्चे के प्रति सर्वस्व-समर्पण और जीवन में उस ने जो रस बटोरा है, उस रस को बच्चे के प्राणों में अधिष्ठित कर देने और उंडेल देने की भावना नहीं आती है, तब तक कोई व्यक्ति सही अध्यापक नहीं हो सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्यारह बजे से बैठी हुई हूं, लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): ग्यारह बजे से तो सब बैठे हुए हैं।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी: इस लिए मेरा निवेदन है कि अध्यापक का चयन करते समय---चाहे प्राथमिकशाला और बेसिक स्कूल का अध्यापक हो, चाहे माध्यमिक शाला और चाहे यूनिवर्सिटी का अध्यापक हो---यह देखा जाये कि उस में बच्चे की आत्मा की मां बनने की क्षमता है या नहीं। मां ने बच्चे के शरीर को निर्मित किया। अध्यापक को उस की आत्मा को निर्मित करना है, उस के हृदय और उस की जिन्दगी को निर्मित करना है। अगर कोई व्यक्ति मातृत्व से पूर्ण है, तभी वह अध्यापक बनने का अधिकारी है।

जगह जगह से स्कूलों की बहुत मांग होती है। ठीक है, स्कूल होने चाहिएं। प्रकाश की आकांक्षा रखना तो ठीक है, लेकिन प्रकाश की आकांक्षा रख कर ऐसे दीये जला देना, जिन से धुआं बढ़े, उजाला न फैले, प्रकाश की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्यों को ग्यारह बजे से ही यहां पर बैठना होता है। जो माननीय सदस्य न बुलाये जाने पर नाराज़ हो रहे थे, उन को अब मैं नहीं देख रहा हूं।

श्री रामसेवक यादव।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : अध्यक्ष महोदय, विद्या के विषय पर बहनों को बोलने का ज्यादा अवसर दिना चाहिए। अभी तक सिर्फ़ एक बहन को अवसर दिया गया है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस से पहले कि मैं शिक्षा मंत्रालय के बारे में और कुछ कहूं, मैं माननीय मंत्री जी को उन छोटे से ही कार्यों के लिए, जिस से हिन्दी के प्रसार को बल मिलेगा, बधाई दूंगा। अहिन्दी-क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और ट्रेनिंग कालेजों में शिक्षण की व्यवस्था आदि जो कार्य हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं। लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वे काफ़ी नहीं हैं। इस दिशा में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान पर एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आई थी और उस ज़िम्मेदारी को वहन करने के लिए शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन की जो आवश्यकता पड़ी, आज उस आवश्यकता को भारत सरकार की शिक्षा नीति पूरा नहीं कर रही है। शिक्षा नीति में बहुत दोष हैं। आज हम अपने देश में जनतंत्र चला रहे हैं। यहां पर बार बार समाजवाद की बात भी चलती है और गांधी जी का भी नाम लिया जाता है। गांधीजी, समाजवाद और जनतंत्र, इन तीनों के ही अनुरूप हमारी शिक्षा नीति नहीं है।

आज हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा नीति कई तरह की है। शिक्षा की नींव प्रारम्भिक शिक्षा होती है। अगर हम उस दिशा में देखते हैं, तो पाते हैं कि एक तरफ़ तो प्राथमिक (प्राइमरी) शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा है और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल और अंग्रेज़ी स्कूल हैं। तीन प्रकार की शिक्षा प्रणाली इस समय हमारे देश में चल रही है, जिस के कारण आज हम शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ी गड़बड़ देख रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ने से साफ़ मालूम होता है कि अभी सारे भारतवर्ष में बेसिक शिक्षा नहीं हो पाई है, प्रयास हो रहा है और गांवों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जल्दी ही बेसिक शिक्षा लागू कर दी जायेगी। लेकिन जहां तक शहरों का प्रश्न है, वह अभी शुरू नहीं हो पाई है और अभी इस सम्बन्ध में प्रयास करने का विचार किया जा रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि शिक्षा में दो तरह की नीतियां हैं। गांवों के लिए बेसिक शिक्षा है और शहरों के लिए वही पुरानी शिक्षा है। प्रश्न यह है कि अगर बेसिक शिक्षा गांवों के लिए लाभदायक है, तो शहरों के लिए भी वह लाभदायक हो सकती है, लेकिन अगर वह शहरों के लिए लाभदायक नहीं है, तो फिर गांवों के लिए वह कैसे लाभदायक हो सकती है। शायद शिक्षा मंत्रालय और उस के अधिकारियों के मन में इस बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है। शायद वे बेसिक एजूकेशन के बारे में साफ़ मत के हैं कि वह अच्छी नहीं है, नहीं तो वे शहरों को भी उसे देने की कोशिश करते।

यह कौन सा समाजवाद और जनतांत्रिक प्रणाली का तरीका है कि कुछ खास तरह के लोगों के लिये अंग्रेज़ी स्कूल और पब्लिक स्कूल चलें ? इन स्कूलों में वही बच्चे जा सकते हैं, जिन के माता-पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी और सम्पन्न है। इस देश के वे पचास लाख लोग, जो इस देश के

[श्री राम सेवक यादव]

हुक्मरान हैं, बड़ी ऊंची नौकरी में हैं, बड़े व्यापार में हैं या सरकारी गद्दी पर हैं, उन्हीं के बच्चे इन अंग्रेजी स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में जा सकते हैं। गरीब और साधारण लोग अगर अपने बच्चों को उन में भेजना भी चाहें, तो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल बहुत ही खर्चीले हैं।

पहले तो इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इस के अलावा वहां एक विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती है---कोट, पतलून पहननी पड़ती है और टाई बांधनी पड़ती है। अगर बच्चा वह पोशाक पहन कर न जाये, तो उस का नाम स्कूल से काट दिया जायेगा। कितने लोग इस देश में हैं, जो इतनी महंगी शिक्षा को सहन कर सकते हैं और अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज सकते हैं ?

इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आचार्य नरेन्द्रदेव के नाम पर पब्लिक स्कूल की तरह का एक विद्यालय है। जो आचार्य नरेन्द्रदेव राष्ट्रीय आन्दोलन की पीढ़ी के अग्रुआ थे, सादगी के अवतार थे, इस देश की साधारण जनता को उठाने की जिन के हृदय में तड़प और आग थी, उन्हीं के नाम पर स्थापित स्कूल में एक विशेष प्रकार की पोशाक निश्चित है। मेरे एक मित्र का लड़का उस स्कूल में पड़ता था। एक दिन एक अच्छा-खासा लम्बा और काफ़ी रुपये का नुस्खा आया कि इस तरह की पोशाक और टाई वग़ैरह होनी चाहिए। मेरे मित्र ने यह लिख कर भेजा कि क्या यह ज़रूरी है, हम इस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब उस लड़के को परेशान किया गया, यहां तक कि मेरे मित्र उस स्कूल से अपने लड़के का नाम कटवाने के लिए मजबूर हो गये। उन्होंने भारत जैसे गर्म देश में टाई की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन हम ने अंग्रेजों की नक्ल कर के टाई बांधना भी शिक्षा, तरक्की और ज्ञान का चिह्न समझ लिया है।

आज देश के सामने भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है। क्या यह शिक्षा उस राष्ट्रीय एकता के अनुकूल है ? यह राष्ट्रीय एकता किस के लिए है ? क्या यह एकता की बात उन पचास लाख लोगों के लिए की जाती है, जिन के बच्चे देहरादून, नैनीताल और ऊटी के स्कूलों में पढ़ते हैं, या इस देश के शहरों और गांवों में बसे हुए ४३ करोड़ ग़रीब लोगों की एकता का प्रश्न है ? अगर पचास लाख लोगों की बात है, तो वह तो है ही। आज राजगोपालाचार्य, प्रधान मंत्री नेहरू और डांगे, ये सब एक हैं। उनकी दिशा में कोई फ़र्क नहीं है। उनकी बोली और वेष में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आज एकता नहीं है, तो उपेक्षित गांवों और शहरों में रहने वाले ग़रीब ४३ करोड़ लोगों में नहीं है, जो कि देश की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं।

मंत्रालय की रिपोर्ट से साफ़ ज़ाहिर है कि १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३, इन तीनों सालों में पिछड़े वर्ग, हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिए निश्चित रकम बढ़ती नज़र नहीं आती है, जब कि उन बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन्हीं तीन सालों में पब्लिक स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की रकम बराबर बढ़ी है और काफ़ी संख्या में बढ़ी है। ये छात्रवृत्तियां किस को मिलेंगी ? इन अंग्रेजी स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में किन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं ? जैसा कि मैं ने अभी निवेदन किया है, बड़े लोगों के। कौन से चपरासी का लड़का, कौन से किसान का बेटा वहां पढ़ता है ? आप यह भी देखिये कि बैकवर्ड क्लासिज़ को दिये जाने वाले स्कालरशिप्स के अन्तर्गत ही यह व्यवस्था की गई है। क्या इस से भारत सरकार की शिक्षा नीति की दिशा का पता नहीं चल जाता है ? उस नीति का साफ़ उद्देश्य यह है कि इस देश में दो तरह के नागरिक गढ़े जायें।

एक राजा-पूत और दूसरे गुलाम-पूत। गुलाम-पूत उन स्कूलों में से निकलेंगे जो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल हैं और शहरों में टैंट्स में जो स्कूल लगते हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाये, तो उनमें से भी निकलेंगे। ये वे बच्चे हैं जिन पर आज शायद एक रुपया प्रति-मास भी औसतन खर्च नहीं होता है और दूसरी तरफ वे बच्चे हैं, पब्लिक स्कूल्स के बच्चे जिन के ऊपर २५, ३०, ५०, १०० और २०० रुपये मासिक के बीच मे खर्च किया जाता है। ऐसी हालत में कब इनमें एकता आयेगी। वे लोग जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनको गांवों की स्थिति का पता नहीं है, देश की गरीबी की हालत का ज्ञान नहीं है, वे कल कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डाक्टर बनेंगे। जिन्होंने कभी इस देश की स्थिति को नही जाना है, इस देश की स्थिति को नहीं आंका है, वे देश के भाग्य विधाता बनेंगे, हुकुमरान बनेंगे, शासक बनेंगे। जब ऐसी हालत है तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। इस स्थिति में, मैं चाहता हूं, परिवर्तन हो। हम चाहते हैं कि एक सी शिक्षा सब को दी जाये चाहे वे शहर के बसने वाले लोगों के बच्चे हों, या गांव के बसने वाले लोगों के बच्चे हों, चाहे पूंजीपति हों चाहे नये पूंजीपति जो पैदा हो रहे हैं उनके बच्चे हों। मैं कहता हूं कि ये सब बच्चे तथा बड़े सरकारी नौकरों के बच्चे, एक जगह पढ़ें ताकि हम से कम बच्चों मे तो एकता आये। उन में जब एकता पैदा होगी तब देश में आप से आप भावात्मक एकता पैदा हो जायेगी। यह भावात्मक एकता बनाने से नहीं आयेगी, भाषण देने से नहीं आयेगी, कहने से नहीं आयेगी, इस तरह से लानी होगी। मेरा निवेदन है कि एक ही प्रकार की शिक्षा सारे देश मे दी जानी चाहिये। पब्लिक स्कूल्स से हमें नफरत नहीं है। उनमें अगर कुछ खूबियां हैं तो वे सब स्कूलों में पैदा की जानी चाहियें और उसी परह के स्कूलें सारे देश में कायम किये जाने चाहियें। लेकिन आज हालत यह है कि जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां इमारतें नहीं हैं, पेड़ों के नीचे स्कूल लगते हैं, बैठने का इन्तजाम नहीं है, पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है। दूसरी ओर वे पब्लिक स्कूल्स हैं जहां ये सुविधायें पर्याप्त मात्रा में हैं और ठाठ से बच्चे उनमें पढ़ते हैं। यदि शिक्षा मंत्री महोदय के बच्चे इन प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ें तो शायद इनकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान जाये। इमली के पेड़ के नीचे बैठकर, उनको पता चले कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, धूप और जाड़ में बाहर बैठकर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बरसात के दिनों में उनको क्या क्या कष्ट होता है, इसका उनको पता चले, तथा किनकिन मुसीबतों का उनको शिकार होना पड़ता है, यह उनको पता चले और तब इन स्कूलों की इमारतें बन सकती हैं तथा दूसरी जो आवश्यक सुविधायें हैं, वे उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन आज उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह इस लिये है कि उनके बच्चे, उनके अजीज, उनके रिश्तेदारों के बच्चे वहां नहीं पढ़ते हैं, इसलिये उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। मैं चाहता हूं कि यह जो स्थिति है, इसमें परिवर्तन होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रश्न के साथ साथ सीधा सा सवाल भाषा का भी आ जाता है। इसके बारे में हमारी नीति क्या है, यही हम तय नहीं कर पाये हैं। जब हम यही निश्चय नहीं कर पाये हैं कि हम किस भाषा मे लड़कों को शिक्षा प्रदान करें, तो और क्या आशा की जा सकती है। हाई-स्कूल, इंटरमीडियेट, यूनिवर्सीटी स्टेज पर आगे चल करके शिक्षा का माध्यम क्या हो, यही तय नहीं है। अंग्रेजों को यहां से गये अब पंद्रह साल के करीब हो चुके हैं। आज तक हमारी सरकार यही निश्चय नहीं कर पाई है कि हिन्दुस्तान के बच्चों के लिये शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी रहे, हिन्दी आये या किस भाषा में आये उनको शिक्षा दी जाये, इसका कुछ पता नहीं है। वैसे कानून मे तो राष्ट्र भाषा हिन्दी को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन क्या वास्तव में हिन्दी राष्ट्र भाषा बन पाई है? अगर इस कसौटी पर कसा जाये तो राष्ट्र भाषा का सीधा सा अर्थ यह है कि सरकारी राज-काज राष्ट्र भाषा में हो। इसको हम स्वीकार तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक इस दिशा मे कुछ भी प्रगति नहीं हो पाई है। इसी सदन में दो चार दस माननीय सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो अपनी भाषा मे बोल सकते हैं। लेकिन मैं तो साफ कहूंगा कि यहां पर मंत्रियों की तरफ से कहा जाता है कि

[श्री राम सेवक यादव]

वे हिन्दी नहीं जानते हैं मगर मेरा निश्चित मत है और मैं जानता हूं कि वे बड़ी बढ़िया हिन्दी जानते हैं और बोल सकते हैं। जब मैं हिन्दी का नाम लेता हूं तो मेरा आशय पण्डिताऊ हिन्दी से नहीं है, बल्कि मेरा आशय सीधा सादा उस हिन्दुस्तानी से है जिसको आम लोग बोलते और समझते हैं। कब तक इस के लिये हमें प्रतीक्षा करनी होगी और कब वह वक्त आयेगा जब कि हिन्दी को उसका उचित स्थान मिलेगा और कब उसकी शुरुआत होगी ? लेकिन आज तो इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। संविधान में स्वीकार कर लिया गया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी और उसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी और पन्द्रह साल के बाद वह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। आज बारह साल संविधान को लागू हुये हो गये हैं लेकिन उस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। आज हम क्या स्थिति पाते हैं ? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सारा काम अंग्रेजी में होता है। यह सब काम किस के लिये होता है ? यह उस जनता के लिये अंग्रेजी मे होता है जिसका अंग्रेजो से कोई वास्ता नहीं है, जो एक अक्षर भी अंग्रेजी का नहीं समझती है। लेकिन फिर भी वहां अंग्रेजी चलती है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि गांधी के इस देश में और वह गांधी जो अंग्रेजों के जमाने में कहा करता था कि अगर मेरा बस चले और मुझे तानाशाही के अधिकार दे दिये जायें तो मैं एक सैकिंड में अंग्रेजी को खत्म कर दूं, आज भी अंग्रेजी का ही बोल बाला है। उसी गांधी के इस देश में इसी देश के एक नागरिक को हाई कोर्ट में इस वास्ते छः महीने की सजा दे दी जाती है कि वह अपनी बात अपनी भाषा हिन्दी में कहना चाहता है। इससे ज्यादा और शर्म की दूसरी बात क्या हो सकती है। अनुच्छेद ३५१ संविधान का जो है, उसमें कहा गया है कि हिन्दी को लाने का प्रयास करना होगा। लेकिन प्रयास क्या किया गया है ? प्रयास यह है कि एक नेशनल इंटेग्रेशन कांफ्रेंस हुई सितम्बर अक्तूबर के महीने में और उसके बाद एक स्टेटमेंट इशू किया गया जो कि इस प्रकार है :—

"जब तक हिन्दी का पर्याप्त विकास नहीं हो जाता अंग्रेजी काम देगी"

मैं पूछना चाहता हूं कि कब हिन्दी डिवेलप होगी और इसको डिवलेप करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जब तक खोटी अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक इस देश की क्षेत्रीय भाषायें और जिसको राष्ट्र भाषा हिन्दी कहा जाता है, वे कभी पनप नहीं सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह यह एक साधारण सा नियम है कि किसी की जेब में अगर दो सिक्के हैं, एक खोटा और दूसरा असली तो जब तक खोटा सिक्का रहेगा असली सिक्का निकल नहीं सकता है। इस वास्ते जब तक अंग्रेजी बनी रहती है और तमाम जो इम्तहान हैं, जो प्रतियोगितायें हैं अंग्रेजी के माध्यम से ली जाती हैं, कलैक्टर, कमिश्नर की प्रतियोगितायें तथा दूसरी सर्विसिस, आई० ए० एस० इत्यादि की प्रतियोगितायें अंग्रेजी मे होती हैं, तब तक कौन हिन्दी को पढ़ेगा। जब तक बड़ी बड़ी नौकरियों के लिये इम्तहान का माध्यम, पढ़ाई लिखाई का माध्यम तथा कचहरियों और अदालतों में कामकाज का माधम हिन्दी नहीं होता है तब तक कभी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो सकता है।

कहा जाता है कि कोशिश हो रही है। लेकिन कोशिश किस तरह हो, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने कुछ अनुवाद-कार्य अपने हाथ मे लिया है। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं। लेकिन १९५० में संविधान लागू हुआ और उसको लागू हुये आज बारह साल के करीब हो गये हैं। इस बीच में जो आर्ट कालेजिज हैं, जहां पर आर्टस के विषयों की शिक्षा दी जाती है, वहां से आप अगर जो दूसरे विषयों को जानने वाले हैं और अंग्रेजी भी जानने वाले हैं, उनसे अनुवाद का काम लेते, तो कब की आपको ये पुस्तकें अनुवाद सहित प्राप्त होगई होतीं और आप सीधे रास्ते पर शिक्षा मे को चला सकते थे। लेकिन कोई इस तरह का कार्य नहीं हुआ। यह भी हो सकता था कि जो थीसिस लिखते हैं या जिनको इम्तहान पास करने पर डिग्रियां दी जाती हैं,

उनको इम्तहान पास करने का माध्यम अनुवाद ही मान लिया जाता तो यह काम बड़ी आसानी हो सकता था। आप यह भी कर सकते हैं कि जो एक दो किताबों का तर्जुमा करेंगे और अच्छी तरह करेंगे, उनको ज्यादा नम्बर मिलेंगे। इस तरह से आपके पास पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें ट्रांस्लेट हो कर आगई होतीं। लेकिन इस दिशा में कोई कोशिश नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कोई साजिश का नतीजा है कि मुट्ठी भर अंग्रेजी जानने वाले इस देश की ४३ करोड़ जनता पर अंग्रेजी को लादे रखना चाहते हैं।

इस नेशनल इंटीग्रेशन कान्फ्रेंस के बाद इशू किये गये स्टेटमेंट मे यह भी कहा गया है :—

"अन्तर्राष्ट्रीय संचार और अधुनिक ज्ञान की वृद्धि--विशेषकर विज्ञान, उद्योग और औद्योगिकी में —— के लिये अंग्रेजी महत्वपूर्ण है"

यह कहां इम्पार्टेंट है ? आप रूस को ले लें, फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें। उनका सम्बन्ध क्या दूसरे देशों से नहीं है। मैं समझता हूं कि रूस का समम्बन्ध आज दूसरे देशों से बहुत अच्छा है और अगर साइंस और टैक्नालाजी को लिया जाये तो मैं समझता हूं कि रूस दुनिया में इस क्षेत्र में आगे बढ़े हुये किसी भी देश से पीछे नहीं है। अगर आप इसको मान लें तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको लोगों को रूसी सिखानी पड़ेगी और रशियन को राष्ट्र भाषा बनाना पड़ेगा, उससे चिपकना पड़ेगा। कब तक हम इस तरह की गुलामी करते रह सकते हैं? अगर चाह है तो राह है। अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्र भाषा बने तो वह बड़ी आसानी से बन सकती है और उसके लिये आपको सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। अंग्रेजी से चिपक के रह कर हमने आज तक क्या तरक्की कर ली है साइंस और टैक्नालाजी के मैदान में एक धूप का चूल्हा भी तो नहीं बना पाये हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी ही हिन्दुस्तान के बच्चों की ज्ञान वृद्धि के रास्ते में बाधक है। जो समय हम एक विदेशी भाषा में लगाते हैं और वह भाषा जिसमें सी ए टी तो केट बनता है जिसके मानी बिल्ली होता है और आर ए टी रैट बनता है जिसके माने चूहा होता है, अगर वही समय हम उनको जुगराफिया, हिसाब, तारीख, साइंस इत्यादि सिखाने में लगायें तो वे ज्यादा योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। भाषा को हमने क्या समझ रखा है? हम समझते हैं कि भाषा का ज्ञान हो गया तो हम पूरे पंडित हो गये। लेकिन यह धारणा गलत है। भाषा तो विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और विषय ज्ञान ही असली ज्ञान है और जब तक विषय ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

जब हिन्दी का प्रश्न उठता है तो उत्तर दक्षिण का सवाल भी उठाने की कोशिश की जाती है। यह कहा जाता है कि दक्षिण भारत वाले कहते हैं कि उन पर हिन्दी को लादा जा रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि हिन्दी को किसी पर लादा जाए। मैं तो दक्षिण भारत वालों से कहूंगा कि तुम बंगला की बात करो, मराठी की बात करो, दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की बात करो, हम उन में से किसी एक को भी मानने के लिए तैयार हैं। कम से कम वे हमारे देश की भाषायें तो हैं और उनको जानने वालों की संख्या अंग्रेजी जानने वालों की संख्या से तो कहीं अधिक है। हिन्दी के बारे में जब दक्षिण वाले इस तरह का हल्ला करते हैं, शोर करते हैं, शिकायत करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी जनता की क्या भाषा है, उनकी जनता की क्या बोली है इसको वे देखें। उनकी भाषा अंग्रेजी तो नहीं है। अंग्रेजी तो केवल शोषण की भाषा रह गई है। मुट्ठी भर लोग जो अंग्रेजी जानते हैं, वे ही इस भाषा के साथ चिपके रहना चाहते हैं, वे ही बड़ी बड़ी नौकरियों पर छाये रहना चाहते हैं, वे ही राजनीति पर, व्यापार पर, पलटनों में छाये रहना चाहते हैं और अपना अधिपत्य जमाये रखना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक यह भाषा रहेगी, जनतंत्र नहीं पनपेगा, लोकशाही नहीं पनपेगी और न ही जनता ऊपर उठ सकती है।

जहां तक डर की बात कही जाती है कि अगर हिन्दी को राष्ट्र भाषा बना दिया गया तो वे केन्द्र की नौकरियों में नहीं आ सकेंगे और शायद ये जगहें उनसे छिन जायें तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता

[श्री राम सेवक यादव]

हूं कि पिछले दस पन्द्रह वर्षों में कितने दक्षिण भारत के लोग नौकरियों में लिये गये हैं, उसका औसत निकाल लिया जाए और उस औसत के मुताबिक उनके लिए जगहें रिजर्व कर दी जायें और यह नौकरियां उनके लिए पन्द्रह बीस साल के लिए सुरक्षित कर दी जायें। मैं तो एक कदम आगे बढ़ कर उत्तर भारत वालों से कहूंगा कि तुम कह दो कि दस बीस पच्चीस साल तक हम केन्द्र की कोई भी गजेटिड या दूसरी नौकरी नहीं लेंगे और ये सभी नौकरियां उनको दे दी जायें लेकिन राजकाज तो इस देश की जनता की भाषा में चले ताकि देश की जनता को उसमें हिस्सा लेने का . क मिल सके। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रालय की नीति जब तक इस दिशा में ठीक नहीं चलती है तब तक देश का जनतन्त्र और देश का लोकतंत्र नहीं चल सकता है। जो शिक्षा मत्रालय की गतिविधि है वह बहुत धीमी है। आंकड़े जो दिये गये हैं मंत्रालय के द्वारा, सन् १९६१ की जो जानकारी है उस में साफ बतलाया गया है कि इस देश में २३.७ प्रतिशत साक्षरता है। अंग्रेजों के जमाने में शायद १०, १२ या १५ प्रतिशत तक बढ़ गई होगी। बहरहाल १५ सालों के अन्दर अगर १५ प्रतिशत बहु गई तो यह गति बहुत धीमी है। हमारी आबादी भी बढ़ती जायेगी तो न जाने कितनी पंच साला योजनायें बनानी पड़ेंगी तब कहीं जाकर देश में साक्षरता आयेगी। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत पढ़े लिखे बेकार लोग हैं इस देश में। उनकी एक पलटन भरती करके साक्षरता सेना बनाई जाये और उनके द्वारा इस देश के नागरिकों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।

इस रिपोर्ट में है कि ६ से १० साल तक के बच्चे सन् १९६१-६२ में स्कूल में जाते थे उनका प्रतिशत ६१.३ था। सन् १९६५-६६ में जब कि यह पंचसाला योजना समाप्त हो जायेगी तो उनका प्रतिशत ७६.४ हो जायेगा यानी १५ प्रतिशत बढ़ोतरी होगी पांच सालों में। इस तरह से एक साल में ३ प्रतिशत पड़ता है। इस ३ प्रतिशत को देखते हुए हमें सोचना चाहिये कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, जब कि हमारी आबादी बढ़ती ली चजा रही है।

इसके बाद मैं इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज के बारे में कह कर समाप्त करूंगा। उसमें जो विद्यार्थी भरती किये जाते हैं उनको विदेशी मामलों की खोज करने का काम सुपुर्द किया जाता है और उस सिलसिले में उन देशों की भाषा भी पढ़नी पड़ती है और वहां पर जान भी पड़ता है। वहां पर उनको थीसिस मिलती है और उसके बाद वे पी० एच० डी० कर लेते हैं। इस तरह का नतीजा यह होता है कि उनको उन देशों की विशेष जानकारी हो जाती है। जब विदेश मंत्रालय पर बहस हो रही थी तो कहा गया था कि पब्लिसिटी के अच्छे जानकार नहीं हैं इसलिये विदेशों में हमारा काम अच्छी तरह नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस इन्स्टिट्यूट से विद्यार्थी निकलते हैं तो उनको बजाय स्कूलों में पढ़ाने के लिये भेजने के इस काम में लगाया जा सकता है, जो कि अभी नहीं किया जा रहा है। जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं उनकी योग्यता को बेकार कर दिया जाता है जब कि उनके ऊपर इतना रुपया खर्च किया जाता है।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा शिक्षा मंत्रालय सही दिशा में कदम उठायेगा।

†**श्रीमति सरोजिनी महिषी** (धारवाड़-उत्तर) : तृतीय योजना में ५७,७५० पाठशालाओं को बुनियादी शिक्षा के स्कूलों में बदला जायेगा। प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में कई स्कूल बदले गये हैं। कुछ राज्य बुनियादी शिक्षा का स्वागत करते हैं, कुछ उसका विरोध करते हैं।

गांधी जी ने कहा था कि बुनियादी शिक्षा रहने की शिक्षा है। अतः बुनियादी शिक्षा से हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं और जो रहने की कला को जानता है वही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। बुनियादी शिक्षा से बच्चे के व्यक्तित्व के सब पहलुओं का विकास होगा।

---

†मुल अंग्रेजी में

ज़ाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा के असूलों के बारे में लिखा है। प्राथमिक पाठशाला में जो बुनियादी शिक्षा दी जाती है उससे जो भौतिक लाभ होता है मत्वपूर्ण नहीं है, परन्तु सेवा की और हाथ से काम करने की भावना जो उत्पन्न होती है वह महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा आरम्भ कर दी जाए अच्छी है। पंचायती राज में ग्राम में स्कूल ने महत्वपूर्ण काम करता है। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को भी नई ट्रेनिंग देनी चाहिए।

यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासन न होने का उत्तरदायित्व अध्यापक पर है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। विद्यार्थियों में अनुशासन न होने के लिए उनके माता पिता उत्तरदायी हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि उनके बच्चे स्कूल में उपस्थित होते हैं कि नहीं, परीक्षा में बैठते हैं कि नहीं। घर पर बच्चे की शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ सीमा तक अनुशासन हीनता का उत्तरदायित्व अध्यापक परही हो सकता है। तीसरी बात जिस पर अनुशासन का आधार है वातावरण है। चौथी बात विद्यर्थी स्वयं है।

विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता इन चारों बातों पर निर्भर है।

माध्यमिक अवस्था में बच्चों की संख्या कम हो जाती है। यह निर्धनता के कारण है। माता पिता बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते।

लोकतन्त्रीय प्रणाली में सामाजिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वयस्क शिक्षा भी आ जाती है। सामुदायिक विकास खण्डों में इसके लिए निधियां हैं। सामाजिक शिक्षा विभाग में भी इसके लिए निधियां हैं। इस काम के लिए समन्वय नहीं है। इसलिए सामाजिक शिक्षा को हानि पहुंच रही है।

स्त्री शिक्षा के लिये विशेष समिति है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के ध्येय पूरे नहीं हुए हैं। इसका कारण यह है कि हमारी ७५ प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, यहां स्त्री शिक्षा इतनी प्रचलित नहीं है। इस लिए जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों और लड़कियों को विशेष प्रोत्सान नहीं दिया जाता हमा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकेगा।

बच्चों को जो शिक्षा के लिए सुविधाएं दी जाती हैं वह ठीक समय पर देनी चाहिएं तभी उससे लाभ उठाया जा सकता है। मध्याह्न के भोजन के लिए जो निधि दी जाती है वह मार्च के अन्त में दी जाती है। ठीक समय पर सहायता देने से अधिक प्रगति होगी।

श्रीमति लक्ष्मीबाई : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने जो आखिर में टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद देती हूं, कि फिर भी मुझे टाइम मिल गया।

बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं और बहुत ठीक ही बताई हैं। कुछ ने एग्जेजेरेशन भी किया है। लेकिन मैं तो सब से पहले अपने शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देती हूं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। एक लेडी को उन्होंने -प्टी मिनिस्टर के रूप में लिया है इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूं। हमको आशा है कि इससे अच्छा काम बनेगा। हमारे श्रीमाली जी के दिल में बहिनों के लिये बड़ी श्रद्धा है और उनके लिए काम भी हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिये। इसलिये हमको उसकी तरफ उनकी कुछ तवज्जह दिलानी है।

आपकी रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि आल इंडिया लिटरेसी केवल २३.८ पर सेंट है। इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिनको केवल अक्षर ज्ञान है या जो केवल अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह यह पर सेंटेज आता है। इसका चौथाई हिस्सा यानी लगभग ४ परसेंट हिस्सा इसमें लड़कियों का है। और इस चार पर सेंट में भी ज्यादातर लड़कियां शहरों की हैं। गांवों की लड़कियों

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

की बात तो आती ही नहीं। गांवों की लड़कियों को पढ़ना तो नसीब भी नहीं है। मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि बीमारी कुछ और है और दवा उसकी कुछ और दी जा रही है। सही दवा नहीं दी जा रही है। सब लोग इसके लिए शोर मचाते हैं कि आज बच्चों में अनुसाशन नहीं है डिसिप्लिन नहीं है लेकिन यह कोई देखने की चिन्ता नहीं करता कि इसका बुनियादी कारण क्या है और इस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी जिन्होंने कि अभी भाषण दिया उन्होंने कुछ उसकी ओर संकेत किया और नारी, नारी उन्होंने कहा लेकिन वह भी बाद में फिसल गये और मूल बात से दूर हट गये। इतने लोग बोले लेकिन मूल बात की ओर किसी ने सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं किया कि इस देश की महिलाओं को शिक्षित करना सब से अहम और बुनियादी चीज है जिसके बगैर कि काम ठीक हो ही नहीं सकता।

ऐसा तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छे टीचर्स आने चाहिएं लेकिन मैं अपने उन भाइयों से पूछना चाहती हूं कि अच्छे टीचर्स मिलेंगे कहां से ? आखिर टीचर्स की बुनियाद कौन होती है ? वह तो माता होती है। इसलिए जब तक लड़कियों की एजुकेशन नहीं बढ़ती है, उनको अच्छी तालीम नहीं दी जाती है तब तक यह अच्छे टीचर्स आप को मिलेंगे कहां से ? पिछले ५ साल से मैं पार्लियामेंट में बराबर इसी का शोर सुनती रहती हूं कि देश को अच्छे टीचर्स की जरूरत है लेकिन बुनियाद की ओर न ध्यान दे कर और उसकी ओर उपेक्षित रुख रख कर के आप को अच्छे टीचर्स मिल कैसे सकते हैं ? अब यह तो उसी तरह से हुआ जैसे कि किसी होटल मे आप खाना खाने चले और खाकर बाहर चले गये। होटल वालों की दिलचस्पी खाने की बिजनैस करने की रहती है। उनको इससे सरोकार नहीं कि खाना टैस्टी है या नहीं इससे लोगों की हेल्थ ठीक रहेगी अथवा बिगड़ेगी। बस उनको तो अपने काम से काम है। टेस्ट को कौन देखता है ? किसी तरह पेट भर लेना है हेल्थ की उसमें बात तो होती नहीं है। यही हाल हमारा है। शोर मचाया जाता है कि अच्छे टीचर्स, ईमानदार और मेहनती टीचर्स होने चाहिएं लेकिन शिक्षा मंत्रालय, आप लोग और अन्य लोग हालांकि सब चाहते हैं कि अच्छे टीचर्स मिलें लेकिन उसके लिए सही और बुनियादी कदम नहीं उठाते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि इस देश की महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हमें क्या करना है ? अब आल इंडिया का लिटरेसी का परसेंटेज २३·८ है। हमारी लड़कियों का पर सेंटेज एक चौथाई है यानी दस साल में जाकर ६ परसेंट होता है। इसी रफ्तार सेप्हम चलेंगे और एकप्साल में एक परसेंट अगर ज्यादा होगा तो इस तरह तो लड़कियों मे सेंट परसेंट लिटरेसी लाने के लिए ९० साल लग जावेंगे। आज सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम लड़कियों को शिक्षित करने की रफ्तार में और तेजी लायें वरना हम यूं ही बेकार में चिल्लाते रहेंगे, इंटरनेशनल कान्फ्रेंस हो, इंटैग्रेशन कान्फ्रेंस हो और चाहे सोशल सर्विस यूथ लीग हो, इन कान्फ्रेंसेज की तादाद तो बहुत बढ़ जायेगी लेकिन जो काम हम पूरा करना चाहते हैं वह पूरा नहीं हो पायेगा। बहनों मे एजुकेशन बढ़ाने के लिए बहुत तेजी के साथ सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं दूसरे देशों के परसेंटेज आफ ऐक्सपेंडीचर पर हैड आन एजुकेशन देखती हूं और अपने देश से उनका मुकाबला करती हूं तो मैं तो दंग रह जाती हूं। मैं आपकी इजाजत से कुछ आंकड़े सदन् में रखना चाहती हूं। आस्ट्रेलिया में पर हैड ८५ रुपया खर्च होता है, फ्रांस में ९२, जापान में ४७, यूनाइटेड किंगडम में ९९, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में २२७, रिपबलिक आफ जर्मनी में १२५, यू० एस० एस० आर० में ३२० रुपया पर हैड खर्च होता है जबकि हमारे देश में एक आदमी पर केवल २ रुपये ही खर्च होते हैं या अब के हिसाब से समझ लीजिये कि ४ रुपये एक लड़के पर अब खर्च होता है जिसका कि मतलब यह हुआ कि एक लड़की के ऊपर केवल ८ या १२ आने खर्च होते हैं। गर्ल्स एजुकेशन पर जब आप इतना कम खर्च करेंगे तो आप

अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकते हैं ? जितनी आप गाय को घास देंगे उतना ही तो वह आपको दूध देगी । आप सीधे सीधे लड़कियों को एजुकेशन पर ज्यादा रुपया तो खर्च करते नहीं हैं, खाली यहां पर आकर हल्ला मचाते हैं और एक के बाद दूसरी कमेटी बैठाते रहते हैं । एक कमेटी बठती है वह एक दूसरी कमेटी बैठाने की सिफारिश करती है और दूसरी कमेटी तीसरी कमेटी बैठाने के लिए सिफारिश करती है कि वह इसको करे इस प्रकार आंख मिचौली का सा खेल चलता रहता है । अब यह महज एक के बाद दूसरी कमेटियों का सिलसिला चलता रहता है, कमेटियों का चक्कर चलता रहता है लेकिन मर्ज के इलाज के लिए सही दवा कोई नहीं दे रहा है । हमारे दर्द जिसके कि कारण हम तड़प रहे हैं उसको दूर करने की ओर सही कदम नहीं उठाया जाता है । अब यहां हाउस में ५०० लोगों में २५ औरतें हैं और कम से कम अपने दर्द का इजहार करने के लिए हमको समय तो ज्यादा दिया ही जाना चाहिए लेकिन ज्यादा समय हमें दिया नहीं जाता है । हम २५ औरतें यहां पर हैं तो हमें एक चौथाई समय दिया जाना चाहिए । पिछले साल भी यही हुआ कि हैल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री की डिमांड्स बिलकुल साथ साथ आगे पीछे रख दी गई, आज हैल्थ है तो कल एजुकेशन है और उसका नतीजा यह होता है कि अगर आज हैल्थ पर बोले तो कल एजुकेशन पर बोलने का समय नहीं दिया जायेगा । मैं चाहती हूं कि इस तरह से हैल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री को आगे पीछे एक साथ न रखा जाये बल्कि इन के बीच में किसी दूसरी मिनिस्ट्री की डिमांड्स को रख दिया जाये । अब चूंकि मुझे एजुकेशन पर बोलना था और समय मिलना था इसलिए हैल्थ को मैं ने छोड़ दिया ।

मैं इस चीज को स्वीकार करती हूं कि डा० श्रीमाली ने काफी अच्छा काम किया है और हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है । नेशनल कमेटी फौर गर्ल्स एजुकेशन जो बैठी थी उस पर काफी रुपया खर्च हुआ और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी और अच्छी रिपोर्ट दी । जाहिर है कि जब औरतें किसी काम को अपने हाथ में लेती हैं तो उसको एफिशिएंटली करती हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई औरत ऐसी नहीं है जो काम को अधूरा छोड़ दे । मैं नेशनल कमेटी के चेयरमैन को बधाई देती हूं कि उन्होंने और कमेटी ने अच्छा वर्क किया । वह प्राइम मिनिस्टर के पास फंड्स के लिए गईं । प्राइम मिनिस्टर वायदा करते हैं कि उनको इस काम के लिए पैसा मिलेगा, मिनिस्टर साहब भी वायदा करते हैं लेकिन दरअसल उनको पैसा नहीं मिला । अब गोलमोल वायदा कर दिया, वायदा करने में तो कुछ खर्च होता नहीं है । गोलमोल करके उस सैंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम को उड़ा दिया और एबौलिश कर दिया । सैंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन ने गर्ल्स एजुकेशन को इस सब से ज्यादा जरूरी स्कीम को खत्म करने का फैसला कर लिया और इस बीच में एक बहन हमारी डिप्टी मिनिस्टर बन गईं . . . . .

एक माननीय सदस्य : उस के लिए तो आपको खुशी होनी चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : पैसा नहीं है तो खुशी कहां से हो ? जब पैसा ही नहीं है तो काम कैसे होगा ? अब आप तो बिना सोचे समझे कह देते हैं कि खुशी मनाओ और घर में ईद मनाओ लेकिन जब मां के पास पैसा नहीं है तो घर में ईद कैसे मना सकती है ? हमारी बहन डिप्टी मिनिस्टर बनीं इसकी हमे खुशी है लेकिन बगैर पैसे के तो कुछ काम बनता नहीं है ।

अभी हमारी एक बहिन श्रीमती महिषी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया है और उन्होंने हकीकत बयान की है । लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हकीकत की बातों को सुनने वाले और फिर उसके अनुसार सक्रिय कदम उठाने वाले व्यक्ति कम हैं । मर्ज का सही इलाज करने की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है ।

थर्ड फाइव इयर प्लान के ड्राफ्ट पर जो डिस्कशन हुआ था उस पर मैं ने भी यह कहा था कि यह ४०७ करोड़ रुपये का जो एजुकेशन का सारा बजट है अगर यह तमाम का तमाम लड़कियों

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

की शिक्षा पर खर्च कर दिया जाये तो यह कोई गलत बात न होगी। धीमी रफ्तार से अगर आपने चलना जारी रखा तो आप टार्गेट हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप अच्छे टीचर्स चाहते हैं, बच्चों में अनुशासन चाहते हैं तो बगैर और देर किये गर्ल्स एजुकेशन के काम में जी जान से जुट जाइये क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे।

इसी बीच में मुझे याद आ गया कि कल हमारे श्री पाटिल ने अपना जवाबी भाषण देते हुए कहा था कि जंगल खत्म हो रहे हैं और जंगल खत्म होने से ऐनीमल्स भी खत्म होते जा रहे हैं। इसी तरह से श्री ढेबर भाई ने भी कैटिल्स् के बारे में जिक्र किया और यह बताया कि हमें जंगल लगाना, पेड़ पौधों और जानवरों से प्रेम करना सीखना चाहिए। अब यह जानवरों और पेड़ पौधों से प्रेम करना क्या हम स्कूल में सीखेंगे ? अब यह प्रेम करना स्कूल में कौन सिखायेगा मां इसको सिखायेगी। अब हर घर में बच्चे रहते हैं और बिल्ली रहती है और जानवरों को प्यार करना वह तो मां सिखाती रहती है, यह आप भूल गये हैं। स्कूल में यह चीज नहीं सिखाई जाती है। आपको जैसा मैं ने पहले भी कहा जड़ की ओर देखना चाहिए और अगर बुनियाद आप ठीक कर देंगे तो फिर आज जो अच्छे टीचर्स की न मिलने की शिकायत की जाती है या बच्चों में अनुशासन की कमी का रोना रोया जाता है यह सब शिकायतें दूर हो जायेंगी। आप इस देश की लड़कियों को जल्द से जल्द शिक्षित करें। कोई भी मुल्क एजुकेशन से बनता है और हमारा फर्ज हो जाता है कि हम इस बुनियादी जरूरत की ओर ध्यान दें।

एक छोटी सी बात ऐनीमल्स से प्रेम करने की मैं कहना चाहती हूं जोकि आप को भी अच्छी लगेगी। कण्व ऋषि के आश्रम में एक छोटी सी प्यारी लड़की शकुन्तला रहती थी। गौतमी और अनुसूया इन दोनों देवियों ने उस प्यारी शकुन्तला लड़की को पेड़ पौधों और जानवरों से प्यार करना सिखाया था। उनकी देखरेख में वह आश्रम में बड़ी हुई। पेड़ पौधों से शकुन्तला का प्रेम इतना था कि जब तक शकुन्तला स्वयं अपने हाथों से उन पेड़ उन पौधों को पानी न दे वे पानी नहीं पियेंगे। इसी तरह से शकुन्तला जब तक उस यतीम हिरन के बच्चे को अपने हाथ से घास की कोमल कोमल और नन्हीं नन्हीं पूलियां बना कर नहीं खिलाती थी तब तक वह खाना नहीं खाती थी। पेड़ पौधों से वह इतना प्रेम करती थी कि जब तक कोई फल फूल स्वयं गिर न जाये वह उसको पेड़ पर से तोड़ती न थी . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्या अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : मैं तो केवल ५ मिनट ही बोली हूं और लोग तो हमेशा ऐडजोर्नमेंट और कौलिंग एटेंशन नोटिसेज पर आध आध घंटा बोलते हैं इसलिए मुझे भी थोड़ा समय और बोलने को दिया जाये। लड़कियों के एजूकेशन के वास्ते फंड्स भी नहीं देते और हम जो अपने दिल का दर्द रखना चाहते हैं उसको सुनते भी नहीं।

कहने का मतलब मेरा यह है कि लड़कियों को तालीम देने के वास्ते मिड डे स्कूल खोले जायें। नाइट स्कूल्स की लड़कियों के वास्ते जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं कि गांवों में ताल्लुक हैड क्वार्टर्स पर जहां भी ५००० की पापुलेशन हो वहां पर लड़कियों के वास्ते यह मिड डे स्कूल खोले जायें। इस बात की बड़ी जरूरत है कि जहां उनको तालीम दी जाय, लिखना पढ़ना सिखाया जाय वहां साथ ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाय और इस बात का प्रयत्न किया जाये कि सीता और माता पार्वती के आदर्श बतला कर उनके अनूरूप उनको ढालने का प्रयत्न किया जाये।

विवाह के सम्बन्ध में जो कानून बनाया गया है, उसके अनुसार लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र उठारह साल निश्चित की गई है और इस कारण गांवों में अठारह साल तक लड़कियों की शादी नहीं होती है। लेकिन इस के परिणामस्वरूप वहां जो स्थिति पैदा हो गई है, उस को देख कर मुझे रोना आता है। चूंकि पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं हैं, इसलिए गांवों में लड़कियां सारा दिन इधर उधर घूमती फिरती हैं। उन का सारा वक्त खेल-कूद, गोबर लाने और इस प्रकार के छोटे छोटे कामों में गुज़र जाता है और स्कूल न होने की वजह से व कुछ भी पढ़-लिख नहीं सकतीं। जब अठारह साल तक उन की शादी नहीं हो सकती और पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं हैं, तो फिर वे क्या करें? इस लिए मैं सुझाव देती हूं कि दिन में घंटे, दो घंटे तक शिक्षा देने के लिए एडल्ट स्कूल्ज़ होने चाहिएं, ताकि लड़कियां उन में कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन स्कूलों में डिग्री लेने के लिए शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ मामूली पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था कर दी जाय। अगर इस प्रकार के मिड-ड स्कूल्ज़ को चलाने के लिए कोई सैंट्रली-स्पांसर्ड स्कीम तैयार की जायेगी, तो गांवों के बच्चों को कुछ शिक्षा देने में हमें सफलता मिलेगी।

अभी माननीय सदस्य, श्री ज्योतिषी, ने नारी और उस के गुणों के बारे में अपने विचार प्रकट किये। मैं कहना चाहती हूं कि पुराने ज़माने में उन गुणों को प्राप्त करने के लिए लोग न तो युनिवर्सिटीज़ में जाते थे और न ही उन के पास आज-कल की तरह कोई एडूकेशनल क्वालिफिकेशन्ज़ होती थीं। उस वक्त लोगों में धार्मिक भावना होती थी। वे एक अच्छे वातावरण में रहते हुए साधूओं और अच्छ लोगों से शिक्षा प्राप्त करते थे और सद्गुणों को ग्रहण करते थे। मातायें शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थीं। माताओं ने ही गांधी और जवाहरलाल बनाये, किसी स्कूल ने नहीं बनाये। चूंकि माताओं पर ही देश का भविष्य निर्भर है और बच्चे, जो कि आग चल कर देश के नागरिक बनेंगे, उन से ही सब अच्छी बातें और गुण सीखते हैं, इस लिए अगर एडूकेशन के लिए रखे गये ४०७ करोड़ रुपये में से आधा रुपया स्त्री-शिक्षा के लिए दे दिया जाय, तो यह कोई ग़लत बात नहीं होगी।

एजूकेशन मिनिस्ट्री ने जो चिल्ड्रन्ज़ लिट्रेरी बुक्स तैयार करने की व्यवस्था की है, वह एक बहुत अच्छा काम है और उस के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं।

इसी तरह मेरिट स्कालरशिप्स फ़ार टीचर्ज़ चिल्ड्रन की योजना भी सराहनीय है। लेकिन मैं सुझाव देना चाहती हूं कि उस में तीन सौ रुपये प्रति-मास की सीलिंग रख देनी चाहिए, अर्थात् जिन टीचर्ज़ का वतन तीन सौ रुपया प्रति-मास तक हो, केवल उन्हीं के बच्चों को ये स्कालरशिप्स दिये जायें। ऐसा न करने का परिणाम यह होगा कि सब स्कालरशिप्स सात सौ रुपय से ले करे एक हज़ार रुपय तक पाने वालों के बच्चों को मिल जायेंगे और कम वेतन वालों के बच्चे इस योजना के लाभों से वंचित रह जायेंगे।

जहां तक मिड-डे-मील्ज़ का सम्बन्ध है, एक बच्चे के लिए दस पैसे रखे गये हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि दस पैसे में किसी को क्या मिल सकता है। सरकार की ओर से बड़ी सुन्दर योजनायें बनाई जाती हैं, लेकिन चूंकि उन पर अच्छी तरह से अमल नहीं होता है, इस लिए सफलता नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि अरबन एरियाज़ और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज़ में मिड-डे-मील्ज़ नहीं दिय जाते हैं, जब कि रूरल एरियाज़ और ताल्लूका हैडक्वार्टर्ज़ में उन की व्यवस्था की गई है। इस का क्या कारण है? मैं अनुरोध करूंगी कि मिड-डे-मील्ज़ के बारे में अरबन एरिया तथा रूरल एरिया और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज़ तथा ताल्लूका हैडक्वार्टर्ज़ के डिस्टिक्शन को खत्म कर देना चाहिए। आखिर अमीर बच्चे तो मिड-डे-मील्ज़ खाने नहीं आते हैं। गरीब बच्चे ही इस से लाभ उठाते हैं।

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

माननीय मंत्री जी को इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि वह लाजिमी तौर पर हर एक ताल्लूके में लड़कियों के लिए होस्टल बनवाने की व्यवस्था करेंगे । मैं चाहती हूं कि प्राइमरी स्कूल से ले कर कालेज तक लड़कियों के लिए फ्री एडुकेशन होनी चाहिए । उस के बिना देश और समाज की प्रगति नहीं हो सकती है । तरह तरह की कमेटियां बनाने से, जिन पर लाखों रुपय खर्च होते हैं, कोई लाभ नहीं होगा । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह स्त्रियों की शिक्षा के बारे में पूरे उत्साह और शक्ति के साथ काम करें ।

मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

†**श्री सुमत प्रसाद** (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे कालिजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । इसके कई कारण हैं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कल अपना वक्तव्य जारी रखें ।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २८ मई, १९६२/ज्येष्ठ ७, १८८४ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २६ मई, १९६२

५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखा गया पत्र	३२५१
प्रशासनिक सतर्कता विभाग का १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक की अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।	
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें	३२५२–३३३२
(१) स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।	
(२) शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
सोमवार, २८ मई, १९६२/७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि.	
शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा : सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा।	

GMGIPND—LSIII—1116(Ai)L.S.D—8-8-62—150